लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
5th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
Fumigated
On
Parliament Library

[खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 17, बुधवार, 5 अप्रैल, 1972/16 चैत्र, 1894 (शक)

No- 17, Wednesday, April 5, 1972/Chaitra 16, 1894 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
निधन सम्बन्धी उल्लेख Obituary Reference		1-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
261. स्वदेशी ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि	Increase in Price of Indigenous Tractors ...	4-6
262. पन्द्रह रुपये अथवा इससे कम मासिक आय वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिये योजना	Plan to Raise Earnings of Persons getting Rs. 15 or less a Month ...	6-8
264. सीमा प्रचार समिति	Commitee on Border Publicity ...	9
265. बड़े उद्योगों में कमी होने के कारणों का पता लगाने सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन	Report of Study Team on Identifying Causes of decline in Major Industries ...	9-12
268. हाल के चुनावों के दौरान राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता	Help Rendered by Central Government for Law and Order in States during Recent Elections	12-13
269. छोटे समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने की योजना	Scheme for Government Advertisements to Small Newspapers ...	13-16
270. 16 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में लघु उद्योग एककों की स्थापना	Setting up of Small Scale Industrial Units in West Bengal under 16 Point Programme ...	16-19
271. आकाशवाणी उच्च शक्ति ट्रांसमिटर दुर्घटना जांच समिति, दिल्ली	A.I.R. High Power Transmitter Accident Inquiry Committee, Delhi ...	19-20
272. सीमेंट के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण	Control on Prices and Distribution of Cement ...	20-21

किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

263. भारत-यूगोस्लाविया मिश्र स्कूटर परियोजना	Indo Yugoslav-Egyptian Scooter Project ...	21
266. आदिवासियों के लिये आकाशवाणी के कार्यक्रम का मूल्यांकन	Assessment of AIR's Programme for Adivasis ...	21-22
267. प्रतापगढ़ उत्तर, प्रदेश में ट्रैक्टर के कारखाने की स्थापना	Setting up of Tractor Factory in Pratapgarh (U.P.). ...	22
273. तेल, कपास तथा पटसन के बारे में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देना	Clearing of Projects by Planning Commission for Making the Country Self Sufficient in Oil Cotton and Jute ...	22-23
274. राज्यों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के एककों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें	Complaints regarding working of H.M.T. Units in States ...	23
275. फिल्म उद्योग के बारे में खोसला समिति के प्रस्तावों की क्रियान्विति	Implementation of Khosla Committee proposals Re. Film Industry ...	24
276. नीदरलैण्ड से दूरसंचार संगणक	Telecommunication Computers from Netherlands ...	24
277. भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना	Doing away with Privileges of ICS Officers ...	25
278. औद्योगिक तथा अन्य सामान की पैकिंग के लिये प्लास्टिक के कंटेनर	Plastic Containers for Packing Industrial and other Materials	25
279. मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करने वाली समाचार एजेंसियों को राज सहायता का बन्द किया जाना	Stoppage of Subsidy to News Agencies not Implementing the Wage Board's Recommendations ...	25-26
280. कोट्टायम (केरल) में अखबारी कागज के कारखाने की स्थापना	Setting up of Newsprint Plant at Kottayam (Kerala) ...	26

अता० प्र० संख्या
U: S. Q. No.

1965. कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक नारे	Anti National and Pro-Pakistani slogans in Kashmir ...	27

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
1966. बिहार में लघु उद्योग	Small Scale Industries in Bihar	27-28
1967. गुजरात की राजधानी को अन्य स्थान पर ले जाना	Shifting of Capital of Gujarat	28
1968. राज्यों को धन देने की कसौटी	Criteria for providing Funds to States ...	28-29
1969. थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र के एक एकक का हैदराबाद में स्थानान्तरण	Shifting of a Unit of Thumba Space Research Centre to Hyderabad ...	29-30
1970. राज्यों में शिक्षित बेरोजगार	Educated Unemployed in States...	30-31
1971. टेलीविजन कार्यक्रम में प्रादेशिक भाषाओं के लिये समय का आवंटन	Allotment of Time for Regional languages in T.V. Programme	31
1972. कन्नानूर जिला (केरल) में चीनी मिट्टी उद्योग	China Clay Industry in Cannanore District (Kerala) ...	31
1973. रिचर्डसन एण्ड क्रुड्डास कम्पनी, बम्बई को अपने नियंत्रण में लेना	Take over of Richardson and Cruddas Co. Bombay...	32
1974. सफदरजंग डवैलपमेंट एन्क्लेव, नई दिल्ली के बैंक में डाका	Bank Robbery in Safdarjang Development Enclave, New Delhi ...	32
1975. हिन्दी फिल्म जय बंगला को अप्रमाणित घोषित करना	Hindi Film 'Joi Bangla' uncertified ...	32-33
1976. केरल में डाकघर	Post offices in Kerala	33
1977. केरल में सिनेमा प्रोडक्शन यूनिट को सहायता	Assistance to Cinema Production Unit in Kerala ...	33
1979. काश्मीर में तोड़ फोड़ करने के लिए विदेशी धन की भूमिका	Role of Foreign Money in creating Subversion in Kashmir ...	34
1980. बिहार के पूर्णिया जिले में सन्थालों की हत्या	Murder of Santhals in] Purnea District of Bihar ...	34-35
1981. विदेशी बैंकों में भूतपूर्व नरेशों के खाते	Former Rulers' Accounts in Foreign Banks ...	35
1982. किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में टी० बी० अस्पताल ग्राउंड में हुई सार्वजनिक सभा	Public meeting held at T.B.Hospital Grounds Kingsway Camp, Delhi ...	35-36

अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.			
1983.	पश्चिम बंगाल को इस्पात के कोटे का आवंटन	Allotment of Steel Quota to West Bengal ...	36
1984.	दिल्ली प्रशासन में अधीक्षकों के रिक्त पद	Posts of Suprintendents lying Vacant in Delhi Administration ...	36-37
1985.	मध्य प्रदेश में भूतपूर्व नरेशों के कब्जे में शस्त्रास्त्र	Arms and Ammunition in Possession of former Rulers in Madhya Pradesh ...	37
1986.	दिल्ली टेलिफोन प्रयोक्ताओं द्वारा बढ़ा कर दिए गए टेलिफोन बिलों की जांच की माँग	Delhi Telephone Subscribers demand to inquire into inflated Telephone Bills ...	38
1988.	अखबारी कागज सलाहकार समिति की बैठक के बारे में प्रेस विज्ञप्ति	Press note following Newsprint Advisory Committee Meeting	38-39
1990.	लुफथाँसा जम्बो जेट का अपहरण करके अदन ले जाने वाले अम्मान के तीन व्यक्तियों की गतिविधियों की पुलिस द्वारा जाँच	Police Investigation into movements of the 3 Omanis who Hijacked Lufthansa Jumbo Jet to Aden ...	39
1991.	कानपुर में टेलीविजन केन्द्र	T.V. Station at Kanpur	39-40
1993.	कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता	Containers and Closures Ltd., Calcutta ...	40
1994.	बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने के लिये सर्वेक्षण	Survey for Collection of Data on Unemployment ...	40-41
1995.	कृत्रिम अंगों का उत्पादन	Production of Artificial Limbs...	41
1996.	नागालैंड पुलिस द्वारा घायल किये गये आसाम पुलिस के कर्मचारी	Assam Police Personnel Injured by Nagaland Police ...	41
1997.	पश्चिम बंगाल के उद्योगों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to West Bengal Industries ...	41-42
1998.	आनन्द मार्ग की गतिविधियाँ	Activities of Anand Marg	42-43
1999.	दंगों पर नियंत्रण पाने के लिये रबड़ तथा लकड़ी के बुलैट बनाने का प्रस्ताव	Proposal to manufacture Rubber and Wooden Bullets for controlling Riots ...	43

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2000. फार्म और होम प्रसारण	Farm and Home Brodcasts	43
2001. भूतपूर्व नरेशों के पास शस्त्रास्त्र	Arms possessed by former Rulers	43-44
2002. पुराना किला में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम	Light and Sound performance in Purana Quila ...	44
2003. संगीत और नाटक विभाग के कलाकार	Artists of Song and Drama Division ...	45
2004. विदेशी फर्मों का विस्तार	Expansion of Foreign Firms ...	45
2005. भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत विभिन्न समाचार पत्रों के सम्पादकों की नजर बन्दी	Detention of Editors of various Newspapers under DIR	45-47
2006. भूतपूर्व नरेशों को दिये गये सुरक्षा गार्डस् वापस लेना	Withdrawal of Security Guards provided to former Rulers ...	47
2007. स्वतन्त्रता संग्राम में शहीद हुए व्यक्तियों के लिये पेंशन	Grant of Pension to persons killed during the Freedom Struggle ...	47
2008. भारत पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तानी एजेंटों द्वारा संचार साधनों का छिन्न-भिन्न किया जाना	Disruption of means of Communication by Pak agents during Indo-Pak War ...	47-48
2009. उत्तर प्रदेश में भूमिगत पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी	Arrest of underground Pak Nationals in Uttar Pradesh ...	48
2010. समाचार भारती को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान ऋण	Central Government Grants/Loans to Samachar Bharti ...	48
2011. जादुगुड़ा (बिहार) में यूरेनियम की खान का विकास	Development of Uranium Mine in Jaduguda (Bihar) ...	48-49
2012. पटना टेलीफोन सलाहकार समिति के गठन में देरी	Delay in Constitution of Patna Telephone Advisory Committee	49
2013: स्माल इण्डस्ट्रीज सर्विस इन्स्टीट्यूट पटना में उच्च श्रेणी लिपिक	UDC's in Small Industries Service Institute, Patna ...	49
2014. पश्चिम बंगाल में लघु इंजीनियरिंग एककों का बन्द होना	Closure of Small Scale Engineering Units in West Bengal ...	49

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2015. उद्योगों की स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग सम्बन्धी कृतिक दल (टास्क फोर्स)	Task Force for fuller utilisation of the installed capacity in Industries ...	50
2016. प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इंडिया को ऋण राज्य सहायता	Loan Subsidy to P.T.I and U·N.I.	50-51
2017. पश्चिम बंगाल डाक तथा तार विभाग में वाचमैन	Watchman in West Bengal under P & T Department ...	51
2018. चौथी योजना का खर्च चलाने के लिये संसाधन उपलब्ध करना	Resources available for Financing Fourth Plan ...	51-52
2019. भित्ति समाचार पत्रों के सम्बन्ध में हुई प्रगति	Progress made Reg. introduction of wall Newspapers ...	52
2020. सैनिकों का मनोरंजन	Entertainment of Soldiers	52-53
2021. संचार मंत्रालय में हिन्दी भाषा का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of Communications ...	53
2022. हिन्दी में तार देने के प्रबन्ध	Arrangements for Telegrams in Hindi in States ...	53-54
2023. दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन का घेराव	Gherao of a Police Station in Delhi ...	54
2024. बेरोजगार इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिये रोजगार	Jobs for Unemployed Engineers and Scientists ...	54-55
2025. फिल्मों से अश्लीलता में वृद्धि होना	Increase in Obscenity caused by Films ...	55
2026. मूल्य वृद्धि के कारण योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधाएं	Difficulties being Experienced in Achieving plan Targets due to Price Rise ...	55
2027. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम के पुराने घंटे लागू करना	Restoration of Old Working Hours in Central Government Offices ...	56
2028. विक्रम भू केन्द्र	Vikram Earth Station ...	56
2029. नेशनल इंस्ट्रयूमैंटस् लिमिटेड, कलकत्ता का विस्तार	Expansion of National Instruments Ltd. Calcutta ...	56-57
2030. पालामऊ जिले (बिहार) में सीमेंट उद्योग की स्थापना	Setting up of Cement Industry in Palamau District (Bihar) ...	58

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
2031. भारत में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत	Per Capita Consumption of Cement in India ...	58
2032. थुम्बा भूमध्य राकेट केन्द्र से राकेटों का छोड़ा जाना	Rockets Launched from Thumba Equatorial Rocket Launching Station ...	59
2033. बंगला देश के गठन के बाद नागा तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा कथित आत्म समर्पण	Surrender by Rebel Nagas and Mizos on the Formation of Bangla Desh ...	59
2034. क्षेत्रीय असन्तुलन	Regional Imbalances	59-60
2035. बिरला समूह सम्बन्धी सरकार आयोग	Sarkar Commission on Birla group ...	60
2036. बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये रोजगार आयुक्तों द्वारा बनाई गई योजनाएं	Schemes formulated by Employment Commissioners for Solving Unemployment ...	60-61
2037. चलचित्र अभिनेताओं तथा संगीतकारों का एक ही समय में 6 से अधिक चलचित्रों में काम करने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on Film Stars and Composers appearing in more than Six Films at a time ...	61-62
2038. सीमा सुरक्षा बिल मुख्यालय के कर्मचारी	Employees of Border Security Force Headquarters ...	62
2039. पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात् गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pak Spies arrested after Pak Agression ...	62
2040. जापान में लघु उद्योगों के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन	Report on working of Small Scale Industries in Japan ...	62-63
2041. थुम्बा राकेट केन्द्र से मेनका राकेट का छोड़ा जाना	Launching of Menaka Rocket from Thumba Rocket Station	63
2042. दिल्ली के निकटवर्ती शहरों में टेलिविजन का विस्तार	Extension of T.V. net work to Cities near Delhi ...	63-64
2043. आसाम में ट्रांसमीटर का फट जाना	Bursting of Transmitter in Assam	64
2044. थुम्बा स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के एककों में कार्य करने वाले केरल के कर्मचारी	Keralities working in Indian Space Research Organisation Units at Thumba ...	64

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2045. डाक और तार विभाग के आसाम सर्किल के लिये अगरतला में भूमि	Land for P & T Assam circle in Agartala ...	64-65
2046. मंत्री द्वारा जेल का दौरा किये जाने पर अपराधियों की सजा में कमी	Grant of Remission in Sentences to Convicts on visit of Minister to Jails ...	65
2047. स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष में अपराधियों की सजा में कमी	Remission of Sentences to Convicts in Celebration of Silver Jubilee of Independence ...	65
2048. बहराइच में कागज और लुगदी उद्योग की स्थापना	Setting up of Paper and Pulp Industry in Bahraich ...	65-66
2049. समाचार पत्रों के मूल्य में कमी	Reduction in Price of Newspapers	66
2050. नेशनल इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooter, by NIDC Ltd. New Delhi ...	66-67
2051. डाक तार बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व	Representation of Employees in P and T Board ...	67
2052. झाँसी में नाइट पोस्ट आफिस	Night Post Office at Jhansi ...	67
2053. झाँसी में डायल घुमाकर सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था	Direct Dialing systems at Jhansi	67
2054. राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये कोटे का बढ़ाया जाना	Raising of Quota for Promotion to IAS from State Civi Service ...	68
2055. चुनावों के दौरान राज्यों में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि	Increase in Cases of Violence in States during Elections ...	68
2056. मध्य प्रदेश के गाँवों में डाक बक्स की व्यवस्था	Provision of Post Box in Madhya Pradesh Villages ...	68-69
2057. मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूस	Pake Spies Arrested in Madhya Pradesh ...	69
2058. राज्यपालों की नियुक्ति	Appointment of Governors	69
2059. महाराष्ट्र मैसूर सीमा विवाद	Maharashtra Mysore Boundary Dispute ...	69-70

विषय	Subject	पृष्ठ/ Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
2060. नक्सलवादी नेताओं से, शान्ति वार्ता	Peace talks with Naxalite Leaders	70
2061. गया में पल्प तथा कागज मिल की स्थापना	Setting up of Pulp and Paper Mill in Gaya ...	70
2062. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों का नया नाम	Re-naming of Andaman and Nicobar Islands ...	70
2063. गया जिले का विकास	Development of Gaya District ...	70 71
2064. सूरज इंडस्ट्रियल पैकिंग लिमिटेड, लखनऊ को आशय पत्र का जारी करना	Issue of Letter of intent to Suraj Industrial Packing Ltd. Luck-now ...	71
2065. नैनीताल में कागज के कारखाने की स्थापना हेतु आशय पत्र का जारी किया जाना	Issue of Letter of Intent for Set-ting up Paper Mill in Nainital	71-72
2066. केरल राज्य को कच्चे माल का आवंटन	Allocation of Raw Materials to Kerala State ...	72
2067. दिल्ली के नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिवेदन	Report of CBI into a corruption Case against some officials of civil Defence and Home Guards, Delhi ...	72-73
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance ...	73
विषैली शराब पीने के कारण दिल्ली में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु	Deaths in Delhi due to liquor poisoning ...	73-78
श्री मुख्तियार सिंह मलिक	Shri Mukhtiar Singh Malik ...	
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant ...	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the table	78-80
राज्य सभा से सन्देश	Messages form Rajya Sabha	80-81
समाचारपत्र (कीमत निर्धारण) विधेयक राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	Newspapers (Price Control) Bill As amended by Rajya Sabha	81
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolution ...	82

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. No.		
ग्यारहवाँ प्रतिवेदन	Eleventh Report	82
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ...	82
अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन	Report of Study Tour ...	82
सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य	Statement on Report of Irrigation Commission ...	82-83
श्री बैजनाथ कुरील	Shri B.N. Kureel ...	
समितियों के लिये निर्वाचन	Election to Committees ...	84
(एक) लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति	Joint Committee on Offices of Profit ...	84
(दो) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	Committee on Welfare of Seheduled Castes and Scheduled Tribes ...	84
राष्ट्रीय सेवा विधेयक	National Service Bill ...	
पुरः स्थापित	Introduced ...	84-87
चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Fourth Plan Mid-Term Appraisal ...	
श्री सी. सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam ...	88-92
श्री पीलू मोदी	Shri Pilo Mody ...	92-93
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao ...	93-95
श्री ज्योतिर्मयबसु	Shri Jyotirmoy Basu ...	95-97
श्री नाथू राम मिर्धा	Shri Nathu Ram Mirdha ...	98
डा. रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	98-101
श्री मुल्की राज सैनी	Shri Mulki Raj Saini	101
श्री एम. मुत्तु स्वामी	Shri M. Muthuswamy ...	101-103
श्री चन्दू लाल चन्द्राकर	Shri Chandu Lal Chandrakar	103-104
श्री वीरेन्द्र अग्रवाल	Shri Virendra Agarwal ...	104-105
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ...	105-106
श्री वाइ. एस. महाजन	Shri Y.S. Mahajan ...	106-107
प्रो० मधु दण्डवते	Prof. Madhu Dandavate ...	107-110
श्री एम. राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy ...	110-111
श्री निम्बालकर	Shri Nimbalkar ...	111-112

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 5 अप्रैल, 1972/16 चैत्र 1894 (शक)
Wednesday, April 5, 1972/Chaitra 16, 1894 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री एम. मुहम्मद इस्माइल के दुखद निधन का समाचार देना है जिन की कल रात मद्रास में 76 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई।

अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष होने के साथ, श्री मुहम्मद इस्माइल, केरल में मंजेरी चुनाव क्षेत्र से इस सदन के सदस्य भी थे । वर्ष 1948-50 के दौरान वह संविधान-सभा के सदस्य भी थे और वर्ष 1962-70 तक वह तीसरी तथा चौथी लोकसभा के सदस्य भी रहे। इससे पूर्व वर्ष 1946-52 के दौरान वह मद्रास विधान-सभा के सदस्य रहे । वर्ष 1952-58 के दौरान वह राज्य-सभा के सदस्य भी रहे।

वह एक पुराने संसद-सदस्य थे और जब कभी भी वह सदन की कार्यवाही में भाग लेते थे, तो बहुत जोश से बोलते थे। वह शिष्टाचारी, शांत प्रकृति और मधुर वाणी से परिपूर्ण थे। और जन कल्याण के कार्यों में विशेष रुचि लिया करते थे। वह कई शैक्षिक संस्थाओं से सम्बन्धित थे।

हम इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि शोक-संतप्त परिवार के प्रति सवेदना व्यक्त करने में यह सदन मेरे साथ है।

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री : (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : श्री मुहम्मद इस्माइल के निधन का समाचार सुनकर हमें भी गहरा आघात पहुँचा है। जैसा कि आपने बताया, श्री मुहम्मद इस्माइल संविधान सभा के सदस्य थे। और 1952 से 1958 तक

राज्य सभा की एक अवधि पूरी करने के पश्चात वह 1962 में इस सदन में आये थे। गत वर्ष पुनः वह इस सदन के लिए निर्वाचित हुये।

वह बहुत अच्छे बर्जुग और प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति थे। वह तमिलनाडु में 6 वर्षों तक विरोधी दल के नेता भी रहे। इतने वृद्ध होने के बावजूद भी वह शैक्षिक तथा सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय भाग लेते रहे और उनका सम्बन्ध अनेक व्यापारिक तथा वाणिज्यिक संगठनों से था।

बंगला देश के बारे में हमारी नीति का समर्थन करते हुये गत वर्ष उन्होंने जो भाषण दिया था, वह हममें से अधिकांश सदस्यों को अविस्मरणीय रहेगा। वह विभिन्न समस्याओं के बारे में मुझसे मिलने आने वाले प्रतिनिधि मंडलों का बहुधा नेतृत्व किया करते थे जिससे विभिन्न समस्याओं के बारे में उनकी रुचि का पता चलता था।

मैं आप से निवेदन करती हूं कि आप हमारी संवेदना शोक-संतप्त परिवार तक पहुँचा दें।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : श्री मुहम्मद इस्माइल के निधन के बारे में सदन में जो संवेदना व्यक्त की गई है, मैं अपने दल की ओर से अपने आप को उस में शरीक करता हूं। यदि मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें नहीं जनता था, फिर भी उनकी सेवाओं के रिकार्ड से यह कहा जा सकता है अपने आरम्भिक जीवन से ही उन्होंने जन साधारण के कार्यों में रुचि ली। अतः मैं उनके निधन पर शोक व्यक्त करता हूं और साथ ही आप से निवेदन करता हूं कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुँचा दें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : अध्यक्ष महोदय, अपने दल की ओर से मैं श्री मुहम्द इस्माइल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करता हूं। वह इस सदन के सुपरिचित व्यक्तियों में से थे और उनकी बर्जुगी में छिपा हुआ उनका शिष्टाचार और सद्भावना पूर्ण व्यवहार सदा ही हम सब को अविस्मरणीय रहेगा। पिछले कुछ वर्षों से मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानने लगा था क्योंकि दिल्ली में वह और मैं एक ही स्थान पर रह रहे थे अतः आये दिन आपस में हमारी मुलाकात होती रहती थी। वह मधुरता और शिष्टता के प्रतीक थे और इस सदन में कभी भी हमने उन्हें क्रोधित होते हुये, शोर करते हुये या ऊँचे स्वर में बोलते हुये, नहीं देखा था। उन्होंने एक लम्बे समय तक देश की गौरवपूर्ण ढंग से सेवा की और विशेषतः उस समुदाय की सेवा की जिससे वह सम्बन्धित थे। उस समुदाय विशेष के लिए निश्चय ही यह सदमा असहनीय होगा।

श्रीमान जी, प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है जब कभी भी राष्ट्र पर आपत्ति आई, श्री मुहम्मद इस्माइल की राष्ट्र भक्ति का व्यक्तित्व उभरा और उस समय उन्होंने अन्य सभी हितों की अपेक्षा राष्ट्रीय हित को अधिक महत्त्व दिया। इसलिए सदन के सभी सदस्य उनका सम्मान करते थे।

अपने दल की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी हार्दिक संवेदना उनके परिवार तक पहुंचा दें और इसके साथ ही आप के माध्यम से मैं सम्पूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति भी

अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि उनके निधन से उन्हें गहरा आघात पहुँचा है। जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं समझता हूं कि वह 1948 से ही भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चले आ रहे हैं और इससे यह बात स्पष्ट है कि अल्प संख्यक समुदाय के लोग उनका कितना सम्मान करते थे।

मुझे आशा है कि आप शोक संतप्त परिवार तक हमारी संवेदना पहुँचा देंगे।

श्री जी० विश्वनाथन (वान्डीवास) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय मुस्लिम लीग के नेता श्री मुहम्मद इस्माइल के निधन का समाचार सुन कर हमें गहरा आघात हुआ है। उनका देश के हर कोने में और विशेषतया तमिलनाडु और केरल में बहुत सम्मान था। वह अपने सादा रहन-सहन और उच्च आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। वह गौरव और गरिमा के प्रतीक थे। केरल के मंजेरी चुनाव-क्षेत्र से वह तीन बार निर्वाचित हुए।

यद्यपि वह मद्रास शहर में रहते थे परन्तु फिर भी वह प्रत्येक बार मंजेरी चुनाव-क्षेत्र से निर्वाचित हो जाया करते थे। अतः इस तथ्य से यही स्पष्ट होता है कि केरल और तमिलनाडु के लोगों पर उनका कितना प्रभाव था। हमारी संसद और देश के राजनीतिक जीवन के लिए उनका निधन एक बहुत बड़ा प्रभाव है।

मैं आप से निवेदन करता हूं कि हमारा दुःख शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Sir, on behalf of my party, I associate myself with the House in expressing sorrow on the sad demise of Shri Muhammad Ismail, a member of this House and request you to convey our feelings of sorrow to the bereaved family.

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : श्रीमान्, संयुक्त स्वतन्त्र संसदीय दल की ओर से अपने एक बहुत पुराने मित्र श्री मुहम्मद इस्माइल के निधन पर सदन में व्यक्त किये जा रहे शोक के साथ मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। वह बहुत दयालु और मधुर वाणी वाले संसद सदस्य थे तथा सर्वत्र उनका सम्मान किया जाता था। हमें उनका अभाव सदा खलता रहेगा।

मेरा आप से निवेदन है कि कृपया हमारे दल की ओर से आप उनके परिवार के सदस्यों तक हमारी संवेदना पहुंचवा दें।

श्री समरगुह (कण्टाई) श्रीमान जी, श्री मुहम्मद इस्माइल के निधन पर सदन में जो शोक व्यक्त किया जा रहा है, उसमें मैं भी शरीक होता हूं। वह इस सदन के एक पुराने सदस्य थे और वह हमारे लिए अविस्मरणीय रहेंगे। वह सन् 1946 से ही संसद में थे। पहले वह संविधान सभा में रहे, उसके बाद राज्यसभा में और फिर 1962 से लेकर इस सदन के सदस्य चले आ रहे थे। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से हमारा आपस में मतभेद था—भारी मतभेद था—परन्तु फिर भी उनकी गौरवपूर्ण शालीनता, मानवीय भावनाओं और जीवन के प्रति दृष्टिकोण के कारण, सदन के कई सदस्यों के साथ उनका निकट का सम्बन्ध हो गया था। सदन के सदस्यों के साथ उनके बड़े मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे। एक संसद सदस्य के नाते उनके अमूल्य योगदान से हम भली-भांति परिचित हैं। उनके निधन से निश्चय ही अल्पसंख्यक समुदाय को काफी आघात पहुँचा है यद्यपि

आने वाले कुछ समय के बाद अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक शब्दों का वह अर्थ नहीं रहेगा जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व हुआ करता था।

मुझे आशा है कि राष्ट्रीय परिपेक्ष में उनके निधन को विभिन्न दृष्टिकोणों से आंका जायेगा। मुझे आशा है कि उनके मित्र तथा अनुयायी अपने दृष्टिकोण को उदार बनायेंगे और वह अपने आपको राष्ट्रीय जीवन के साथ मिला देंगे। मैं पुनः शोक व्यक्त करता हूं और आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी संवेदना शोक संतृप्त परिवार तक पहुँचा दी जाए।

श्री आर० वी० स्वामी नाथन् (मदुरै) : आपने, प्रधानमन्त्री ने तथा अन्य सदस्यों ने सदन में जो संवेदना व्यक्त की है, उसमें मैं भी आपके साथ शरीक हूं।

मैं श्री मुहम्मद इस्माइल को बहुत लम्बे अरसे से जानता हूँ। जब 1946 में वह मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में मद्रास विधान सभा के सदस्य बने, मैं उस समय कांग्रेस सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था और सदन में हम दोनों साथ-साथ कार्य करते रहे। यद्यपि हमारा सम्बन्ध भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों से था तो भी वह बहुत अच्छे व्यक्ति रहे। वह सदैव ही दूसरे के दृष्टिकोण का भी स्वागत करते थे। उनका सम्बन्ध टिन्नावेली जिले के एक अच्छे परिवार से था। जिसका तमिलनाडू में बहुत सम्मान था सदन में जो संवेदना व्यक्त की गई है, मैं भी उसमें शरीक होता हूं।

श्री पी० वैंकटासुब्बया (नन्दयाल) : मुझे भी श्री स्वामी नाथन और श्री इस्माइल के साथ संयुक्त मद्रास विधान-सभा का सदस्य बनने का अवसर प्राप्त हुआ था। श्री मुहम्मद इस्माइल उस समय मुस्लिम दल के नेता थे। तब हमें स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई थी, और हमारा आपस में राजनीतिक मतभेद था। उस समय भी श्री इस्माइल की राजनीति का मद्रास की राजनीति पर सद्प्रभाव हुआ करता था। भारत में मुस्लिम लीग का गठन करना काफी साहस का कार्य था और वह तो अनेक वर्षों तक इस संगठन के अध्यक्ष भी रहे। वह एक अच्छे संसद सदस्य थे और संविधान सभा और लोकसभा दोनों में ही उन्हें सम्माननीय स्थान प्राप्त था। राजनीतिक दृष्टि से हमारे चाहे कितने ही मतभेद रहे हों परन्तु एक व्यक्ति के नाते वह बहुत ही आकर्षक और असंदिग्ध रूप से ईमानदार व्यक्ति थे। श्री इस्माइल के निधन के साथ देश ने एक बहुत बड़ा व्यक्ति खो दिया है और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारी संवेदना शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दें।

इसके पश्चात् सदस्यगण कुछ देर के लिए मौन खड़े हुए।

The Member then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

स्वदेशी ट्रैक्टरों के मूल्य में वृद्धि

261. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान दो बार देश में निर्मित ट्रैक्टरों का मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी है ;

(ख) क्या दूसरी बार की गई वृद्धि **औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो** की सिफारिश के अनुसार की गई थी, जैसा की पहली बार की गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो ब्यूरों से परामर्श न लेने के क्या कारण हैं और एक ही वर्ष में दूसरी बार वृद्धि करने का क्या औचित्य है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) और (ख) : जी हां।
(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मैंने अपने प्रश्न के (ख) भाग में स्पष्ट रूप से यह बात पूछी थी कि क्या दूसरी वृद्धि औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर ही की गई थी, जैसा कि पहली बार किया गया था। इसके उत्तर में कहा गया है कि "प्रश्न ही नहीं उठता।" इससे उसका क्या तात्पर्य है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : माननीय सदस्य उत्तर को ठीक रूप से नहीं समझ पाये हैं। प्रश्न के भाग (क) और (ख) का उत्तर मैंने "हाँ" में दिया है। इसका तात्पर्य यही है कि दूसरी वृद्धि भी औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर की गई थी जैसा कि प्रश्न वृद्धि के समय किया गया था।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : यह निश्चय ही बहुत गंभीर बात है कि सरकार ने एक ही वर्ष में दोबार ३० से ३५ प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दे दी है जबकि कारों के बारे में यह वृद्धि नहीं की गई और कारों के मूल्य में वृद्धि करने की अनुमति तभी दी गई जबकि न्यायालय द्वारा इसमें हस्तक्षेप किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि एक ही वर्ष में, दोबार इस प्रकार की असाधारण वृद्धि देने के क्या कारण हैं और प्रथम वृद्धि का प्रयोग करने के लिए एक वर्ष भी इन्तजार क्यों नहीं किया गया।

श्री मोइनुल हक चौधरी : प्रथम प्रतिवेदन जुलाई 1971 में प्रस्तुत किया गया था और सरकार द्वारा 1-10-71 को मूल्यों की घोषणा की गई थी। जैसे यह घोषणा की गई, हमें विभिन्न उत्पादकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने लगे जिनमें कई प्रश्नों को उठाया गया था। यह परीक्षण के लिए ब्यूरो को भेज दिये गये। उन्होंने इन पर पुन: विचार किया और दोबारा मूल्य की सिफारिश की और 1 फरवरी, 1972 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई।

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : इन्होंने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया कि दूसरी वृद्धि करने से पूर्व एक वर्ष के लिए इंतजार क्यों नहीं किया गया। क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा अपनी सिफारिशों में कहा गया था कि उत्पादकों द्वारा ठीक आंकड़े नहीं लिए गये थे और इसके बावजूद भी यह वृद्धि करने की अनुमति दे दी गई ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : जिन मूल्यों की सिफारिश की गई थी उनके बारे में उत्पादकों द्वारा शिकायतें की गई थीं। उन्होंने कुछ ऐसे तथ्यों की ओर ध्यान दिलाया जिनके ऊपर विचार नहीं किया गया था। वे तथ्य ब्यूरो को भेज दिए गये। ब्यूरो द्वारा उन पर विचार किया गया

श्रौर उन्हीं पर विचार करने के बाद नये मूल्यों की सिफारिश की गई। इसीलिए इन मूल्यों की अनुमति दे दी गई।

श्री शंकरराव सावन्त : स्वदेशी ट्रेक्टरों की बढ़ी हुई कीमत समान उपयोगिता तथा अश्व शक्ति वाले आयातित ट्रेक्टरों की तुलना में कितनी है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : उसके लिये मुझे सूचना चाहिए।

Shri Achal Singh : May I know whether the Hon. Minister will give an assurance that there will be no further increase in price.

श्री मोइनुल हक चौधरी : हमें आशा है कि उत्पादन में वृद्धि होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या मूल्य वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमें आशाओं में रुचि नहीं है। हम यह जानना चाहते हैं कि वास्तव में कोई वृद्धि हुई है अथवा नहीं !

श्री मोइनुल हक चौधरी : केवल कुछ महीने पूर्व मूल्य बढ़े थे। अतः भविष्य में ही इसका प्रभाव पड़ना है।

Dr. Laxminarain Pandeya : The price was first increased in October, 1971 and then in February, 1972 and due to this increase in price from October to February the prices of International Tractor, Ferguson and Hindustan increased by Rs. 5,000, Rs. 6,000 and Rs. 6,000 respectively and may I know whether Government have accepted the justification submitted by the manufacturers which led to price rise and for which farmers had to suffer heavy loss and pay excessive amount ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मूल्य वृद्धि के अनेक कारण बताये गए हैं। इनमें आयातित पुर्जों के बढ़े हुए मूल्य भी शामिल हैं।

पन्द्रह रुपये अथवा इससे कम मासिक आय वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिये योजना

*262. **डा० कर्णी सिंह : श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़ :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश की कुल जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोगों की आय वर्ष में पन्द्रह रुपये प्रति मास अथवा इससे कम थी; और

(ख) आगामी तीन वर्षों में उनकी आय में कितनी वृद्धि करने की सरकार की योजना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) वर्ष 1971 के बारे में, आकार वर्गों के अनुसार आय के वितरण सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत पन्द्रह रुपये प्रति मास या इससे कम प्राप्त कर रहा था।

(ख) गरीब लोगों की आमदनी का स्तर बढ़ाने का हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिए। बहरहाल, आय के वितरण के सम्बन्ध में ठोस आँकड़ों में अभाव, किसी प्रकार के गुणात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

डा० कर्णी सिंह : हम 500 रुपये न्यूनतम मजूरी के लक्ष्य को कब तक प्राप्त कर लेंगे और देश में कब तक सब लोगों को निश्चित रूप से रोजगार दे दिया जायेगा।

श्री मोहन धारिया : इस समय इसके बारे में कुछ कहना बहुत कठिन है परन्तु मैं सरकार की ओर से सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि हम इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये सभी संभव प्रयास करेंगे तथा कर रहे हैं।

डा० कर्णी सिंह : आपको इस सभा में इसके बारे में कुछ संकेत देना चाहिए कि आप इसको 5 वर्षों में कर पायेंगे अथवा 10 वर्षों में अथवा कितने समय में कर पायेंगे ?

योजना मंत्री तथा विज्ञान और औद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : पांचवी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में प्रयास किया जा रहा है। ज्योंही यह प्रयास समाप्त हो जायेगा, शायद सभा में यह बताना संभव होगा कि इस अत्यंत कठिन समस्या का कितना जल्दी समाधान कर सकना संभव होगा।

डा० कर्णी सिंह : क्या सरकार का विचार उन व्यक्तियों को बेरोजगार सम्बन्धी राहत देने का है जो काम नहीं कर सकते हैं जैसा कि अमरिका तथा ब्रिटेन में होता है और क्या सरकार का विचार काम पाने के अधिकार को मूल अधिकारों में शामिल करने का है ?

श्री मोहन धारिया : जो व्यक्ति बेरोजगार हैं उन्हें इस देश में बेकारी अनुदान देना संभव नहीं है क्योंकि उससे मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियाँ उत्पन्न हो जायेंगी। अतः हम इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं।

जहां तक काम पाने के अधिकार को मूल अधिकार बनाने का सम्बन्ध है, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे समक्ष नहीं है। फिर भी हम ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते हैं। जिससे प्रत्येक व्यक्ति, जो काम करने के लिये तैयार है, को अधिकार के रूप में काम मिले।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मैं इस उत्तर के सम्बन्ध में कुछ और कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने अमरिका तथा ब्रिटेन का उल्लेख किया। वहां बेरोजगार स्तर 3 से 4 प्रतिशत है। फिर भी उसे बहुत अधिक समझा जाता है, अतः वहां बेकारी अनुदान देने पर विचार करना संभव है, परन्तु हमारे यहां जब भारी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, वहां निश्चय ही बेकारी अनुदान देने के बारे में सोचना बिल्कुल यथार्थवादी नहीं है।

श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़ : आप निस्संदेह इस बात से सहमत होंगे कि इस मंत्रालय के लिए यह अच्छी बात नहीं है कि उसके लिए इतने महत्वपूर्ण आंकड़े इकट्ठे करना संभव नहीं है। इस कमी के क्या कारण हैं तथा इसमें सुधार करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

श्री मोहन धारिया : हमारे पास देश में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जैसी कुछ एजेन्सियां हैं जिनके माध्यम से हम आंकड़े इकट्ठे करने का प्रयास करते हैं। हम सभी आंकड़े तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। योजना आयोग के समूचे कार्यकरण को नया रूप देते समय हम हर संभव आंकड़े तथा जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तथा ऐसी एजेन्सी रखना चाहते हैं जो ये आंकड़े एकत्र कर सके।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि 15 रुपये अथवा इससे कम रुपये पाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बारे में उसके पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यह निम्नतम कौन सा आय वर्ग है जिसके लिये सरकार के पास सांख्यिकीय आंकड़े हैं तथा उस निम्नतम आय वर्ग में कितने लोग अथवा जनसंख्या का कितना प्रतिशत आता है जिसके लिये आंकड़े उपलब्ध हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : हमने एक नमूना सर्वेक्षण करवाया था तथा हमारे पास 1967-68 के आंकड़े उपलब्ध हैं। परन्तु वे आंकड़े केवल खपत के बारे में हैं आय के बारे में नहीं हैं। उस आधार पर हमारे यहां 35 प्रतिशत जनसंख्या की खपत मानक स्तर से कम है।

श्री समर गुह : क्या यह सच है कि प्रत्येक जनगणना में प्रत्येक परिवार की आय तथा प्रत्येक परिवार के सदस्यों की संख्या का हिसाब लगाया जाता है ? यदि हां, तो भिन्न-भिन्न वर्गों वाले सदस्यों की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाने में सरकार विशेषकर योजना आयोग को क्या कठिनाई है ? क्या यह सच नहीं है कि नमूना सर्वेक्षण भिन्न-भिन्न वर्गों के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति आय काय का सही मूल्यांकन नहीं देता है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : दुर्भाग्यवश जनगणना में इस पहलू को नहीं लिया गया। इसलिये हम आंकड़े बताने में समर्थ नहीं हैं। अतः हमने उपभोग-स्तर का पता लगाने के लिये दूसरी पद्धति अपनाई जो वास्तविक आय से अधिक महत्त्वपूर्ण है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन् : क्या मंत्री महोदय को पता है कि देश में सीमान्त कृषक हैं जिनकी आय 15 रुपये प्रति मास से कम है ?

श्री मोहन धारिया : इस समय यह जानकारी देना संभव नहीं है। परन्तु मैं मानता हूं कि सीमान्त और छोटे कृषक हैं जिनकी आय आज कल के रहन-सहन के स्तर के अनुसार पर्याप्त नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि हाल ही के सर्वेक्षण के अनुसार विश्व में भारत में प्रति व्यक्ति आय सब से कम है जो कि प्रति व्यक्ति 72 डालर प्रति वर्ष है ? यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जी, हां ? हमें पता है कि हमारे यहां प्रति व्यक्ति आय सब से कम है और हम जनसंख्या के कुछ वर्गों द्वारा बाधाएं उपस्थित करने के बावजूद भी स्थिति में सुधार करने के लिये निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

सीमा प्रचार समिति

***264. श्री के० मालन्ना :**

श्री हरि किशोर सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा प्रचार समिति ने अपना प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या इस बीच सिफारिशों की जांच की गई है तथा उन्हें क्रियान्वित किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) समिति की रिपोर्ट विचाराधीन है।

श्री के० मालन्ना : उन्हें कितना समय लगेगा और इसे कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : जब उत्तर यह है कि "मामला विचाराधीन है" तो यह अनुपूरक प्रश्न सामान्य है।

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : सीमा प्रचार दल ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों में से सीमावर्ती क्षेत्रों में विद्यमान कुछ ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने, कुछ क्षेत्रों में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर लगाने और पंजाब आदि में टेलीविजन केन्द्र लगाने जैसी सिफारिशों को पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया है। अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं तथा इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यह बहुत बड़ा प्रतिवेदन है तथा इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार के भिन्न-भिन्न पहलुओं की जांच की गई है।

बड़े उद्योगों में कमी होने के कारणों का पता लगाने सम्बन्धी अध्ययन दल का प्रतिवेदन

***265 श्री धर्मराव अफजलपुरकार** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े उद्योगों में कमी होने के कारणों का पता लगाने के लिए योजना आयोग द्वारा गठित अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : मुख्य उद्योगों में कमी आने के क्या कारण हैं, इसका पता लगाने के लिए योजना ने कोई अध्ययन दल गठित नहीं किया है। फिर भी, जैसा कि 'चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन' में बताया जा चुका है कि सम्बन्ध मंत्रालयों से सलाह मशवरा कर कतिपय मुख्य उद्योगों का उद्योग-वार विश्लेषण किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक उद्योग की विशिष्ट समस्याओं का पता लगाकर सुधारात्मक उपाय अपनाए

जा सकें। सरकारी क्षेत्र परियोजनाओं के सम्बन्ध में, चुने हुए सरकारी क्षेत्र उद्यमों का एकक वार विभिन्न समस्याओं का गहन अध्ययन करने के लिए कार्यवाही दल का गठन किया गया है और उसके लिए सुधारात्मक उपाय सुझाये जा रहे हैं।

श्री धर्मराव अफजलपुरकार : उत्तर से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि स्थिति का अध्ययन करने के लिये एक कार्यवाही दल गठित किया गया है जो प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करेगा। यह कार्यवाही दल कितने समय से कार्य कर रहा है तथा इस दल में कितने व्यक्ति हैं ?

श्री मोहन धारिया : यह कार्यवाही दल लगभग दो-तीन महीने पूर्व गठित किया गया था। योजना आयोग के सदस्य श्री पाठक इस कार्यवाही दल के प्रभारी हैं तथा इसमें पांच और सदस्य हैं। वे सरकारी क्षेत्र के विभिन्न एककों का दौरा कर रहे हैं तथा उन्होंने अपना काम पहले ही आरंभ कर दिया है।

श्री धर्मराव अफजलपुरकर : क्या इस कार्यवाही दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये किसी विशेष अवधि का उल्लेख किया गया है ?

श्री मोहन धारिया : यद्यपि किसी विशेष अवधि का उल्लेख नहीं किया गया है तथापि हमने इस दल को पहले ही अनुदेश दे दिये हैं जो न केवल इसे शीघ्रातिशीघ्र करने के लिये है अपितु सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि अब तक उन्होंने बारह प्रमुख सरकारी उपक्रमों का दौरा कर लिया है तथा अपना अन्तरिम प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर दिया है। इन कमियों को पूरा करने के लिये कार्यवाही की जा रही हैं।

श्री विक्रम महाजन : प्रमुख उद्योगों में कमी के कारणों का पहले से अनुमान लगाने में क्या बाधायें थी ?

श्री मोहन धारिया : किसी ने हमें नहीं रोका है; इसके विपरीत मध्यावधि मूल्यांकन प्रतिवेदन में हमने कारणों का पता लगाया है। उनमें कच्चे माल की कमी, कुप्रबन्ध की समस्यायें और न जाने क्या-क्या शामिल हैं।

श्री के० मनोहरन् : और ज्योतिर्मय बसु।

श्री मोहन धारिया : वह भी सच है; हमारी औद्योगिक प्रगति को जिन प्रमुख कारणों से धक्का लगा है उनमें औद्योगिक अशांति भी एक है। हम इन सब कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु श्री ज्योतिर्मय बसु को हटाने का हमारा आशय नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : चूंकि इसमें मेरा नाम लिया गया है तो क्या मंत्री महोदय **'लेबर, 1970'** शीर्षक वाले पश्चिम बंगाल सरकार के प्रकाशन को पढ़ने का कष्ट करेंगे तथा स्वयं पर थोड़ा-बहुत प्रकाश डालेंगे ?

श्री एस०एम० बनर्जी : चूंकि योजना आयोग के सदस्यों ने प्रमुख उद्योगों में कमी आने के कारणों का पता लगाया है तो कतिपय गैर-सरकारी एककों द्वारा कुप्रबन्ध के कारण प्रमुख उद्योगों में कमी को ध्यान में रखते हुए क्या वे कुछ प्रमुख उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने पर और सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री मोहन धारिया : मैं पहले ही कह चुका हूं कि कुप्रवन्ध भी एक कारण है। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में औद्योगिक विकास मंत्री ने नीति को स्पष्ट कर दिया है। यदि कोई कुप्रबन्ध है तो हमें उद्योग को हाथ में लेने का अधिकार है। सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो ऐसे उद्योगों को हाथ में ले लिया जायेगा; अन्यथा सरकार की राष्ट्रीयकरण की कोई तदर्थ नीति नहीं है।

श्री एस० एम० बनर्जी : परसों तो आपने श्रम मंत्री का उल्लेख नहीं करने दिया परन्तु आज मंत्री महोदय ने औद्योगिक विकास मंत्री का उल्लेख किया है। मैंने योजना मंत्री से एक प्रश्न पूछा है कि क्या वे यह योजना बना रहे हैं कि इन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। मैं यह नहीं चाहता हूं कि इसका उत्तर औद्योगिक विकास मंत्री दें। उसके लिये मैं अलग प्रश्न कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग प्रश्न पूछ सकते हैं।

Shri Maha Deepak Singh Shakya : The Hon. Minister has just said that certain industries are being considered. May I know the names of such industries which are being considered ?

श्री मोहन धारिया : सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में उद्योगों पर विचार किया जा रहा है।

श्री नवल किशोर सिंह : सरकारी क्षेत्र के अतिरिक्त उद्योगों के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने उन मंत्रालयों के साथ परामर्श करके इस कार्य को आरंभ कर दिया है। जिनसे ये उद्योग सम्बद्ध हैं। यह कार्य कब आरंभ हुआ तथा अब तक इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री मोहन धारिया : चौथी योजना के मूल्यांकन के दौरान हमने इस मामले पर कई क्षेत्रों के साथ चर्चा की जिनमें उद्योगपति, श्रमिक प्रतिनिधि, वैज्ञानिक तथा सम्बद्ध मंत्रालय भी शामिल हैं। तभी से हमने यह कार्य आरंभ किया। कच्चे माल की कमी आदि जैसी कई बातें हमारे ध्यान में लाई गईं तथा इन कमियों को दूर करने के लिये तुरंत ही इस्पात का आयात करने का निर्णय किया गया। हमने यह कार्य पहले ही आरंभ कर दिया है परन्तु सही तिथि बताना संभव नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच नहीं है कि यह संकट दो कारणों से उत्पन्न हुआ (1) गलत आयोजन द्वारा (2) आम जनता में क्रयशक्ति के अभाव के कारण।

श्री मोहन धारिया : यह कहना अनुचित है कि ऐसा गलत आयोजन के कारण हुआ। वस्तुतः हमें कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हम उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि सदस्य अनुपूरक प्रश्नों सम्बन्धी नियमों को पहले पढ़ें। उनको ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिएं जिनमें सुझाव अथवा जानकारी दी गई हो। जब तक

मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं मंत्री महोदय उठ खड़े होते हैं और मेरे यह बताने से पहले कि प्रश्न संगत है अथवा नहीं वह आधे प्रश्न का उत्तर दे चुके होते हैं।

हाल के चुनावों के दौरान राज्यों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सहायता

*268 **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के चुनावों के दौरान कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकारों ने क्या सहायता माँगी और केन्द्रीय सरकार ने क्या सहायता दी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मँत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

असम, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, बिहार मनीपुर, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू व काश्मीर, त्रिपुरा राज्यों तथा दिल्ली, पाण्डिचेरी और गोवा, दमन व दीव केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के अनुरोध पर उनको हाल के चुनावों में मतदान केन्द्र तथा कर्मचारी और मतदाताओं की आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने एवं विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपने साधनों को पूरक बनाने हेतु अन्य राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल तथा सशस्त्र पुलिस बटालियनों के दस्ते उपलब्ध कराये गये।

बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों को ऋण के आधार पर कुछ अतिरिक्त शस्त्र उपलब्ध कराये गये। चुनावों के दौरान उत्तम गतिशीलता तथा संचार के लिए कुछ राज्यों के पुलिस दलों को कुछ वाहन तथा वायरलेस सैट भी उपलब्ध कराये गये थे।

श्री एस० सी० सामन्त : वक्तव्य में कहा गया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सरकारों को ऋण के आधार पर कुछ अतिरिक्त शस्त्र उपलब्ध कराए गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकारों द्वारा इनका उपयोग भी किया गया था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : शस्त्र इस विचार से उधार दिए गए थे कि बाद में वह वापिस ले लिए जाएंगे। उनका प्रयोग किया गया अथवा नहीं इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे विचार में चुनाव के दौरान आमतौर पर स्थिति नियंत्रण में रही। मैं नहीं कह सकता कि इक्का दुक्का घटनाओं में इनका प्रयोग नहीं किया गया था। इस बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त : चुनाव वाले दिन ऐसी कितनी घटनाएं घटीं जिनसे विधि व्यवस्था की स्थिति को खतरा उत्पन्न हुआ और हथियारों का प्रयोग किया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न राज्यों द्वारा मांगी गई तथा उनको दी गई सहायता के बारे में है। आप बिल्कुल पृथक प्रश्न पूछ रहे हैं। यदि आपको कोई विशिष्ट जानकारी चाहिए तो इसके लिए पृथक सूचना दीजिए।

श्री जी० विश्वनाथन् : चुनाव के दिन मतदाता केन्द्रों तथा मतदाताओं की सुरक्षा हेतु सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस राज्यों को दी गई थी परन्तु मैं जानना चाहता

हूं कि पुलिस के इन प्रबन्धों के बावजूद भी बिहार तथा पश्चिम बंगाल के मतदाताओं तथा मतदान केन्द्रों को उपयुक्त संरक्षण क्यों नहीं दिया गया ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है, जैसाकि हमारे पश्चिम बंगाल के कुछ मित्रों से हमने सुना कि उस दिन कैदियों को रिहा किया गया तथा उन्हें चुनाव से पहले और उसके दौरान शस्त्र दिए गए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन शस्त्रों का उचित प्रयोग किया गया अथवा उनका दुरुपयोग हुआ ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : जहाँ तक बिहार और पश्चिम बंगाल की स्थिति का प्रश्न है माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस चुनाव के दौरान कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में सहायक सिद्ध हुई। अतिरिक्त पुलिस की व्यवस्था इक्का दुक्का घटनाओं को रोकने तथा इसलिए की गई कि कुछ तत्वों द्वारा जानबूझकर चुनाव में बाधा डालने के प्रयास को विफल किया जा सके। मुझे. इस बात की कोई जानकारी नहीं कि उस दिन कैदियों को छोड़ दिया गया था तथा उन्हें कुछ शस्त्र दिए गए थे अथवा नहीं ?

Shri R.S. Pandey : Will the Hon. Minister be pleased to state whether he has received a report that the C.P.M. workers held back the voters in many States specially in West Bengal and caused lot of unrest.

Shri K.C. Pant : I have received such reports but I don't want to enter in details.

श्री समर मुखर्जी : मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव अवधि के दौरान कितने व्यक्ति मारे गए ?

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : इसके लिए मुझे पूर्व सूचना दीजिए।

श्री समर मुखर्जी : मंत्री महोदय ने राज्यसभा में एक वक्तव्य दिया था कि इस दौरान 30 व्यक्ति मारे गये थे; मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सच है क्योंकि समाचार पत्रों में भी ऐसा कहा गया है ?

SCHEME FOR GOVERNMENT ADVERTISEMENTS TO SMALL NEWSPAPERS

***269. Shri Ramavatar Sahstri :** Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) Whether Government have formulated any scheme to release advertisements to small newspapers in the country;

(b) if so, the broad outlines thereof; and

(c) the number of newspapers, State-wise, benefited or likely to be benefited thereby ?

The Deputy Minister In The Ministry of Information & Broadcasting Shri Dharambir Sinha :

(a) & (b) : Every effort is being made to make increasing use of small newspapers, consistent with publicity requirements and availability of funds. A statement indicating the steps taken in this regard is laid on the Table of the House.

(c) : During 1971-72 (up to 31.12.1971) 1, 259 small newspapers were used by the Directorate of Advertising and Visual Publictty for advertisements. A statement giving the statewise break up of this number is placed on the Table of the House.

Statement

Statement of Steps Taken To Make Increasing Use OF Small Newspapers

(i) Small papers are included in mass campaigns like Family Planning, Small Savings, National Integration, as far as possible;

(ii) advertisements in bigger size are released to language newspapers which by and large belong to small and medium categories and in smaller size to large English newspapers;

(iii) Regular ICAR, UPSC, DGET and other recruitment advertisements which largely go to big papers are now inserted in smaller space without imparing the visual impact savings thus effected have been/are being utilised for release of more advertisements to small newspapers, mostly in regional languages;

(iv) the list of newspapers to which regular weekly insertions of UPSC advertisements are released has been enlarged to include more small and medium language newspapers;

(v) mounted stereos are now being supplied to small newspapers; this arrangement results in a saving to the newspapers of Rs. 4 to 5 per insertion. Newspapers published in Urdu are now being supplied "Charbas" instead of stereos.

(vi) public undertakings have been advised to give due consideration to medium and small newspapers in the selection of media for their advertisements. They have also been requested to set apart a suitable proportion of their advertising budget for diversion to medium and small newspapers published in regional languages;

(vii) advertising agencies seeking accreditation to DAVP are now required to adhere to the general policy laid down by Government regarding encouragement to medium and small categories of newspapers and periodicals to the extent possible.

Statement

State-wise Break-up of Small Newspapers/Periodicals Used by the Directorate of Advertising and Visual Publicity.

S.N.	Name of State	No. of Papers
1.	Andhra Pradesh	36
2.	Assam	17
3.	Bihar	37
4.	Delhi	248
5.	Gujarat	60
6.	Haryana	4
7.	Himachal Pradesh	4.
8.	Jammu & Kashmir	34
9.	Kerala	33
10.	Madhya Pradesh	56
11.	Maharashtra	172
12.	Mysore	41
13.	Orissa	12
14.	Punjab	73
15.	Rajasthan	75
16.	Tamil Nadu	57
17.	Uttar Pradesh	150
18.	West Bengal	120
19.	Union Territories	30
	Total	1,259

Shri Ramavtar Shastri : May I know the criteria fixed by Government for releasing advertisements to Newspapers and percentage out of them being given to big as well as small newspapers and periodicals ?

Shri Dharam Bir Sinha : Effective circulation, regularity of publication and respect for ethics of journalism by the newspapers are the criteria fixed by Government for releasing advertisements. Besides its language, the region in which it is read and its rates are also kept in view.

Shri Ramavtar Shastri : I want to know the percentage of advertisements that are being given to big and small newspapers and the periodicals.

Shri Dharam Bir Sinha : The display advertisements that have been given to small and medium newpapers **in terms of value** are 60.84% and those given to big newspapers is 39.16 %.

Shri Ramavtar Shastri : How many of the 1259 small newspapers, to which these advertisements are given are run by political parties and what are their names.

Shri Dharam Bir Sinha : The information is not available wtih me. I want a seperate notice for it.

श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हाल के वर्षों में छोटे समाचार-पत्रों के नाम पर अनेक उत्तेजक समाचार पत्र और भी निकल रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार पत्रकारिता के ऊंचे स्तर को बनाए रखने के लिए प्रभावशाली उपाय अपनाने का है ?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : मैं माननीय सदस्य के इस मत से सहमत हूँ कि छोटे और मध्यम समाचार पत्रों को सहायता देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उन समाचार पत्रों को सहायता न दी जाए जो उत्तेजक हैं। सरकार हर समय इस बात को ध्यान में रखती है और इसलिए जब भी छोटे और मध्यम किस्म के समाचार-पत्रों को सहायता देने का प्रश्न आता है हम इस बात की जाँच करते हैं कि जिन पत्रों को सहायता दी जाती है वह असली हैं या नहीं इसी कारण इस सम्बन्ध में कुछ मापदंड रखे गए हैं।

श्री जगन्नाथ राव : मैं यह जानना चाहता हूं क्या उन बड़े अंग्रेजी के समाचार पत्रों को जिनके दिन में एक से अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं, उनको प्रत्येक संस्करण के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं ? उदाहरण के लिए 'इण्डियन एक्सप्रैस' का 6 स्थानों तथा 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' और 'स्टेट्समैन' का तीन-तीन स्थानों से प्रकाशन होता है क्या इन बड़े समाचार पत्रों के प्रत्येक संस्करण को विज्ञापन दिए जाते हैं ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हाँ इनमें से कुछ समाचार पत्रों को जिनका प्रकाशन विभिन्न स्थानों से होता है। प्रत्येक संस्करण के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं किन्तु साथ ही हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि इन समाचार पत्रों को इतने अधिक विज्ञापन न दिए जाएं जिससे छोटे तथा मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों को कुछ असुविधा हो।

श्री जगन्नाथ राव : सरकार की नीति क्या है ?

Shri R. R. Sharma : Is it a fact that the advertisments are not released to those newspapers which criticise the policies of the Government bitterly.

Shrimati Nandani Satpathy : No. Advertisements are given to Newspapers regardless of the fact whether they criticise the policy of the Government or not.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : बड़े तथा छोटे समाचार पत्रों को दिए जाने वाले विज्ञापनों का कुल मूल्य क्या है और जैसा कि मंत्री महोदया का कहना है कि कुल विज्ञापनों में से 60 प्रतिशत विज्ञापन छोटे समाचार पत्रों को दिए जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रतिशतता मूल्य के सम्बन्ध में है अथवा संख्या के। साथ ही बड़े समाचार पत्रों के बारे में भी कहा गया है कि उन्हें 39.16 प्रतिशत विज्ञापन दिए जाते हैं तो क्या यह प्रतिशतता भी मूल्य के सम्बन्ध में है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : जी हाँ यह मूल्य के बारे में है। चालू वर्ष के दौरान, दिसम्बर के अन्त तक 60·84 प्रतिशत मूल्य के विज्ञापन छोटे तथा मध्यम समाचार पत्रों को दिए गए तथा 39·16 प्रतिशत मूल्य के विज्ञापन बड़े समाचार पत्रों को दिसम्बर 1971 के अन्त तक दिए गए।

16 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल में लघु उद्योग एककों की स्थापना

*270. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 16 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल के किन स्थानों पर लघु उद्योग एककों को स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) इन एककों की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है और उनकी रोजगार क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) (क) और (ख) : राज्य के विभिन्न जिलों में 2000 एकक स्थापित करने का विचार है। 31 दिसम्बर, 1971 तक स्थापित एककों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

16 सूत्री कार्यक्रम के अर्न्तगत विभिन्न जिलों में स्थापित (1-10-1971 से 31-12-1971) लघु उद्योग एककों की संख्या जिनमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

कलकत्ता	23
कूच बिहार	17
जलपाइगुड़ी	6
हुगली	15
मिदनापुर	32
वर्दवान	52
24 परगना	36

दार्जिलिंग	24
पूर्लिया	33
बाँकुरा	7
मालदा	23
प० दीनाजपुर	4
हावड़ा	59
मुर्शिदाबाद	3
नदिया	26 (14 एकक जिनमें विस्तार हुआ है इसके अतिरिक्त हैं)

कुल संगठित लघु उद्योग एकक (इसमें वे 366 एकक भी सम्मिलित हैं जिनमें उत्पादन प्रारम्भ हो गया है) 500

रोजगार मिलने के अवसर 4000

अब तक रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 1874

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं एक बहुत ही साधारण प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन लघु उद्योगों को पुनः खोलने के लिये क्या उपाय किये गये हैं जो कि कच्चे माल तथा ऋय-देशों की कमी एवम् अन्य कठिनाइयों के कारण बन्द कर दिये गये थे।

श्री मोइनुल हक चौधरी : यह प्रश्न केवल नये एककों के बारे में है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यदि हम मुख्य प्रश्न के इतने निकट का भी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते तो हमें सभा से बाहर चले जाना चाहिये इससे सरकार के 51 रुपये तो बचेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न के साथ कुछ संबंध तो रखना ही होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह संबंधित नहीं है श्रीमन् ? यद्यपि प्रश्न नये एककों के बारे में है, मैंने पूछा है कि बन्द हुए एककों को पुन. खोलने के लिये क्या किया गया है। अब आप ही बताइये क्या यह संबंधित नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझसे ही पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि यह कोई संबन्ध नहीं रखता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे बड़ा दुःख है। अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि उन कुर्सियों की ओर से समाचार पत्रों के बारे में प्रश्न पूछा गया जो कि बिल्कुल असंबन्धित था मगर मंत्री महोदय उठे और उत्तर दे दिया। परन्तु जब हमारी ओर से......

श्री श्यामनन्दन मिश्र : उनका दल संबन्धित है आपका दल नहीं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : सरकार छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों को पर्याप्त इस्पात, अलोह धातुएँ तथा अन्य कच्चा माल और काम चलाऊ पूँजी उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : छोटे पैमाने के उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में कच्चेमाल की सप्लाई के लिये हम यथेष्ट कार्यवाही कर रहे हैं । सरकार ने निर्णय किया है कि उन्हें कच्चा माल उपलब्ध कराया जायेगा और जहां तक संभव होगा छोटे तथा बड़े उद्योगों के मध्य कोई भेदभाव नहीं बरता जायेगा । कल आयात-नीति घोषित कर दी गई है और इसमें भी कहा गया है कि छोटे उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराया जायेगा ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गत वर्ष के मांग-पत्र के अनुसार उन्हें कुल आवश्यकता का केवल 9 प्रतिशत इस्पात दिया गया था । मंत्री महोदय को यह मालूम होना चाहिये—

श्री सुबोध हंसदा : संलग्न अनुबन्ध से पता चलता है कि मिदनापुर जिले में पहले ही 32 एकक उत्पादन कर रहे हैं । कुछ छोटे एकक भी निर्मित हो रहे थे, यें छोटे कागज-कारखाने, ट्यूब ···मिलें आदि··· ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न तथा श्री बसु में प्रश्न के कोई उत्तर नहीं है । कृपया बैठ जाइये ।

श्री सुबोध हंसदा : तो फिर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इन निर्माणाधीन एककों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इसका यह अर्थ है कि वे निर्माणाधीन हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : मैं तो प्रश्न ही नहीं समझा ।

श्री सुबोध हंसदा : मैं अपने इस प्रश्न को अलग छोड़ता हूं । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 32 एककों द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जा रहा है उनके नाम क्या हैं ?

श्री मोइनुल हक चौधरी : ये 32 नहीं 366 हैं । 366 एकक उत्पादन कर रहे हैं । अन्य 134 एककों का आयोजन किया जा रहा है । ये 366 एकक प्लास्टिक, कृषि संबंधी उपकरण, ढलाई उपकरण, मशीनशॉप, ट्रान्जिस्टर, रेडियो, हाथकरघा वस्तुएँ तथा अन्य विभिन्न चीजों का निर्माण करते हैं । इतने नाम को इतने थोड़े समय में बताना असंभव है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु खड़े हुए

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

ज्योतिर्मय बसु : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है । आप हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई सीमा तो होनी ही चाहिये। आप अध्यक्ष के साथ विवाद करने लगते हैं। सारी सभा को आप एक मजाक बना रहे हैं।

आकाशवाणी उच्च शक्ति ट्रांसमीटर दुर्घटना जांच समिति, दिल्ली

*271. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी उच्च शक्ति ट्रांसमीटर दुर्घटना जाँच समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) जी, हाँ।
(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 1659/72)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री गण महोदय उत्तर देने से पूर्व मुझे कम से कम आधा मिनट हर संबन्ध में निर्देश देने के लिये दें। परन्तु मैं देखता हूं कि जब तक मैं उन्हें उत्तर देने के लिये कहूं उससे पूर्व ही वे आधा उत्तर दे चुके होते हैं। यह बहुत बुरी बात है।

श्री पीलू मोदी : आप का मतलब है कि मंत्री गण अध्यक्ष से अधिक तेज हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : विवरण में गया गया है कि "तथापि समिति इस नतीजे पर पहुँची है कि इस दुर्घटना के पीछे किसी भी अधिकारी की कोई दुर्भावना नहीं थी तथा स्टाफ की असावधानी भी ऐसी नहीं थी जिससे कि भारतीय दण्ड संहिता के उपबंध के अन्तर्गत किसी अपराध के लिए उन पर मुकदमा चलाने का सुझाव दिया जाये।"

इसके पश्चात् समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। समिति की सिफारिशों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि आकाशवाणी से संबंधित अधिकारियों ने सभी प्रकार के आवश्यक तथा साधारण सुरक्षा उपाय बरतने में उपेक्षा क्यों दिखाई है ?

श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : ठीक इसी लिये हमने यह जाँच समिति बैठाई थी और समिति ने विस्तार से जांच करके कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों के मिलने के पश्चात हमने कार्यवाही की है। असावधान पाये गये कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गयी है। दो अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया था। आकाशवाणी के उपकरणों में कुछ परिवर्तन करने संबंधी सिफारिशों तथा अन्य बातों पर सरकार विचार कर रही है।

श्री पीलू मोदी : और मंत्रियों के दायित्व का क्या हुआ ?

श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या कोई विभागीय जांच भी की जा रही है तथा क्या निलंबित अधिकारियों को बहाल कर दिया जायेगा और क्या इस दुर्घटना में अपने प्राण खोने वाले मैकेनिक को कोई मुआवजा दिया गया है; और यदि हां तो कितना ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : कुछ अधिकारियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है और उन्हें बहाल करने का कोई प्रश्न नहीं है। वे लोग निलंबित हैं। दो व्यक्ति निलंबित हैं और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई है। उसके लिये कोई अन्य विभागीय कार्यवाही समिति नहीं है। जहाँ तक मुआवजे का प्रश्न है इस बारे में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है।

श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : स्पष्ट है कि सरकार को सामान्य सावधानियों के बारे में एक समिति नियुक्त करने की आवश्यकता भी एक व्यक्ति की जान लेने के बाद ही पड़ी। पहले ये सामान्य सावधानियाँ क्यों नहीं प्रयोग में लाई गईं ?

श्रीमती नन्दिनी सतपथी : कुछ सावधानियां बरती जा सकती थीं और इन लोगों को ऐसा करने को कहा गया था। यहाँ तक कि स्वंय मृतक ने भी पर्याप्त सावधानी से काम नहीं लिया। अतः वह स्वयं भी इन सावधानियों की उपेक्षा करने वालों में से एक था।

एक माननीय सदस्य : यह तो एक पक्षीय मत है।

सीमेंट के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण

272. **श्री राजदेव सिंह :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार सीमेन्ट के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण जारी रखने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : सीमेंट के मूल्यों और वितरण पर नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था अभी देश में चालू रहेगी।

श्री राजदेव सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि वार्षिक मांग तथा उत्पादन में कितना अन्तर है।

श्री मोइनुल हक चौधरी : वर्ष 1971 में उत्पादन 149 लाख टन था और मांग अनुमानतः 160 लाख टन थी।

श्री राजदेव सिंह : क्या सीमेंन्ट के उत्पादन की गति तेज करने के लिये और आगे कुछ कदम उठाये गये हैं।

श्री मोइनुल हक चौधरी : जी हाँ, कदम तो उठाये गये हैं।

श्री विक्रम चन्द महाजन : कौन से कदम ?

श्री पीलू मोदी : लम्बे कदम या छोटे कदम।

अध्यक्ष महोदय : अब अगला कदम यह है कि प्रश्नकाल समाप्त हो गया है और हम आगे की कार्यवाही करें।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-युगोस्लाविया-मिश्र स्कूटर परियोजना

*263. **श्री एम०एम० जोजफ** : क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपक्षीय भारत-यूगोस्लाविया-मिश्र स्कूटर परियोजना स्थगित हो गयी है।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) से (ग) : जुलाई और सितम्बर, 1970 में त्रिपक्षीय बैठक में हुए विचार विमर्श के अनुसार ऐसे सुविख्यात किस्म के स्कूटर, जो तीनों देशों को स्वीकार हों, के निर्माण के लिए त्रिपक्षीय औद्योगिक सहयोग की संभाव्यता को मान लिया गया था। ऐसे स्कूटर का नमूना, जिसका निर्माण त्रिपक्षीय आधार पर हो सकेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है। इस पर और त्रिपक्षीय सहयोग से स्कूटर निर्माण से संबंधित अन्य विषयों पर 10 अप्रैल, 1972 से बेलग्रेड यूगोस्लाविया में होने वाली कार्यकारी दल की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

आदिवासियों के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम का मूल्यांकन

*266. **श्री सी. चितिबाबू** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासियों के लिए 36 जन-जाति भाषाओं में होने वाले आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) क्या उनके पास कार्यक्रम सुनने के लिए सामुदायिक रेडियो सेट्स हैं और क्या ये कार्यक्रम आदिवासियों द्वारा पसन्द किये जाते हैं; और

(ग) क्या आदिवासियों की समस्याओं की मौके पर की गई 'रिकार्डिंग' को प्रसारित किया जाता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी : (क)जी, नहीं ।

(ख) सामुदायिक श्रवण के प्रबन्ध करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है । श्रोताओं की प्रतिक्रिया के वैज्ञानिक मूल्यांकन के अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि आदिवासी इन कार्यक्रमों को पसन्द करते हैं या नहीं, परन्तु इन कार्यक्रमों को तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आदिवासियों की आवश्यकतायें तथा उनके हित यथासंभव पूरे हों ।

(ग) जी, हाँ ।

Setting up of Tractor Factory in Pratapgarh (U.P)

*267. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether the proposal regarding the setting up of a tractor factory in Pratapgarh District, Uttar Pradesh has been implemented;

(b) the number of persons likely to be provided employment thereby ; and

(c) the time by which construction work of the factory would be started ?

The Minister of Indusirial development (Shri Moinul haque Choudhory) :

(a) No, Sir.

(b) The proposal envisaged employment of about 2500 persons.

(c) It is not possible to say at this stage as to when the construction work will start.

तेल, कपास तथा पटसन के बारे में देश को आत्म निर्भर बनाने हेतु परियोजनाओं को योजना आयोग द्वारा स्वीकृति देना ।

*273. **श्री पी० गंगादेव:**

श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने तेल, कपास और पटसन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश को आत्म-निर्भर बनाने के उद्देश्य से बताई गई परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त परियोजनाओं के क्या नाम हैं और ये परियोजनायें कहाँ स्थापित की जायेंगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : कपास, पटसन और तिलहन के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने के उद्देश्य से सम्बन्धित निम्न परियोजनाओं को योजना आयोग ने हाल में ही अनुमोदित कर दिया है :

कपास

(i) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, मैसूर और तमिलनाडु में सघन कृषि कार्यक्रम।

(ii) गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मैसूर में संकर-4 कपास के विस्तार की स्कीम।

(iii) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन और तटीय क्षेत्र में कपास प्रदर्शन और विकास की स्कीम।

(iv) राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश मैसूर और तमिलनाडु राज्यों में कपास बीज संवर्धन को सुदृढ़ करने की स्कीम।

पटसन

पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और आन्ध्र प्रदेश में सोयाबीन विकास की स्कीम।

तिलहन

(i) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में सोयाबीन विकास के लिए स्कीम।

(ii) आन्ध्र प्रदेश मैसूर, तमिलनाडु में 1972-73 में शुरू की गई सूरजमुखी विकास की स्कीम 1973-74 में भी जारी रखी जायेगी। बाद में इस में जो राज्य जोड़े जायेंगे उनका फैसला बाद में होगा।

(iii) केरल और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह में लाल तेल खजूर के विकास की परियोजनाएँ।

राज्यों में 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' के एककों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें

*274. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार को हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स' के एककों के कार्यकरण के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की शिकायतें मिली हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी नहीं, किन्तु यदाकदा कुछ शिकायतें अभ्यावेदन कर्मचारियों या भूतपूर्व कर्मचारियों से उनकी कठिनाइयों के बारे में प्राप्त हुए थे।

(ख) से (ग):—प्रश्न ही नहीं उठते।

फिल्म उद्योग के बारे में खोसला समिति के प्रस्तावों की क्रियान्वित

*375. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फिल्म उद्योग के बारे में खोसला समिति के प्रस्तावों को क्रियाविन्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) खोसला समिति की रिपोर्ट की भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों, राज्य सरकारों और फिल्म उद्योग के विभिन्न संगठनों के परामर्श से विस्तार से जांच की गई है। इस प्रक्रिया में कुछ समय लगा है। उम्मीद है निर्णय शीघ्र ही लिए जायेंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

नीदरलैण्ड से दूर संचार संगणक

*276. **श्री वेकारिया :**

श्री डी० पी० जडेजा :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीदरलैण्ड ने हाल में भारत को दूरसंचार संगणक देने की पेशकश की है, और यदि हाँ, तो ऐसे एक संगणक की लागत क्या है;

(ख) इसका भुगतान किस प्रकार किया जायेगा; और

(ग) इनको किन केन्द्रों पर लगाया जायेगा ?

संचार मंत्री (श्री हेमवतीनंदन बहुगुणा) (क) जी हाँ। नीदरलैण्ड सरकार ने भारत को लगभग 15 लाख अमरीकी डालर की लागत का एक 'मेसेज-स्विचिंग दूरसंचार कम्प्यूटर' देने की पेशकश की है।

(ख) उक्त उपस्कर विश्व मौसम-विज्ञान संघटन के स्वेच्छिक सहायता कार्यक्रम के अधीन भारत में आ रहा है, अतः इसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ग) उक्त संगणक को नई दिल्ली स्थित मौसम-विज्ञान विभाग के मुख्यालय में प्रतिष्ठापित किया जाएगा।

भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करना

*277 **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के बारे में कोई अंतिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 314, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, तत्कालीन भारतीय सिविल सेवा के भूतपूर्व सदस्यों की सेवा की कुछ विशेष शर्तों को संरक्षण प्रदान किया गया है, के विलोपन की व्यवस्था करने और आवश्यक प्रासंगिक,अनुपूरक तथा अनुवर्ती उपाय करने के लिए संसद् में एक विधेयक प्रस्तुत करने का निर्णय किया है।

औद्योगिक तथा अन्य सामान की पैकिंग के लिए प्लास्टिक के कंटेनर

*278 **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या **औद्योगिक विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक तथा अन्य सामान की पैकिंग के लिए प्लास्टिक के कंटेनर प्रयोग करने के प्रश्न को अन्तिम रूप से तय कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) :

(क) और (ख) : यद्यपि इस प्रकार का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विधाराधीन नहीं है किन्तु इस प्रकार के प्रतिस्थापन को बढ़ावा देने की सरकार की आमतौर पर नीति रही है। भारतीय मानक संस्था ने आवश्यकताएं बताते हुए कम से कम 5 लीटर और उसके अधिक के पोलीथेलीन के परीक्षण और नमूने लेने के तरीकों के लिए मानक तैयार किए हैं। इस मानक के अनुरूप बनाये गये डिब्बों में तरल पदार्थ, दवाइयों, सिन्थेटिक डिटरजेंट्स, वेजिटेबल आयल, फलों के रस, ग्लाइसरीन, पैट्रोलियम उत्पाद, मिनरल आयल, नान-आक्साइडिंग आरगेनिक एसिड आदि के लाने ले जाने के प्रयोग में लाया जा सकता है। यद्यपि पी. वी. सी./प्लास्टिक के डिब्बों के प्रयोग से टिन प्लेटों के आयात में कुछ कमी की जा सकेगी फिर भी इससे होने वाली विदेशी मुद्रा की बचत की निश्चित राशि का निश्चय कर सकना कठिन होगा।

जूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं करने वाली समाचार एजेंसियों को राज सहायता का बन्द किया जाना

*279. **श्री रेणुपद दास :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन समाचार एजेंसियों को दी जाने वाली राज सहायता बन्द करने का विचार कर रही है जिन्होंने मंजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियावन्ति नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)

(क) समाचार एजेंसियों को सरकार द्वारा कोई राज सहायता नहीं दी जाती। आकाशवाणी तथा अन्य सरकारी ग्राहक समाचार एजेंसियों को उनकी सेवाओं के इस्तेमाल के लिए परस्पर स्वीकृत शर्तों के आधार पर शुल्क का भुगतान कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोट्टायन (केरल) में अखबारी कागज कारखाने की स्थापना

*280 **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य के कोट्टायम जिले में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उपर्युक्त परियोजना की रोजगार क्षमता कितनी है ?

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) परियोजना को कार्याविन्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं:—

(1) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है।

(2) प्रारम्भिक कार्य की देख रेख करने के लिए आवश्यक कर्मचारियों सहित एक परियोजना प्रशासक की नियुक्ति की जा रही है।

(3) चुने हुए स्थल के अधिग्रहण हेतु कार्यवाही की गई है।

(4) खारे पानी की समस्या को हल किया जा रहा है।

(5) कच्चे माल की उपयुक्तता के बारे में आवश्यक परीक्षण पूरे हो गये हैं।

(6) अवस्थापना सुविधाओं पर केरल राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श प्रगति पर है।

(7) प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की क्षमता प्राय: 1000 होगी और परोक्ष क्षमता 5000 हो सकेगी।

काश्मीर में राष्ट्र-विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक नारे

1965. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 2 मार्च, 1972 को श्रीनगर में एक बड़ी भीड़ ने राष्ट्र-विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक नारे लगाये थे ;

(ख) क्या कुछ संगठित ग्रुप राजनैतिक दल की आड़ में काश्मीर के लोगों में राष्ट्र-विरोधी भावनायें भड़काते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बात का पता लगाने हेतु जाँच कराई है कि इन अर्ध राजनीतिक संगठनों की कार्य प्रणाली क्या है और विदेशी शक्तियों द्वारा किस हद तक इनको कार्यरूप दिया जा रहा है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) : राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 2 मार्च, 1972 को श्रीनगर में होटल बादशाह के बाहर एक भीड़ जमा हुई थी जहाँ मौलवी फारूक एक प्रैस सम्मेलन में भाषण करने गये थे। भीड़ ने ये नारे लगाने आरम्भ किये "ये मुल्क हमारा है, इसकी हिफाजत हम करेंगे, कौमी एक जहाती जिन्दाबाद, आवाज दो हम एक हैं और इस्लाम जिन्दाबाद।"

(ख) : राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस प्रकार की कोई बात ध्यान में नहीं आई है।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस घटना के सम्बन्ध में अब तक दस व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और आगे तहकीकात की जा रही है।

बिहार लघु उद्योग

1966. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) बिहार में जिलावार कुल कितने लघु उद्योग हैं और वे किस-किस स्थान पर स्थित हैं ;

(ख) क्या सरकार को इन उद्योगों को लोहा तथा इस्पात की सप्लाई करने के बारे में कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)

(क) बिहार में 31/3/1971 तक उद्योग निदेशालय द्वारा पंजीकृत एककों की कुल संख्या 8637 थी। स्थानों के नाम, जहाँ ये एकक स्थापित हैं, की सूचना का इकट्ठा किया जाना इसमें लगने वाले समय और श्रम के अनुरूप उचित नहीं होगा।

(ख) और (ग) : जी हां। देश में लोहे और इस्पात की सामान्य रूप से कमी है और यह समस्या केवल अकेले बिहार राज्य के लिए ही नहीं है। सरकार संपूर्ण लघु उद्योग एककों के लिए लोहे और इस्पात के आवंटन के बढ़ाने के लिए लगातार प्रयत्न शील है। पिछले कुछ समय पहले 10.00 करोड़ रु० की राशि लोहे और इस्पात का विशेषकर लघु उद्योगों के लिए आयात करने का भी निश्चय किया गया था।

गुजरात की राजधानी को अन्य स्थान पर बनाना

1967. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य की नई राजधानी को गांधीनगर में बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव को त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार गांधी नगर में निर्मित इमारतों को सैनिक शिवर को सौंपने का है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क) : जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को धन देने की कसौटी

1968. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए धन का आवंटन करते समय सरकार द्वारा क्या कसौटी अपनाई जाती है; और

(ख) 1968-69, 1969-70 और 1970-71 में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी धनराशि दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) : राज्य स्वयं कितने साधन जुटा पायेंगे तथा उन्हें कितनी मात्रा में केन्द्रीय सहायता सुलभ होगी, इसके आधार पर राज्यों की वार्षिक योजनाओं के आकार का निश्चय किया जाता है। गत वर्ष की प्रगति, चालू वर्ष के सम्भावित कार्य और पाँच वर्ष के वित्तीय और भौतिक लक्ष्य की वास्तविक प्रगति के आधार पर वार्षिक योजनाओं के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों का वितरण किया जाता है।

राज्यों की 1968-69 की वार्षिक योजना के लिए उपलब्ध 590 करोड़ रुपये का वितरण उस अनुपात के आधार पर किया गया जो अलग-अलग राज्यों की पंचवर्षीय सहायता (1966-71) और सभी राज्यों को पाँच वर्ष के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के मध्य विद्यमान हो। यह काम 1/3 तक की अधिक अदायगी या 1966-67 और 1967-68 में सहायता में केन्द्रीय सहायता की कम अदायगी में सुधार करने वाले घटक को छोड़ कर किया जाना चाहिए। वर्ष के दौरान बाद में यह राशि कुछ राज्यों को कतिपय मुख्य सिंचाई स्कीमों और छोटी सिंचाई के काम में तेजी लाने तथा नागालैंड की विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दे दी गई।

जहाँ तक वर्ष 1969-70 और 1970-71 का सम्बन्ध है, राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिये उपलब्ध कुल सहायता का वितरण उसी अनुपात से किया जाता है जो अनुपात प्रत्येक राज्य की चौथी योजना (1969-74) केन्द्रीय सहायता और सभी राज्यों की चौथी योजना (1969-74) के मध्य है।

वर्ष 1968-69 में केन्द्रीय सहायता देने के तत्व का निश्चय उक्त वर्ष लागू स्कीमवार प्रणालियों के आधार पर किया गया। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने, 1969-70 से, सभी राज्यों को अनुदान के रूप में समान रूप से कुल केन्द्रीय सहायता (30 प्रतिशत) के निश्चित अनुपात के रूप में दी जाती है। जहां तक नागालैंड, असम के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडु, हिमाचल प्रदेश के सीमान्त क्षेत्र और जम्मू व काश्मीर का सम्बन्ध है, इनको अधिक उदारता से अनुदान दिया जाता है।

एक विवरण जिसमें राज्यों की वार्षिक योजनाओं 1968-69; 1969-70 और 1970-71 के लिए स्वीकृत केन्द्रीय सहायता (ऋण और अनुदान दर्शाया गया है, सभा पटल पर प्रस्तुत है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी-1660/72]

थुम्बा आन्तरिक अनुसंधान केन्द्र के एक एकक का हैदराबाद में स्थानान्तरण

1969. **श्री वयालार रवि :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थुम्बा अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र के किसी एक एकक को हैदराबाद में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)

(क) अन्तरिक्ष विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र के उपग्रह प्रणाली प्रभाग को थुम्बा से हैदराबाद या बंगलौर स्थानान्तरित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) उपग्रह प्रणाली प्रभाग के भविष्य के कार्यक्रम के लिए आवश्यक पर्यावरणीय परीक्षण सुविधाएं हैदराबाद तथा बंगलौर में उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को थुम्बा में

स्थापित करने पर न केवल बहुत खर्च आएगा अपितु प्रस्तावित उपग्रह कार्यक्रम भी निर्धारित अवधि से काफी पिछड़ जाएगा। उपग्रह प्रणाली प्रभाग के कार्यक्षेत्र को समुद्र तट से दूर हटाने का कारण यह भी है कि उपग्रह में सूर्य के प्रकाश से चलने वाले जो सैल लगाये जायेंगे वे खारीपन से संक्षारित न हो जायें।

राज्यों में शिक्षित बेरोजगार

1970. **श्री वयालार रवि :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता के आधार पर उन पहले चार राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें सबसे अधिक शिक्षित बेरोजगार हैं; और

(ख) क्या इन राज्यों को कोई विशेष सहायता देने का सरकार का प्रस्ताव है जिससे वे बेरोजगारी की समस्या को हल कर सकें ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) और (ख) विभिन्न राज्यों में बेरोजगारी के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। रोजगार कार्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मैट्रिक पास या उससे अधिक योग्यता वाले रोजगार के इच्छुक व्यक्ति सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल (3.69 लाख) में रजिस्टर कराने आये। इसके बाद उत्तर प्रदेश (2.32 लाख), केरल (2.01 लाख) और महाराष्ट्र (1.99 लाख) का नम्बर आता है।

विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए 1971-72 में 25 लाख रुपये वार्षिक व्यय वाले विशेष कार्यक्रम शुरू किये गये। इनमें ये शामिल हैं,

(1) प्राथमिक शिक्षा का विस्तार तथा किस्म में सुधार,

(2) ग्रामीण इंजीनियरिंग सर्वेक्षण,

(3) कृषि सेवा केन्द्र,[1]

(4) सहकारी उपभोक्ता समितियों का त्वरित विकास,

(5) छोटे उद्यमियों का समर्थन,

(6) सड़क परियोजनाओं की तैयारी; और

(7) ग्रामीण जल सप्लाई स्कीमें।

1972-73 के बजट में प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए 30 करोड़ रुपये और विशेष रोजगार स्कीमों के लिए 60 करोड़ रुपये रखे गये हैं। वर्ष 1971-72 में जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसे जारी रखने के अलावा, अतिरिक्त राशि के एक भाग का सभी राज्यों में

इंजीनियरों, तकनीशियनों व वैज्ञानिकों जैसे उच्च शिक्षा प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों के लिए रोजगार तथा प्रशिक्षण के अवसर सुलभ करने पर व्यय करने का प्रस्ताव है। इस स्कीम में अनुसंधान व विकास प्रयत्न को बढ़ावा देने, प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण, देशी तथा आयातीत दोनों प्रकार के औद्योगिक आधार, सरकारी क्षेत्र उद्यमों तथा मूल्यांकन प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ करना शामिल है, कुछ धनराशि विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को इंजीनियरों और वैज्ञानिकों जैसे उच्च तकनीकी कर्मचारियों सहित जन संख्या के सभी वर्गों को अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से देने का प्रस्ताव है। इस समय किसी खास राज्य को किसी प्रकार की विशेष सहायता देने का प्रस्ताव नहीं है।

टेलीविजन कार्यक्रम में प्रादेशिक भाषाओं के लिए समय का आवंटन

1971. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीविजन कार्यक्रमों में प्रादेशिक भाषाओं के लिए किस आधार पर समय निश्चित किया जाता है; और

(ख) गत छः महीनों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं को औसतन प्रतिमास कितना समय दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) तथा (ख) : दिल्ली टेलीविजन केन्द्र के अधिकांश कार्यक्रम हिन्दी में होते हैं। इसके बाद अंग्रेजी कार्यक्रमों का नम्बर आता है। तमिल, तेलुगु, मलयालम तथा कन्नड़ समेत प्रादेशिक भाषाओं के लिए विशिष्ट रूप से कोई समय अलाट नहीं किया गया है। तथापि, इन कार्यक्रमों में इन भाषाओं की फीचर फिल्में तथा संगीत के कुछ कार्यक्रम शामिल हैं तथा उनकी प्रति मास कुल अवधि लगभग 2 घन्टे 30 मिनट की है।

कन्नूर जिला (केरल) में चीनी मिट्टी उद्योग

1972 : **श्री रामेन्द्रन कडनाप्पली :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल के कन्ननूर जिले में चीनी की मिट्टी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार चीनी मिट्टी के प्रयोग से इस क्षेत्र में कुछ उद्योग आरम्भ करने का है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हाँ।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

रिचार्डसन एन्ड क्रुड्डास कम्पनी, बम्बई को अपने नियन्त्रण में लेना

1973. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रिचार्डसन एण्ड क्रुड्डास कम्पनी, बम्बई को अपने नियंत्रण में लेने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :(क) जी, हाँ ।

(ख) प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं और ब्यौरे की, जिसमें संसद द्वारा विधान बनाने का विचार है; इस समय जांच की जा रही है ।

सफदरजंग डैवलपमेंट एन्कलेव, नई दिल्ली के बैंक में डाका

1974. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उन दो युवकों के बारे में कोई जानकारी मिली है जो सफदरजंग डैवलपमेंट एन्कलेव, नई दिल्ली के एक बैंक में डाका डालने के पश्चात् भाग निकले थे और अब वे इंडोनेशिया में जेल काट रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी हाँ । दो युवक अर्थात् मलिक जाहजा और ए० रहमान को इन्डोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली के पंजाब नैशनल बैंक में डाका डाला था ।

(ख) : इस मामले में अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए इन्डोनेशिया के प्राधिकारियों से बातचीत की गई है ।

हिन्दी फिल्म 'जय बंगला' को अप्रमाणित घोषित करना

1975. **श्री मुहम्मद शरीफ़ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी फिल्म 'जय बंगला' को चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत अप्रमाणित घोषित कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ । तथापि, फिल्म का नाम 'जय बंगला देश' है ।

(ख) केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अक्टूबर, 1971 में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाण-पत्र दिया था। देश के विभिन्न थियेटरों में यह फिल्म रिलीज होने के बाद समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में छपी समालोचनाओं तथा लोगों की शिकायतों के द्वारा सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई कि इस फिल्म में बंगला देश के स्वतन्त्रता सेनानियों के वीरतापूर्ण संघर्ष को बेहूदे, हास्यास्पद तथा मजाकिये ढंग से चित्रित किया गया है और उससे बंगला देश के लोगों के स्वाधीनता संघर्ष का अपमान होगा। तब सरकार ने मामले की जाँच की और फिल्म के निर्माताओं को अपना दृष्टिकोण रखने का मौका देने के उपरान्त वह इस नतीजे पर पहुँची कि फिल्म मुख्य रूप से कल्पना पर आधारित है और वह 'मुक्ति वाहिनी' के वीरतापूर्ण संघर्ष को उस गम्भीरता के साथ प्रस्तुत करने में असफल रही है जिसकी आवश्यकता थी, और इस महान भावात्मक मामले को हल्के रूप से लिये जाने से इस संघर्ष में लगे बंगला देश के लोगों तथा उनसे सहानुभूति रखने वाले भारत के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचने की आशंका थी। क्योंकि फिल्म का प्रदर्शन जारी रखना एक विदेशी राज्य, अर्थात् बंगला देश, से दोस्ताना सम्बन्धों के हितों के विरुद्ध होता, अतएव, फिल्म को अप्रमाणीकृत कर दिया गया है।

केरल में डाक घर

1976. **श्री रामचन्द्रन कडनाप्पली :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971-72 में केरल में कुल कितने डाकघर खोले गये, और

(ख) 1972-73 में कुल कितने डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) 1971-72 में केरल में 65 डाकघर खोले गए हैं।

(ख) चौथी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य और इस दिशा में अब तक हुई प्रगति को दृष्टि में रखते हुए विभाग इस प्रश्न पर फिर से विचार कर रहा है।

केरल में सिनेमा प्रोडक्शन यूनिट को सहायता

1977. **श्री रामचन्द्रन कडनाप्पली :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें राज्य में प्रस्तावित सिनेमा प्रोडक्शन यूनिट के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

काश्मीर में तोड़-फोड़ करने के लिए विदेशी धन की भूमिका

1979. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**

श्री सी० टी० दंडपाणि :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में काश्मीर में "अल फतह" के जैसे एक संगठन को पूर्णरूप से समाप्त कर दिया गया है ?

(ख) क्या काश्मीर में तोड़-फोड़ करने के लिए इस संगठन को विदेशी धन की सप्लाई होने के बारे में कुछ ठोस प्रमाण प्रकाश में आये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो धन की सप्लाई के स्त्रोत को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) :—जम्मू व काश्मीर सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तोड़-फोड़ की गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त कुछ व्यक्ति हाल ही में गिरफ्तार किये गये हैं तथा उनके विरूद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि गिरफ्तार व्यक्तियों ने तोड़फोड़ के कार्यों के लिए विदेशी धन प्राप्त किया है।

बिहार के पूर्णिया जिले में सन्थालों की हत्या

1980. **श्री एच०एम० पटेल :**

श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बिहार के पूर्णिया जिले में नवम्बर, 1971 में सन्थालों की सामूहिक हत्या का मूल कारण भूमि सम्बन्धी समस्याएं और भूमि-सुधारों की धीमी गति है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है और क्या श्री मिर्धा की रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ़०एच०मोहसिन) : (क) तथा (ख) :—पूर्णिया जिले के तथा उस गांव के अपने दौरे के बाद रिकार्ड किये गये अपने दौरे के विचारों में, जहाँ घटना घटी थी, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा ने सुझाव दिया था कि समाज के कमजोर वर्ग के फसल-साझीदारों के हितों की रक्षा करने तथा अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले कानून के उपबन्धों को कठोरता से लागू करने के लिए राज्य सरकार कारगर उपाय करे।

उनकी सिफारिशें राज्य सरकार को भेज दी गई हैं और उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखकर प्राथमिकता के आधार पर प्रशासनिक तथा विधायी कार्यवाही शुरु करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि इस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है।

विदेशी बैंकों में भूतपूर्व नरेशों के खाते

1981. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में विदेशी बैंकों में भूतपूर्व नरेशों के खातों की जाँच का काम राजस्व गुप्तचर विभाग ने अपने हाथों में ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या जाँच की गई है और इससे क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में टी० बी० अस्पताल ग्राउंड में हुई सार्वजनिक सभा

1982. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 29 फरवरी, 1972 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में पृष्ठ 7 पर प्रकाशित सम्पादक के नाम पत्र को देखा है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली कांग्रेस (नई) द्वारा टी० बी० अस्पताल ग्राउंड, किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में चुनाव प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सभा की गई थी;

(ख) क्या ऐसी चुनाव-सभा करने के लिए दिल्ली नगर निगम से कोई अनुमति नहीं ली गई थी;

(ग) क्या स्वास्थ्य अधिकारियों, निरीक्षकों तथा इंजीनियरों सहित दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य तथा निर्माण विभाग के सभी सदस्य सभा की व्यवस्था करने में व्यस्त थे और यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जाँच की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (घ) सरकार ने 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक को संबोधित दिनाँक 29 फरवरी, 1972 का पत्र देखा है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभा करने की आज्ञा प्राप्त की थी। यह सभा राजन बाबू टी० बी० अस्पताल की चारदीवारी में दूर एक कोने में होनी थी और इसके कारण बीमारों को कोई असुविधा नहीं होनी थी। गत वर्षों में इस ग्राउंड का प्रयोग रामलीला मैदान के लिये किया जाता रहा है। यह ग्राउंड सुरक्षा की दृष्टि से भी उपयुक्त समझा गया था। इस सभा को करने के लिये आज्ञा प्रदान की

गई थी और प्रदेश काँग्रेस कमेटी से 40 रु० किराया लिया गया था। प्रदेश काँग्रेस कमेटी ने रास्ते के लिए दो स्थानों पर चारदीवारी को तोड़ कर खोला भी था और 15 रु० प्रति फुट के हिसाब से 610 रुपये क्षति के रूप में प्रदेश काँग्रेस कमेटी से वसूल किये गये हैं। चूंकि ग्राउंड का किराया लिया गया था, और ग्राउंड पर कूड़ा करकट फैला हुआ था अतः 15 फरवरी, 1972 को प्रातः सफाई व्यवस्था के कर्मचारियों द्वारा नेमी सफाई का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त चूंकि ग्राउंड का रास्ता उस मिट्टी से रुक गया था जो चारदीवारी के निकट सीवर (मलप्रणल) डालने के लिए खोदी गई थी अतः उस मिट्टी को हटाने के लिये इंजीनियरिंग विभाग के कुछ कर्मचारी तैनात किये गये। किन्तु इस सभा के लिये इस प्रकार का कोई प्रबन्ध क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी अथवा क्षेत्रीय इंजीनियर अथवा उनके कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया।

पश्चिम बंगाल को इस्पात के कोटे का आवंटन

1983. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी** : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इस्पात का आवंटन करने हेतु इस्पात के विशेष कोटे के लिए पश्चिम बंगाल सरकार का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :—

वर्तमान वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यवार आवंटन नहीं होता। इस्पात का भेजना इस्पात प्राथमिकता समिति द्वारा इस्पात से तैयार होने वाली वस्तु की आवश्यकता, उसकी उपलब्धता तथा प्रतिस्पर्धात्मक मांग को दृष्टि में रखकर विनियमित किया जाता है।

यद्यपि सम्भरण में कुछ थोड़ा समज्जन संभव है फिर भी तदर्थ आधार पर पर्याप्त और विशिष्ट आवंटन किसी अन्य राज्य अथवा औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में से ही हो सकता है।

दिल्ली प्रशासन में अधीक्षकों के रिक्त पद

1984. **चौधरी दलीप सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1972 को दिल्ली प्रशासन के विभिन्न कार्यालयों में रिक्त पड़े ग्रेड, के पदों (अधीक्षकों) की कुल संख्या कितनी थी; और

(ख) दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों में इस समय कार्य कर रहे उन कार्यालय अधीक्षकों (ग्रेड) के नाम क्या हैं जो 1972 और 1973 में सेवानिवृत्त हो जायेंगे और वे किस-किस तारीख को सेवानिवृत होंगे ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन) (क) और (ख) :–29-2-72 को दिल्ली प्रशासन के कार्यालयों में अधीक्षक (ग्रेड) का कोई पद खाली नहीं था। सन् 1972 और

1973 में निम्नलिखित नौ अधीक्षक (ग्रेड) जिनके नाम के आगे उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि दी गई है, सेवा-निवृत्त हो रहे हैं:—

1972

श्री भीम सिंह	3-5-72
श्री किशन चन्द	13-5-72
श्री राम चरण	31-7-72
श्री ठाकुर दास	1-8-72

1973

श्री वाई० वर्मा	25-1-73
श्री भगवान सिंह	14-4-73
श्री कृष्ण कुमार	15-6-73
श्री वी० एन० असरी	18-12-73
श्री मीरसिंह	13-10-73

मध्य प्रदेश में भूतपूर्व नरेशों के कब्जे में शस्त्रास्त्र

1985. **श्री ए० के० गोपालन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मध्य प्रदेश में भूतपूर्व नरेशों, जमीदारों और सरदारों के कब्जे में बड़ी संख्या में शस्त्रास्त्र हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या उपाय किये हैं कि मध्य प्रदेश सरकार उनसे गैर लायसैंस शुदा शस्त्र ले ले ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) :—मध्य प्रदेश समेत समस्त देश में भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों के सदस्यों के पास उस छूट के अन्तर्गत पर्याप्त मात्रा में हथियार व गोला बारुद हैं जो उन्हें प्राप्त थी।

संविधान (26 वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रवर्तन के बाद नरेश अब नरेश नहीं रहे हैं। तदनुसार मध्य प्रदेश समेत सभी राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि भूतपूर्व नरेशों को उन सभी हथियारों के बारे में पूर्ण सूचना देनी चाहिए जो कि उनके अधिकार में हैं और उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सम्बन्धित भूतपूर्व नरेश अपने हथियारों को तब तक न बेचें, न भेंट करें अथवा अन्य प्रकार से निपटान न करें जब तक कि उन्हें इसके लिए लाइसेंस अथवा अनुमति नहीं दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने इस सम्बन्ध में जिला प्राधिकारियों तथा भूतपूर्व नरेशों को उपयुक्त अनुदेश जारी किये हैं।

दिल्ली टेलीफोन-प्रयोक्ताकताओं द्वारा बढ़ाकर दिए गये टेलीफोन-बिलों की जांच की मांग

1986. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :**

श्री बक्सी नायक :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के संसद-सदस्यों सहित लगभग 2000 टेलीफोन प्रयोक्ताओं से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसमें बढ़ाकर दिये गए टेलीफोन बिलों के बारे में की गई शिकायतों की जांच करने की मांग की गई है,

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) सरकार के पास कुछ संसद-सदस्यों सहित 2,000 टेलीफोन ग्राहकों से ऐसा कोई ज्ञापन नहीं मिला है जिसमें टेलीफोन बिलों में रकमें बढ़ा-चढ़ा कर दिखाने की शिकायतों की जांच कराए जाने की मांग की गई हो। तथापि लोक-सभा की याचिकाओं-विषयक समिति के जरिये एक ज्ञापन अवश्य मिला है जिस पर 8 ग्राहकों के हस्ताक्षर हैं और एक संसद-सदस्य ने प्रतिहस्ताक्षर किया है ।

(ख) इन टेलीफोन ग्राहकों ने रकम बढ़ा-चढ़ा कर बनाए बिलों और दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट में दुर्व्यवस्था के बारे में शिकायत की है । उन्होंने इस बात का भी अनुरोध किया है कि इस तरह की शिकायतों की जांच के लिए एक कार्यविधि बनाई जाए ।

(ग) लोक-सभा की याचिकाओं विषयक समिति ने इस सिलसिले में 20-1-1972 को डाक-तार विभाग के अधिकारियों की गवाही ली । इस समिति की रिपोर्ट मिलने पर विभाग आगे कार्यवाही करेगा ।

अखबारी कागज सलाहकार समिति की बैठक के बारे में प्रेस विज्ञप्ति

1988. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 दिसम्बर, 1971 को हुई अखबारी कागज सलाहकार समिति की बैठक में हुए विचार विमर्श और निष्कर्षों के बारे में प्रेस विज्ञप्ति में अखबारी कागज सलाहकार समिति में आई० ई० एन० एस० के एक प्रतिनिधि द्वारा दिये गये एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) प्रेस विज्ञप्ति में विचार विमर्श को गलत रूप में पेश करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग) : इण्डियन एण्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर्स सोसाइटी के प्रतिनिधि की टिप्पणी 'आम राय' शब्द के प्रयोग के बारे में थी। प्रेस विज्ञप्ति में प्रयोग किये गए इस शब्द का तात्पर्य समिति की बैठक में व्यक्त किए गए विचारों के सामान्य रूझान से था। इण्डियन लेंग्वेज न्यूजपेपर्ज एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले इस समिति के दो अन्य सदस्यों ने, जो बैठक में भी उपस्थित थे, बाद के एक प्रेस वक्तव्य में, प्रेस विज्ञप्ति में वर्णित स्थिति की पुष्टि की है।

लुफथांसा जम्बो जेट का अपहरण करके अदन ले जाने वाले अम्मान के तीन व्यक्तियों की गतिविधियों की पुलिस द्वारा जांच

1990. **श्री एस० एम० बनर्जी :**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस, अम्मान के उन तीन व्यक्तियों की राजधानी में गतिविधियों की जांच कर रही है जो 21 फरवरी, 1972 को पालम हवाई अड्डे पर लुफथांसा जम्बोजेट में बैठे थे और उसका अपहरण करके उसे अदन ले गये थे :

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) दिल्ली पुलिस द्वारा कोई औपचारिक जांच-पड़ताल नहीं की गई थी किन्तु मामले में अनौपचारिक पूछ-ताछ की गई थी।

(ख) 30/31 जनवरी, 1972 की राशि को अम्मान के तीन राष्ट्रीय दीन मोहम्मद, अल-मतेकी, अल-रेड़ामी एयरइंडिया के विमान से दिल्ली आये तथा उनके पास एथेन्स के वापसी टिकट थे। उनके आप्रवास कार्ड (इमीग्रेशन कार्ड) में करीम बैन सैयद, अब्दुल रजाक और सुल्तान एम० अलाजरामी फर्जी नाम लिखे हुए थे। वे रात्रि को जनपथ होटल में ठहरे थे, जहां उन्होंने अपने आपको होटल तक ही सीमित रखा तथा उनका दिल्ली में किसी के साथ सम्बन्ध होना असम्भव जान पड़ता है। 21/22-2-72 की रात्रि में वे एयर लाइन की गाड़ी से जनपथ होटल से दिल्ली हवाई अड्डे पहुंचे। उनके विमान में सवार होने से पहले ही दिल्ली हवाई अड्डे पर पुलिस ने उनकी पूरी तलाशी ली थी। यह असम्भव जान पड़ता है कि वे अपने साथ विमान में कोई विस्फोटक पदार्थ तथा हथियार ले गये थे। उनके दो सहापराधी, एक हांगकांग तथा दूसरा बैंकांक से, विमान में सवार हुए, जहां यात्रियों की केवल अनियमित जांच होती है।

(ग) जी नहीं।

कानपुर में टेलिविजन केन्द्र

1991. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में कानपुर में टेलीविजन केन्द्र स्थापित करने के सम्बन्ध में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) चौथी योजना के दौरान कानपुर में एक टेलीविजन प्रेषण केन्द्र, जिससे लखनऊ टेलीविजन केन्द्र के कार्यक्रम रिले होंगे, स्थापित करने की व्यवस्था है ।

(ख) स्थान अधिग्रहण किया जा रहा है तथा उपकरणों के लिए आर्डर भेज दिये गये हैं ।

कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता

1993. **श्री रोबिन सेन :**

श्री अजीत कुमार साहा :

क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कन्टेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड: कलकत्ता के प्रबन्धकों ने कच्चे माल को बाहर बेच दिया है और उसका उत्पादन बन्द किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) इस आशय की एक शिकायत मिली है कि कन्टेनर्स एन्ड क्लोजर्स लि०, कलकत्ता ने कुछ कच्चा माल जैसे गलवेनाइज्ड शीटि खुले रूप में अनुचित प्रयोग के लिए दी हैं । यह शिकायत सम्बन्धित अधिकारियों के पास जांच और आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गयी है ।

बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़े संकलित करने के लिए सर्वेक्षण

1994. **श्री राजदेव सिंह**

श्री मुहम्मद शरीक :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगारी और अपूर्ण-रोजगारी के यथार्थ आंकड़े संकलित करने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त संकल्पनाएं और परिभाषाएं तैयार करने के लिये क्या सरकार का गाँवों और नगरों में शीघ्र ही कोई पूर्ण सर्वेक्षण करने का विचार है;

(ख) क्या यह पूर्ण सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 26वें सर्वेक्षण जैसा ही होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो 27 वां सर्वेक्षण किस-किस दृष्टि से भिन्न होगा ?

प्रधान मंत्री, परमाणु, ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार और बेरोजगारी

के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करने के मुख्य ध्येय से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण (1972-73) के 27 वें दौर में रोजगार सम्बन्धी एक सर्वेक्षण किया जाएगा। उसका उद्देश्य केवल उपयुक्त संकल्पनाएं और परिभाषाएं प्रस्तुत करना ही न होगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) छब्बीसवें दौर में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का मुख्य ध्येय रोजगार और बेरोजगारी सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह करना नहीं है, तथापि, आंशिक रूप में रोजगार विषयक सूचना एकत्र करना है। 27वें दौर में किये जाने वाले सर्वेक्षण का उद्देश्य शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार तथा बेरोजगारी सम्बन्धी विस्तृत जानकारी एकत्र करना है।

कृत्रिम अंगों का उत्पादन

1995. **श्री बी० के० दासचौधरी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृत्रिम अंगों के उत्पादन के लिए औद्योगिक एकक स्थापित करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :—कृत्रिम अंगों और उसके हिस्सों का उत्पादन करने के लिये एक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। योजना का विस्तृत ब्यौरा अभी अंतिम रूप से तैयार नहीं हुआ है।

नागालैंड पुलिस द्वारा घायल किये गये आसाम पुलिस के कर्मचारी

1996. **श्री दिनेशचन्द्र गोस्वामी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैंड पुलिस ने 7 मार्च 1972 को आसाम के अम्गरी गांव में आसाम पुलिस के दो कर्मचारियों को संगीनों के प्रहार से घायल कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हाँ, श्रीमान। किन्तु गेलेकी रिजर्व्ड फोरेस्ट में।

(ख) दोनों राज्य सरकारों से सम्पर्क स्थापित किया गया था 'और उन्हें उचित सलाह दी गई थी। असम-नागालैंड सीमा सम्बन्धी सलाहकार भी दोनों राज्यों में गये थे और उनके निर्देशन अनुसार दोनों सरकारें सीमा समस्या पर उनकी सिफारिशें प्राप्त होने तक एक अस्थायी समझौते पर पहुंच गई हैं, जिसमें गेलेकी रिजर्व्ड फोरेस्ट क्षेत्र से सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों को हटा लेना भी शामिल है।

पश्चिम बंगाल के उद्योगों को केन्द्रीय सहायता

1997. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में पश्चिम बंगाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा कुल कितनी सहायता दी गई;

(ख) उक्त राशि में से कितनी राशि प्रयोग की गई और औद्योगिक उत्पादन तथा रोजगार के अवसरों में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) आवंटित राशि का पूरा प्रयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध राज्य योजना के अधीन किसी विशिष्ट योजना या कार्यक्रम से नहीं है किन्तु यह राज्यों को एकमुश्त इकट्ठे अनुदान और एकमुश्त इकट्ठे ऋणों के रूप में दी जाती है। चौथी योजना की अवधि में पश्चिमी बंगाल को दी गई कुल केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

	रुपया करोड़ों में		
	कुल परिव्यय	राज्य के संसाधन	केन्द्रीय आवंटन
चौथी योजना	322.50	101.50	221.00
चौथी योजना (पुनः बनाई गई)	282.48	61.48	221.00
1969-70 (वास्तविक)	45.79	6.67	39.50
1970-71 (वास्तविक)	53.43	12.80	40.07
1971-72 (पूर्वानुमानित)	66.43	19.10	44.20
1972-73 (स्वीकृत)	73.52	30.65	42.87

पश्चिमी बंगाल की तीसरी योजना में उनकी कुल 250 करोड़ रुपयों की परियोजना में 155.10 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता दी गई।

सभी राज्य योजनाओं के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। केन्द्रीय सहायता का सीधा सम्बन्ध औद्योगिक क्षेत्रों की विशिष्ट योजनाओं और इससे होने वाले लाभ और रोजगार के अवसरों से बैठाना संभव नहीं है।

आनन्द मार्ग की गतिविधियां

1998. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें आनन्द मार्ग अपनी गतिविधियाँ चला रहा है;

(ख) क्या इस संगठन को विदेशों से वित्तीय सहायता मिल रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन देशों का पता लगाने के लिए जांच की है जो भारत में प्रयोग के लिए इस संगठन को धन दे रहे हैं, गत दो वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई और इसको किस प्रकार प्रयोग किया गया ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : आनन्द मार्ग अमेरिका, गुयाना, पश्चिमी जर्मनी, कीनिया, मिस्र, फिलिपिन्स, आस्ट्रेलिया और हांगकांग में अपने केन्द्र स्थापित किये जाने का दावा करता है।

(ख) तथा (ग) :— सरकार को मालूम है कि आनन्द मार्ग विदेशी स्रोतों से धन प्राप्त करता रहा। गत दो वर्षों के दौरान प्राप्त ऐसी विदेशी सहायता की मात्रा के सम्बन्ध में अथवा इसके उपयोग के तरीके के बारे में निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है।

दंगों पर नियंत्रण पाने के लिए रबड़ तथा लकड़ी के 'बुलेट' बनाने का प्रस्ताव

1999. **श्री के० मालन्ना :**

श्री हरि किशोर सिंह

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य हथियारों के प्रयोग के बजाय जिनसे मृत्यु हो जाती है यंत्रों तथा हिंसात्मक भीड़ पर नियंत्रण पाने के लिए रबड़ तथा लकड़ी की बुलेट बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जैसा कुछ अन्य देशों में प्रयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव के मुख्य कार्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : जी नहीं, श्रीमान्। परन्तु हम उपद्रवों पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से इस प्रकार के विशेष बुलेट की उपयोगिता मालूम करने की दिशा में प्रयोग कर रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

'फार्म' और 'होम' प्रसारण

2000. **श्री सी० चित्तिबाबू :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 'फार्म' और 'होम' प्रसारण के सम्बन्ध में किसानों की समस्याओं का प्रसारण करने के लिए 1971-72 में किसानों के कितने प्रतिनिधियों को तथा कितने अवसरों पर बुलाया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : 1971-72 के दौरान 4,141 अवसरों पर 6,856 किसानों को प्रसारण करने के लिए आमन्त्रित किया गया था।

भूतपूर्व नरेशों के पास शस्त्रास्त्र

2001. **श्री शशि भूषण :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे भूतपूर्व नरेशों के नाम क्या हैं जिनको उनके विशेषाधिकार की समाप्ति के पश्चात उन शास्त्रास्त्रों की सूची प्रस्तुत करने को कहा गया था जो उनके पास हैं;

(ख) किन-किन भूतपूर्व नरेशों ने उक्त सूची प्रस्तुत कर दी है और किन-किन नरेशों ने सूची प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) ऐसे मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे शस्त्रास्त्रों को बेच न दें सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) क्या उनको सूचियां भेजने के लिए नोटिस समय पर भेजा गया था और यदि नहीं, तो इस विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) और (ख) : 28-12-1971 को संविधान (26वां संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ होने के बाद नरेशों की मान्यता, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मान्यता दी गई थी, समाप्त हो गई है। अत: राज्य सरकारों को, जिनके माध्यम से शस्त्र अधिनियम लागू किया जाता है, सभी भूतपूर्व नरेशों तथा उनके परिवारों के छूट प्राप्त सदस्यों से उन सभी शास्त्रों की पूर्ण सूची देने को जो, उनके अधिकार में हैं कहने तथा बिना लाइसेंस अथवा अनुमति के अपने हथियारों को न बेचने, न भेंट करने अथवा निपटान न करने की सलाह देने के लिए लिखा गया है । राज्य सरकारों को उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझी गई न्यूनतम मात्रा में हथियार रखने तथा उन हथियारों के लिए जिन्हें वे बेचना चाहते हैं, लाइसेंस देने की भी सलाह दी गई है । राज्य सरकार से ऐसी सूचियों की प्रतीक्षा की जा रही है । अभी तक भारत सरकार के ध्यान में कोई ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें भूतपूर्व नरेशों ने अपेक्षित सूचना देने से इन्कार किया हो अथवा जहां सूचियां मांगने में आवश्यक विलम्ब हुआ हो ।

पुराना किला में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम

2002. **श्री शशि भूषण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पुराना किला, नई दिल्ली में प्रकाश तथा ध्वनि कार्यक्रम में कितने कलाकारों ने भाग लिया था;

(ख) उसमें से स्थायी कलाकारों की और अस्थायी कलाकारों की संख्या कितनी-कितनी है और उन्होंने संगीत तथा नाटक विभाग में किस तारीख से काम करना आरम्भ किया था; और

(ग) कलाकारों को कितने घंटे काम करना होता था; और अधिक समय तक कार्य करने के लिये उन्हें क्या प्रोत्साहन दिया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) 511 स्टाफ आर्टिस्ट, 109 कैज्युअल आर्टिस्ट ।

(ख) स्टाफ आर्टिस्टों के बीच स्थायी तथा अस्थायी प्रकार की कोई श्रेणी नहीं है, क्योंकि उनकी सेवाएँ ठेके पर होती हैं । लम्बी अवधि के ठेके पर काम करने वाले आर्टिस्ट नियमित स्टाफ आर्टिस्ट कहलाते हैं । विशिष्ट कार्यों के लिए दैनिक आधार पर लगाए जाने वाले आर्टिस्ट कैज्युअल आर्टिस्ट कहलाते हैं । मुख्यालय की यूनिट में कार्य करने वाले आर्टिस्टों के अलावा 7 प्रादेशिक यूनिटों में काम करने वाले नियमित स्टाफ आर्टिस्टों ने गीत तथा नाटक प्रभाग में 24-1-1959 तथा 18-1-1972 के बीच विभिन्न तारीखों से काम करना आरम्भ किया था ।

(ग) भिन्न-भिन्न श्रेणियों के आर्टिस्टों को भिन्न-भिन्न घंण्टे काम करना होता था । विषम समय पर कार्य करने के लिए बुलाए गये आर्टिस्टों के लिए परिवहन सुविधाएँ तथा जलपान उपलब्ध किया गया ।

संगीत और नाटक विभाग के कलाकार

2003. **श्री शशि भूषण :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार उन कलाकारों को स्थायी घोषित करने का है, जिन्होंने नई दिल्ली स्थित "पुराने किले" में प्रकाश और ध्वनि कार्यक्रम प्रस्तुत किया था और जो मंत्रालय के संगीत और नाटक विभाग में तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : जी, नहीं । 27 जनवरी, 1972 से पुराने किले में हुए ध्वनि और प्रकाश शो में जिन कलाकारों ने भाग लिया, उन पर वही सामान्य नियम तथा विनिमय लागू होते थे जो स्टाफ आर्टिस्टों और कैज्युअल आर्टिस्टों पर लागू हैं । इन आर्टिस्टों के सम्बन्ध में कोई अलग प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

विदेशी फर्मों का विस्तार

2004. **श्री शशि भूषण :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन विदेशी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें गत वर्ष निर्यात संवर्धन के नाम पर विस्तार करने की अनुमति दी गई अथवा दी जा रही है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : 1-1-1971 से 31-12-1971 की अवधि में विदेशी फर्मों को पर्याप्त विस्तार करने के लिए 3 औद्योगिक लाइसेंस तथा 2 आशय पत्र जारी किये थे जिनमें निर्यात की बाध्यता थी । इन फर्मों के नाम ये हैं—

लाइसेंस

1. एसोसिएटेड बैटरी मेकर्स (ईस्टर्न) लि०, कलकत्ता ।
2. ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया लि०, कलकत्ता ।
3. एटलस कोपको (इंडिया) प्रा० लि०, बम्बई ।

आशय पत्र

1. एसोसिएटेड बैटरी मेकर्स (ईस्टर्न) लि०, कलकत्ता ।
2. एल्यूमिनियम मैन्यूफेक्चरिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता ।

भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत विभिन्न समाचार पत्रों के सम्पादकों की नजरबन्दी

2005. **श्री शशि भूषण :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1971 से लागू राष्ट्रीय आपात स्थिति से लेकर अब तक भारत सुरक्षा नियम के अन्तर्गत विभिन्न समाचारों के कितने संपादकों को नजरबन्द किया गया है तथा उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) क्या कुछ संपादकों को इस बीच छोड़ दिया गया है, और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) तथा (ख) : राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना पर आधारित एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन सम्पादकों के नाम जो भारत सुरक्षा नियमों के विशिष्ट उपबन्धों के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किये गये थे अथवा जो आन्तरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अधीन नजरबन्द किये गये थे।	क्या छोड़ दिया गया
1	2	3	4
1.	बिहार	श्री गुलाब सरवर, सम्पादक, उर्दू दैनिकम "संगम" पटना।	नहीं।
2.	केरल	श्री पी० पी० कम्मू, सम्पादक, भप्पिलानाडु, मलयालम अर्धमासिक।	छोड़ दिया गया।
3.	महाराष्ट्र	श्री डी० एफ० कारका, सम्पादक, करन्ट वीकली, बम्बई।	छोड़ दिया गया।
		श्री अहमद अली बेग, चुगताई, सम्पादक, "सहर" साप्ताहिक, नन्डेड।	छोड़ दिया गया।
4.	मैसूर	श्री उस्मान असद, सम्पादक, उर्दू साप्ताहिक, "नशेमन"।	छोड़ दिया गया।
		श्री शलाहुदीन खाँ, सम्पादक, उर्दू साप्ताहिक, "जमजम"।	छोड़ दिया गया।
5.	तमिलनाडु	थीरू एम० धनुषकोडी, सम्पादक, तमिल दैनिक "नवशक्ति" मद्रास।	जमानत पर छोड़ दिये गये।
		थीरू सी० एन० संगामेश्वरन, उप सम्पादक, तमिल दैनिक "नवशक्ति" मद्रास।	जमानत पर छोड़ दिये गये।
6.	दिल्ली	श्री कोसर याज्दानी सम्पादक, कान्ती साप्ताहिक।	छोड़ दिया गया।
		श्री मोहम्मद मुस्लिम भोपाली, सम्पादक, दावत, उर्दू दैनिक, दिल्ली।	छोड़ दिया गया।
		श्री मोहमद यूसफ सिद्दीकी, सम्पादक, रेडियान्स अंग्रेजी, साप्ताहिक।	छोड़ दिया गया।
		श्री मुफ्ती जिया-उल हक जामियत टाइम्स, उर्दू साप्ताहिक।	छोड़ दिया गया।

दिल्ली को छोड़कर असम, गुजरात, हरियाणा, मनीपुर, नागालैंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में कोई सम्पादक गिरफ्तार। नजरबन्द, नहीं किया गया। शेष राज्यों के बारे में सूचना प्रत्याशित है।

भूतपूर्व नरेशों को दिए गए सुरक्षा गार्ड्स वापस लेना

2006. **डा० रानेन सेन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व नरेशों को दिये गए सुरक्षा गार्ड्स वापस ले लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके विलम्ब के कारण क्या हैं;

(ग) उन भूतपूर्व नरेशों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपने व्यय पर सुरक्षा गार्ड्स रखे जाने के लिए अनुमती मांगी है; और

(घ) उन्हें इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि देनी होगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (घ) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

Grant of Pension to Persons killed duriug the Freedom Struggle

2007. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Phool Chand Verma :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration any scheme to grant pension to persons killed during the freedom struggle; and

(b) if so, when 1 decision is likely to be taken?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b): The Government of India have formulated a scheme for the grant of pension to those freedom fighters who had undergoe imprisonment in the mainland jails for not less than six months and to their families if they are themselves no longer alive. The families of martyrs will also be eligible for the grant of pension. The scheme is to commence with effect from the 15th August, 1972.

Disruption of Means of Communications by Pak agents during Indo-Pak War

2008. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Dr. Laxminarain Pandey :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) Whether an attempt was made by Pakistani agents to disrupt means of communications in border area during the last Indo-Pak war ; and

(b) If so, the break up thereof, State-wise, and the steps proposed to be taken in future in this regard ?

The Deputy Minister in the Minitry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) and (b) : A number of such attempts were made in the Eastern Sector in the months preceding the war. The number of incidents of sabotage/attempted sabotage to disrupt means of communications was small during the war itself and, according to information received from State Governments, was two in Punjab, one in Rajasthan, two in Bihar and nil in Gujarat, Meghalaya, Assam and Tripura. Information in respect of West Bengal and Jammu & Kashmir is awaited.

Precautionary measures, including strengthening of arrangements for the collection of advance intelligence guarding of vital installations/vulnerable points, patrolling of railway tracks and important road links, surveillance of persons likely to be given [shelter to Pakistani saboteurs etc., were taken. Such measures, to the extent still considered necessary, are being continued.

Arrest of Underground Pak Nationals in the Utter Pradesh

2009. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of underground Pakistant nationals arrested in various parts of Utter Pradesh during the last five months ; and

(b) the action taken against them.

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) 15 Pakistani nationals were arrested from October, 1971 to 29th February, 1972.

(b) Interned under Foreigners (Internment) Order, 1962.	10
Being prosecuted under Foreigners Act, 1946.	5

समाचार भारती को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये अनुदान/ऋण

2010. **श्री कुमार मांझी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में "समाचार भारती" समाचार एजेंसी को केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना अनुदान/ऋण दिया गया और इस अवधि में किये गये व्यापार से कितना धन प्राप्त हुआ ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : केन्द्रीय सरकार द्वारा "समाचार भारती" समाचार एजेंसी को दिया गया ऋण इस प्रकार है :—

19(6-67	1967-68	1968-69
रुपए	रुपए	रुपए
—	75,000	75,000

जैसा कि "समाचार भारती" समाचार एजेंसी ने बताया है, 1967 (जब इसकी स्थापना हुई), 1968 तथा 1969 के दौरान समाचार सेवाओं आदि से इसको हुई कुल आय इस प्रकार है :—

वर्ष	कुल आय
	रुपए
1967	37,625.74
1968	1,29,856.71
1969	5,85,396.14

Deveploement of Uranium Mine in Jaduguda (Bihar)

2011. **Shri Ramavatar Shatry** : will the Minister of Atomic Energy pleased to state :

(a) whether there is a uranium mine and a factory in Jaduguda in Singhbhum District of Bihar,

(b) if so, whether Gove rnment have formulated any scheme for development thereof, and

(c) if so, the outlines of the said scheme ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Electronics, Minister of Home Affairs and Minister of Information and Broadcasting (Shrimati Indira Gandhi) :

(a) Yes, Sir ;

(b) The Uranium Corporation of India has taken in hand the following projects for the further development of its activities:

(i) deepening of the shaft at Jaduguda from the existing level of 315 metres to 615 metres level;

(ii) settling up of a by-product recovery plan at Jaduguda for extraction of molybdemun, nickel and copper in the ore; and

(iii) establishment of a uranium recovery plants at Surda for recovering uranium from the copper tailings.

Delay in Constitution of Patna Telephone Advisory Committee

*2012. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) since when the Patna Telephone Advisory Committee has not been constituted and the reasons for this undue delay ; and

(b) the time by which the said Committee is likely to be constituted ?

The Minister of Communications (Shri H. R. Bahuguna) :

(a) The present Telephone Advisory Committee was constituted on 1.1.72. Its term will run upto 31.12.73.

(b) Does not arise.

U.D.Cs. in Small Industries Service Institute, Patna

2013. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) what is the number of Upper Division Clerks working in the office of the Small Industries Service Institute, Patna and how many of them belong to Scheduled Castes ;

(b) whether any memorandum has recently been submitted to him by the employees of the Institute ; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad):

(a) there are 6 Upper Division Clerks in Small Industries Service Institute, Patna and none of them belong to Scheduled Caste.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

पश्चिम बंगाल में लघु इंजीनियरिंग एककों का बन्द होना

2014. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कितने लघु इंजीनियरिंग एकक अब तक बन्द हैं;

(ख) उससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं; और

(ग) इन एककों को पुनः खोलने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

उद्योगों की स्थापित क्षमता के पूर्ण उपयोग संबंधी कृतिक दल (टास्क फोर्स)

2015. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगों की स्थिति क्षमता के पूर्ण उपयोग हेतु औद्योगिक घरानों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिए गठित कृतिक दल के सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ख) कृतिक दल के निर्देश पद क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) "टास्क फोर्स" (कार्यकारी दल) का गठन संलग्न विवरण में दिया जा रहा है :

(ख) हाल ही में सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी ५४ विशिष्ट उद्योगों को मिली छूट जिसमें सम्बन्धित उपक्रमों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग करने की स्वीकृति दी गई है, बड़े औद्योगिक गृहों और अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों पर स्वयंएव लागू नहीं होती । इन उद्योगों में अधिष्ठापित क्षमता का पूरा लाभ उठाने सम्बन्धी उनके आवेदन पत्रों पर विशेष रूप से गठित 'टास्क फोर्स' द्वारा विचार किया जायेगा जो अपनी सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत करेगी ।

विवरण

१.	श्री आर० वी० सुब्रह्मण्यम् अतिरिक्त सचिव, औद्योगिक विकास मन्त्रालय	अध्यक्ष
२.	श्री एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मन्त्रालय	सदस्य
३.	श्री ए० के० घोष, आर्थिक सलाहकार,	सदस्य
४.	श्री के० वी० राव, तकनीकी विकास का महानिदेशालय	सदस्य
५.	श्री पी० डी० कास्बेकर, संयुक्त सचिव, वित्त कार्य विभाग ।	सदस्य
६.	श्री आर० वी० रमन, सलाहकार (उद्योग) योजना आयोग	सदस्य
७.	संयुक्त सचिव, सम्बन्धित मंत्रालय के प्रशासन का प्रमुख	सदस्य
८.	श्री जी० ए० शाह, संयुक्त सचिव, कम्पनी कार्य विभाग	सदस्य
९.	श्री आर० के० टिक्कू निर्देशक, औद्योगिक विकास विभाग	सदस्य-सचिव

प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया और यूनाइटेड न्यूज आफ इण्डिया को ऋण/राज्य सहायता

2016. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने प्रेस ट्रस्ट ग्राफ इण्डिया और यूनाइटेड न्यूज ग्राफ इण्डिया को कोई ऋण अथवा राज्य सहायता दी थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह ऋण अथवा राज्य सहायता किस उद्देश्य के लिए दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) : प्रेस ट्रस्ट ग्राफ इण्डिया या यूनाइटेड न्यूज़ ग्राफ इण्डिया को कोई राज्य सहायता नहीं दी गई है। पी.टी.आई. तथा यू.एन.ग्राई. को पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा जो ऋण दिए गए उनके बारे में अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी हुई है [**ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी—1661/72**]

पश्चिम बंगाल डाक तथा तार विभाग में "वाचमैन"

2017. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में डाक तथा तार विभाग में कितने "वाचमैन" हैं, और उनके काम के घन्टे कितने हैं;

(ख) क्या सम्बद्ध संगठनों द्वारा यह मांग की गई है कि "वाचमैन" के काम के घन्टे कम किए जायें ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) पश्चिम बंगाल में डाक-तार विभाग में 516 चौकीदार हैं। कुछ डाकघरों में वे प्रतिदिन 12 घन्टे और कुछ में 8 घन्टे ड्यूटी करते हैं।

(ख) जी हाँ, ।

(ग) आम तौर पर चौकीदारों को प्रतिदिन 12 घन्टे ड्यूटी देनी पड़ती है। तथापि सर्कलों/टेलीफोन जिलों के अध्यक्षों को यह अधिकार है कि वे स्थानीय परिस्थियों को ध्यान में रखते हुए उनके काम के घण्टे निश्चित कर सकते हैं। हाल ही में 31–12–71 को मन्त्रिमण्डल सचिवालय ने आदेश जारी किए हैं कि जहाँ चौकीदारों को बराबर मानसिक और / या शारीरिक परिश्रम करना पड़ता हो और / या उनसे बराबर जगे रहने की अपेक्षा की जाती हो, वहां उनकी ड्यूटी प्रति सप्ताह 48 घन्टे निर्धारित की जाए। मंत्रिमंडल सचिवालय के आदेश सभी सर्कल अध्यक्षों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिये गए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल के सम्बद्ध डाक-तार अधिकारी भी शामिल हैं।

चौथी योजना का खर्च चलाने के लिये संसाधन उपलब्ध करना

2018. **श्री पी० के० देव :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना का खर्च चलाने के लिए चालू वित्तीय वर्ष में कुल कितने संसाधन उपलब्ध हैं;

(ख) क्या योजना में कटौती करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मोहन धारिया) : (क) चालू वित्तीय वर्ष यानी 1972-73 में योजना की वित्तीय व्यवस्था के लिए कुल उपलब्ध संसाधनों का अनुमान 3973 करोड़ रुपये लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Progress Made reg. Introduction of Wall Newspapers

2019. **Shri M.C. Daga**: Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 532 regarding introduction of wall Newspapers in cities and villages on the 16th June, 1971 and state:

(a) the progress made in this regard so far; and

(b) the areas of country in which the said scheme has been introduced?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcastinn (Shri Daram Bir Sinha): (a): The Wall Newspaper 'Hamara Desh' started in January 1970 to highlight development activities and achievements in various fields continues to be published in the various languages is as under :

Language		No. of copies
English		11,600
Hindi		10,300
Urdu		3,500
Bengali		6,000
Tamil		5,000
Marathi		5,000
	Total	41,400

A proposal to increase print order to meet the growing demand and to produce editions in Telugu and Oriya is under consideration.

(b): English, Hindi and Urdu copies are displayed in various parts of the conutry. Copies in regional languages are distributed in the regions concerned. English copies are also sent to Indian Missions abroad.

Entertainment of Soldiers

2020. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of **Information and Broadcasting** be pleased to state :

(a) the steps taken by his Ministry so far for entertainment of soldiers; and

(b) the amount spent on this account during the last three years?

The Deputy Minister in Ministry of Information and Broadcasting (Shri Daram Bir Sinha) :

(a) & (b) : Following steps are taken by the Ministry for entertainment of soldiers:

(1) In collaboration with the Ministry of Defence, the Song and Drama Division runs a special scheme under which specially trained departmental troups give entertainment programme comprising of songs, and dances etc. to the armed forces in Forward Areas.

The expenditure during the last three years is as under :

1968-69	Rs. 11, 12, 542. 15
1969-70	Rs. 11, 05, 755. 51
1970-71	Rs. 16, 68, 863. 69

(2) Programmes for the troops are broadcasted daily by 14 stations of All India Radio. These consist mainly of talks, music,, features, and skts. The Vividh Bharati channels broadcast a daily 45 minute request programme for the forces, entitled "Jaimala", which includes a programme presented by film personalities on saturdays. 'In addition, the Delhi Station. puts out for the forces a weekly request programme of pop and light western music. The expenditure involved is not booked separately.

(3) Directorate of Field Publicity entertain Jawans on border areas by showing features and documentary films, puppet shows etc. The expenditure involved is not booked separately.

Use of Hindi in Ministry of Communications

2021. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Communications** be pleased to state the steps taken so far to encourage the use of Hindi in the Ministry of Communications and the progress made in this regard?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) :

A statement showing the steps taken and the progress made regarding use of Hindi in the Ministry of Communications is attached.

Statement

Use of Hindi in the Ministry of Communications and its attached and subordinate offices is governed by the Official Language Act of 1963 as amended in 1967. To facilitate fuller implementation of various administrative orders/instructions issued by the Ministry of Home Affairs under this Act from time to time, well equipped Hindi Sections are functioning in the Ministry of Communications (Main) and in its attached and subordinate office .

Adequate facilities like Hindi typewriters have been provided to all concerned.

All the letters received in Hindi from the general public, including representations from Government employees, are replied to in Hindi. In addition to this, correspondence with the Hindi speaking States of Bihar, Rajasthan, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh etc., and the States which have adopted Hindi for the purpose of correspondence with the Union Government, such as, Gujrat and Maharashtra etc., is carried on in Hindi as far as practicable.

Notifications, Rules and General Orders are issued in both Hindi and English as required under Sub-sections 3 (3) of the Official Language Act.

Arrangements have been made to finalise the translation and printing of manuals and forms etc. in Hindi.

Arrangements for Telegrams in Hindi in States

2022. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister] of **Communications** be pleased to state whether arrangements for sending telegrams in Hindi do not exist in all the States at present?

The Minister of Communications (Shri H. R. Bahuguna) :

Arrangements for sending telegrams in Devanagari script exist in all the States except in Arunachal and Mizoram. Instructions have been issued to extend Devanagari telegraph service to telegraph Offices in Arunachal and Mizoram states also.

दिल्ली में एक पुलिस स्टेशन का घेराव

2023. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 6 मार्च 1972 को सदर बाजार पुलिस स्टेशन का वहां के निवासियों ने घेराव किया था और स्थानीय पुलिस तथा पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की थी;

(ख) यदि हाँ, तो उन निवासियों की मांग क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) 6-3-1972 को नगर पार्षद श्री बाबू लाल सुलन्की के नेतृत्व में नबी करीम के लगभग 150/300 निवासियों ने पुलिस थाना सदर बाजार के बाहर एक प्रदर्शन किया ।

(ख) उन्होंने उप-निरीक्षक जोगिन्दर पाल खन्ना को मुअत्तल करने तथा उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की मांग की। वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363/366 के अन्तर्गत दायर पुथिस थाना सदर बाजार का मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 173 दिनांक 30-2-1972 की छानबीन कर रहा था तथा उसने इस मामले में अपहृत लड़की संत्रियों से बरामद की थी। यह आरोप लगाया गया था कि उसने लड़की के साथ दुर्व्यहार किया था ।

(ग) उप-निरीक्षक का तबादला गाँधी नगर पुलिस थाना को कर दिया गया था और जिला मैजिस्ट्रेट दिल्ली ने सब-डिविजनल मैजिस्ट्रेट, सदर बाजार को उसके विरुद्ध मैजिस्ट्रेटी जाँच करने का आदेश दिया है ।

बेरोजगार इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के लिए रोजगार

2024. **श्री रण बहादुर सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रोद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभी बेरोजगार इंजीनियरों और एम० एस० सी० उपाधि वाले विज्ञान स्नातकों के लिए आगामी दो वर्षों में रोजगार उपलब्ध किये जायेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार उन्हें आयु में रियायत देने का भी है और यदि हाँ तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

योजना मन्त्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिक विभाग मन्त्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : (क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त बेरोजगार एम० एस० सी०

श्रौर इंजीनियरिंग के स्नातकों को रोजगार दिलाने के लिए प्रयत्न किये जायेंगे। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में विशेष रोजगार के लिये पचास करोड़ रुपये की धनराशि पहले ही श्रावंटित कर दी गई है, इसमें से बीस करोड़ रुपये 1972-73 वर्ष में व्यय के लिए उपलब्ध होंगे। विज्ञान और प्रोद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति को विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी की एक योजना तैयार करने के लिए कहा गया है। इसके क्रियान्वित होने पर आशा की जाती है कि वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिये रोजगार की पर्याप्त मात्रा में सुविधायें उपलब्ध हो सकेंगी।

योजना आयोग ने प्राकृतिक साधनों के विकास श्रौर सर्वेक्षण पर विभिन्न कार्यकारी-दल भी नियुक्त किये हैं। आशा की जाती है कि इन दलों की सिफारिशों के कार्यान्वित होने पर भी विज्ञान श्रौर प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में रोजगार की स्थितियां और श्रधिक मात्रा में पैदा की जा सकेंगी।

(ख) वैज्ञानिक और प्रोद्योगिकी पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिये श्रावश्यकताएँ भी भिन्न-भिन्न होती हैं और उनके प्रत्येक पद के लिए निर्धारित भर्ती के नियमों के श्रनुसार लागू किया जाता है। विश्वविद्यालयों से निकलने वाले श्रधिकाधिक वैज्ञानिक और इंजीनियर नवयुवक होंगे, इसलिए सामान्य तौर पर उनके लिये श्रायु में रियायत देना श्रावश्यक नहीं होगा। फिर भी, उम्मीदवारों को योग्यता, श्रनुभव और विशिष्टता के आधार पर विशेष मामलों में आयु की छूट दी जायेगी।

फिल्मों से श्रश्लीलता में वृद्धि होना

2025. **श्री पम्पन गोडा :** क्या **सूचना श्रौर प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्मों के कारण देश में अश्लीलता में बड़ी वृद्धि हुई है; श्रौर

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सूचना श्रौर प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, नहीं। केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को फिल्मों में श्रश्लीलता, सेक्स तथा हिंसा पर कड़ा सेंसर लागू करने का काम सौंपा हुश्रा है।

Difficulties Being Experienced in Achieving Plan Targets Due to Price Rise

2026. **Shri Phool Chand Verma** : Will the Minister of **Planning** be pleased to state the action being taken to overcome the difficulties being encountered in achieving plan targets due to price rise ?

The Minister of State in the Ministry of Planning (Shri Mohan Dharia) : All efforts are being made to see that the prices of essential commodities do not rise further. Real resources available will be less by about 10% of the original estimates although in monetary terms the entire outlay provided in the Fourth Plan will be net. As a consequence, shortfalls are bound to occur. Various studies are being undertaken to identify the measures necessary to reduce such shortfalls where possible.

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम के पुराने घन्टे लागू करना

2027. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम के पुराने घन्टे लागू करने पर विचार कर रही है जो दिसम्बर, 1971 से पहले लागू थे ; और

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब लिया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तथा (ख) : केन्द्रीय सरकार के सिविल कार्यालयों में दिसम्बर, 1971 से लागू काम के घन्टों को अब 3 अप्रैल 1972 से पुनः लागू कर दिया गया है ।

विक्रम भू-केन्द्र

2028. **श्री राज देव सिंह :** क्या **संचार** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विक्रम भू-केन्द्र की स्थापना के पश्चात् उपग्रह सेवा के माध्यम से भारत का सम्पर्क अब 15 देशों से स्थापित हो गया है और वहां 49 ध्वनि-ग्रेड चैनल काम करते हैं;

(ख) क्या यह भू-केन्द्र विदेशों से प्राप्त टेलिविजन कार्यक्रमों को भी प्रसारित कर सकता है; और

(ग) उपग्रह प्रणाली के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार का कितने प्रतिशत यातायात भारत के साथ होता है और विश्व की कुल टेलीफोन कालों की कितने प्रतिशत कालें इसके माध्यम से होती हैं ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा) : (क) : जी हाँ ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) उपग्रह प्रणाली द्वारा भारत के अन्तर्राष्ट्रीय टेलीफोन का 90 प्रतिशत, टेलीग्राफ का 62 प्रतिशत, टेलेक्स का 56 प्रतिशत और पट्टे पर टेलीप्रिंटर परियात का 60 प्रतिशत निपटान किया जाता है । उपग्रह प्रणाली पर निपटाये गए विश्व टेलीफोन परियात के प्रतिशत के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नेशनल इंस्ट्रयुमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का विस्तार

2029. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नेशनल इंस्ट्रयुमेंट्स लिमिटेड, कलकत्ता का विस्तार करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ तो विस्तार परियोजना की रूपरेखा क्या है और उससे कितने अतिरिक्त लोगों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : दि नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एण्ड आप्थामिल्क ग्लास लिमिटेड ने जिसका नाम पहले नेशनल इंस्ट्रूमेंटस लिमिटेड था। अपने जादवपुर स्थित इंस्ट्रूमेंटस संयंत्र में संयंत्र की आर्थिक स्थिति को संभालने की दृष्टि से उत्पादन क्षेत्र में विविधता लाने के लिये कुछ कार्यक्रमों का विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है—

1. कार्यक्रम जो सरकार द्वारा स्वीकृत हो गये हैं और कम्पनी द्वारा क्रियाविन्त किये जा रहे हैं :—

क्रम सं०	निर्माण की जाने वाली वस्तु	पूंजी परिव्यय	विदेशी मुद्रा का अंश	रोजगार की क्षमता
1	2	3	4	5
1.		रु० लाख में	रु० लाख में	
1.	इनफ्रा रेड इक्विपमेंट	32.44	10.79	इन वस्तुओं से कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। कम्पनी ने इसका विशिष्ट रूप से अलग-अलग हिसाब नहीं लगाया है लेकिन मोटे तौर से यह कहा जा सकता है कि इनके एक एक करके अम्ल में लानेपर और अधिक लोगों को रोजगार देने के अवसर निकल आयेंगे।
2.	छः सैकिड़ आप्टिक थियोडोलिटस (वर्तमान क्षमता बढ़ाना)	9.88	2.18	
3.	प्रेशर और बेंकअम गाजेज (वर्तमान क्षमता बढ़ाना)	3.51	—	
	सरकार के विचाराधीन कार्यक्रम			
1.	आप्टिकल रीडिंग डिवाइसेज	12.99	3.49	
2.	कैमरे	63.50	16.00	विभिन्न क्षमताओं में (अनुमानित) 207 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।
3.	माइक्रोस्कोप	28.40	10.00	विभिन्न क्षमताओं में (अनुमानित) 214 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

पालामऊ जिले (बिहार) में सीमेंट उद्योग की स्थापना

2030. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पालामऊ जिला (बिहार) में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने का है,

(ख) यदि हाँ, तो उन उद्योगपतियों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस संबन्ध में रुचि दिखाई है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) (क) से (ग) :—

बिहार के पलामऊ जिले में सीमेंट का कारखाना लगाने की कोई योजना नहीं है किन्तु हाल में ही गैर-सरकारी पार्टियों से इस जिले में सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए चार आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इन पर लिए गये निर्णय प्रत्येक के समक्ष दिये जा रहे हैं :—

क्रमसंख्या	प्रार्थी का नाम	स्थापना स्थल	क्षमता मी० टनों में	टिप्पणी
1.	दी पालामऊ सीमेंट कम्पनी, कलकत्ता ।	भवनाथपुर	450,000	17-11-71 को आशयपत्र जारी किया गया
2.	कल्याणपुर लाइम एण्ड सीमेंट वर्क्स लि०, कलकत्ता	"	250,000	–वही–
3.	अशोका सीमेंट लिमिटेड, डालमियाँ नगर	"	491,500	रद्द कर दिया गया
4.	श्री विजय पोद्दार,कलकत्ता	"	350,000	" " "

भारत में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत

2031. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में सीमेंट की प्रति व्यक्ति खपत 25 किलोग्राम है जबकि यह स्विटजरलैंड में 750 किलोग्राम है और आस्ट्रिया में 598 किलोग्राम है, और

(ख) इसके मुख्य कारण क्या हैं और भारत में प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) जी हाँ। लगभग (इतनी ही है)।

(ख) कम खपत का प्रमुख कारण उपरोक्त देशों की तुलना में इस देश की प्रति व्यक्ति कम आय है। बढ़ती हुई मांग पूरी करने हेतु सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के कदम उठाये जा रहे हैं।

5 अप्रैल, 1972 को होने वाली सदन की बैठक के लिए थुम्बा भूमध्य राकेट केन्द्र से राकेटों का छोड़ा जाना

2032. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1970-71 में थुम्बा भूमध्य राकेट केन्द्र से परीक्षण राकेटों सहित कुल कितने राकेट छोड़े गये ;

(ख) उनमें से कितने राकेट वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए और कितने राकेट परीक्षण के लिए छोड़े गये; और

(ग) वर्ष 1971-72 में छोड़े गये राकेटों की अनुमानित संख्या क्या है ?

प्रधान मन्त्री, परमाणु ऊर्जा मन्त्री, इलेक्ट्रानिकी मन्त्री, गृह मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) : 121 ।

(ख) वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए 23 तथा राकेट परीक्षण के लिए 98.

(ग) 128 ।

बंगला देश के गठन के बाद नागा तथा मिजो विद्रोहियों द्वारा कथित आत्म समर्पण

2033. **श्री पी० गंगादेव : श्री सी० टी० दण्डपाणि :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि बंगला देश बन जाने के कारण नागा तथा मिजो विद्रोहियों ने आत्म-समर्पण करना आरम्भ कर दिया है ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : बंगला देश के स्वाधीन होने के बाद 446 मिजो विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है । कुछ प्रमुख नागा विद्रोहियों ने भी आत्म-समर्पण किया है ।

क्षेत्रीय असन्तुलन

2034. **श्री पी० गंगादेव :**
श्री सी० टी० दण्डपाणि :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्स्टीट्यूट्स आफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने क्षेत्रीय असन्तुलन के सम्बन्ध में एक दो दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया था :

(ख) यदि हां तो किन विषयों पर चर्चा की गई थी; और

(ग) क्या विचार गोष्ठी में विषमताओं को दूर करने के लिये क्षेत्रीय योजना बनाने का अनुरोध किया गया था ।

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) जी, हां ।

(ख) गोष्ठी में निम्नांकित विषयों पर चर्चा हुई :

(1) क्षेत्र की संकल्पना-योजनाओं के अन्तर्गत नीतियों और कार्यक्रम की समीक्षा-विगत प्रवृत्तियां।

(2) असमानतायें घटाने में उद्योगों (बड़े, मध्यम और लघु) के विकास का महत्व। उद्योगों की प्रकृति-औद्योगिक विकास और नियम अधिनियम और अन्य कानून, उनकी क्षमता और सीमायें।

(3) वित्तीय संस्थान और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन देने में उनकी भूमिका–सरकारी क्षेत्र विनियोजन।

(4) सरकारी क्षेत्र विनियोजन-विषमतायें घटाने में सहायता प्रदान करने में उसकी भूमिका और सीमायें।

(ग) जी, हां।

बिरला समूह संबंधी सरकार आयोग

2035. श्री पी० गंगादेव :

श्री सी० टी० दंडपाणिः

क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिरला समूह संबंधी सरकार आयोग से अपना प्रतिवेदन तुरन्त प्रस्तुत करने को कहा है; और

(ख) क्या आयोग ने समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद)

(क) और (ख) बड़े औद्योगिक गृहों (सरकार आयोग) के जांच आयोग के अनुरोध पर सरकार ने इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय को 18-2-1972 से एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है।

बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये रोजगार आयुक्तों द्वारा बनाई गई योजनाएं

2036. श्री मुख्तियातर सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन रोजगार आयुक्तों ने कुछ समय पूर्व देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के लिये कुछ योजनाएं बनाई थीं, और

(ख) यदि हां, तो मोटे तौर पर उसकी रूपरेखा क्या है ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री, (श्रीमती इन्दिरा गांधी) :

(क) और (ख) : बेरोजगारी की समस्या को निपटाने हेतु अध्युपाय बनाने के लिए भारत

सरकार के विभिन्न मंत्रालय उत्तरदायी हैं। इस बारे में प्रारम्भ किये गए उपायों के संबंध में संक्षिप्त विवरण-सभा पटल पर रखा गया है। रोजगार कमिश्नर इस प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समन्वय तथा समीक्षा करने में सहायता पहुँचाते हैं।

रोजगार के सुअवसर बढ़ाने की बात को ध्यान में रखते हुए चौथी पंचवर्षीय योजना में श्रम प्रधान स्कीमों जैसे कि सड़कों, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, गावों में बिजली पहुंचाना, ग्रामीण और लघु उद्योग, आवास और नगरीय विकास पर जोर दिया गया है। कार्य-कुशलता और अर्थ-व्यवस्था का सम्यक् ध्यान रखते हुए समुपयुक्त श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए भी जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सुअवसर बढ़ाने तथा जन-समुदाय के अधिक असुरक्षित वर्गों की आय भी बढ़ाने के उद्देश्य से छोटे किसानों की विकास एजेन्सियाँ, उप सीमान्त किसान और कृषि श्रमिक परियोजनाएं, ग्राम रोजगार की त्वरित योजना, सूखा-ग्रस्त-क्षेत्र-कार्यक्रम और बारानी खेती विकास योजना जैसी विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य भी हाथ में लिया गया है। इन पाँचों योजनाओं का कार्यान्वयन अधिक गतिशील हो गया है और चालू वर्ष के लिए वार्षिक योजना में इन स्कीमों के लिए 96 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

तकनीकी तौर पर अर्हताप्राप्त लोगों के लिए रोजगार-सुविधा बढ़ाने के प्रयत्नों के एक अंग के रूप में माध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में और निजी-धंधा स्थापित करने के बारे में उद्यमी व्यक्तियों को प्रशिक्षण और ऋण-सुविधाएं देने के बारे में विशेष जोर दिया गया है। शिक्षित बेरोजगारों के लिए काम मिलने के सुअवसर बढ़ाने के लिए 1971-72 से कुछ नई योजनायें भी हाथ में ली गई हैं। इनमें प्राथमिक शिक्षा के विस्तार और उसकी क्वालिटी के सुधार, ग्रामीण इंजीनियरी सर्वेक्षणों, उपभोक्ता सहकारी स्टोरों के विस्तार, सड़क और सिंचाई कार्यों आदि के अनुसंधान संबंधी अग्रिम कार्यवाही हेतु योजनायें समाविष्ट हैं। 1972-73 के बजट में विशेष कल्याण योजनाओं के लिए, उपर्युक्त योजनाओं के लिए आवश्यक परिव्यय समेत जैसे कि प्राथमिक शिक्षा (30 करोड़ रुपए), विशेष रोजगार कार्यक्रम (60 करोड़ रुपए), गंदी बस्तियों का उत्थान (15 करोड़ रुपए), ग्रामीण गृह स्थल (5 करोड़ रुपए) और ग्रामीण जल-पूर्ति (15 करोड़ रुपए), 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

चलचित्र अभिनेताओं तथा संगीतकारों का एक ही समय में 6 से अधिक चलचित्रों में काम करने पर प्रतिबन्ध

2037. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चलचित्र निर्माताओं ने, एसोसिएशन्स आफ इण्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स और संगीत निर्देशकों के, अभिनेताओं तथा संगीतकारों को एक ही समय में 6 से अधिक चलचित्रों में काम करने से रोकने के प्रयत्नों को विफल कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) तथा (ख) :—इस आशय के कुछ समाचार सरकार के ध्यान में आए थे। तथापि, फीचर फिल्म उद्योग गैर-सरकारी

क्षेत्र में हैं तथा सरकार का इस मामले से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि ठेके की शर्तें, अभिनेताओं, संगीत निर्देशकों तथा अन्य कलाकारों तथा गैर-सरकारी फिल्म निर्माताओं के बीच तय की जाती हैं।

सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के कर्मचारी

2038. **डा० संकटा प्रसाद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में विभिन्न वर्गों के अराजपत्रित अनुसचिवीय कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अन्तर्गत नहीं आते;

(ख) गृह मन्त्रालय ने इस प्रकार के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को किस आधार पर आदेश जारी किये थे और क्या सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय में इस प्रकार की नियुक्तियाँ करते समय शर्तों का पालन किया गया था; और

(ग) गृह मन्त्रालय द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्ति करके इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं जिन्होंने मंत्रिमण्डल सचिवालय; सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल द्वारा आयोजित परीक्षाएं पास की हैं और क्या इन कर्मचारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में खपाया जा सकता है ?

गृह मन्त्रायय में उपमन्त्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) : 131।

(ख) : इस सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय द्वारा विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किये गये थे ।

(ग) : कुछ लिपिकवर्गीय पद अस्थायी रूप से निःसंवर्ग किये गये थे क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं से उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे । लिपिक वर्गीय पदों की अन्य श्रेणियाँ भी हैं जिन्हें लेखा तथा लेखा परीक्षा कार्य का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा भरना होता है। इन व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में नहीं खपाया जा सकता क्योंकि वे अपवर्जित पदों में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल द्वारा नियुक्त किये गये हैं ।

Pak Spies arrested after Pak Aggression

2039. **Dr. Sankata Prasad** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state the number of Pakistani spies arrested at several places in the country after the Pakistani aggression in 1971 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and in the Department of Personnel (Shri Ram Niwas Mirdha) : According to information received from the State Governments of Andhra Pradesh and Assam and the Union Territories of Chandigarh and Delhi 25 persons suspected to be Pak agents were arrested during the period from 1st December 1971 to 22nd March, 1972.

Information is awaited from the State Governments of J. & K., Meghalaya, Nagaland, Punjab, Rajasthan, West Bengal and Tripura and will be laid on the Table of the House. No such arrest has been reported by the remaining State Governments and Union Territory Administrations.

जापान में लघु उद्योगों के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन

2040. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लघु उद्योगों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए जापान का दौरा करने वाले दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख): भारत सरकार ने रिपोर्ट की सिफारिशों पर कार्य आरम्भ कर दिया है जिनमें निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :—

1. लघु उद्योगों व सहायक उद्योगों का संवर्धन करने हेतु कहाँ कानून जरूरी है, यह पता लगाने के लिये एक समिति की स्थापना की जा चुकी है ।

2. लघु उद्योग विकास संगठन को मजबूत बनाने की अंतिम मंजूरी जारी कर दी गई है ताकि वह छोटे ठेके वाले एककों को तकनीकी व अन्य सहायता पहुँचाने की स्थिति में हो सके ।

3. लघु संक्षेत्र से प्राप्त आवेदनों पर समुचित ध्यान देने व इस क्षेत्र के लिए ऋण प्राप्त करने के आवेदन पत्रों का शीघ्र निपटान करने हेतु कई राष्ट्रीयकृत बैंकों ने तकनीकी प्रकोष्ठ स्थापित किये हैं ।

4. राज्य स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन के साथ नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड की बैठकें हो रही हैं ताकि कुछ हद तक उनके कार्यों में एकीकरण हो सके ।

थुम्बा राकेट केन्द्र से 'मेनका' राकेट का छोड़ा जाना

2041. **श्री सी०के० चन्द्रप्पन :** क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में थुम्बा राकेट केन्द्र से 'मेनका' राकेट छोड़ने का प्रयास असफल रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी) :

(क) तथा (ख) : 'मेनका' राकेटों का विकास मौसम-विज्ञान सम्बन्धी परीक्षणों के लिए किया गया था । राकेट छोड़ कर उनकी जाँच करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत 15 फरवरी, 1972 को छोड़ा गया एक 'मेनका' राकेट, चैम्बर में अधिक दधि उत्पन्न होने तथा परिणाम स्वरूप चैम्बर के खराब हो जाने के कारण ठीक तरह काम न कर सका ।

दिल्ली के निकटवर्ती शहरों में टेलीविजन का विस्तार

2042. **श्री एस. एम. बनर्जी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के निकट अन्य शहरों में टेलीविजन का विस्तार करने के लिये और क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) वर्ष 1972 में कितने शहरों में यह व्यवस्था हो जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) सरकार ने दिल्ली टेलीविजन का सेवा क्षेत्र बढ़ाने के लिए इसके ट्रांसमिटर की शक्ति बढ़ाने और एक ऊँचे मास्ट की व्यवस्था करने का निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त, मसूरी में एक रिले ट्रांसमिटर लगाने का प्रस्ताव है जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा राज्यों के काफी क्षेत्र को कवर करेगा ।

(ख) उम्मीद है दो नए टेलीविजन केन्द्र, एक बम्बई में तथा दूसरा श्रीनगर में, और अमृतसर में एक प्रेषण केन्द्र 1972 के दौरान लग जायेंगे ।

आसाम में ट्रांसमीटर का फट जाना

2043. **श्री मायावन : क्या सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में ट्रांसमीटर फट जाने के सम्बन्ध में, जिसके परिणामस्वरूप एक कर्मचारी की मृत्यु हो गई थी, सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी) : (क) इस प्रकार की दुर्घटना के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

थुम्बा स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन के एककों में कार्य करने वाले केरल के कर्मचारी

2044. **श्री वयालार रवि** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में केरल में थुम्बा स्थित भारतीय अन्तरिक्ष अनुसँधान संगठन के एककों में नियुक्त तकनीकी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी थी; तथा

(ख) इनमें से कितने कर्मचारी केरल के रहने वाले हैं ?

प्रधान मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिकी मंत्री, गृह मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) 567

(ख) 337

डाक और तार विभाग के आसाम सर्किल के लिए अगरतला में भूमि

2045. **श्री बीरेन दत्त** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार सर्किल ने त्रिपुरा में अगरतला के पैलेस अहाते में कोई भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी भूमि अधिगृहीत की गई है; और

(ग) अधिगृहीत भूमि की अनुमानित लागत क्या है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

मंत्री द्वारा जेल का दौरा किये जाने पर अपराधियों की सजा में कमी

2046 . **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेलों का कार्य भार संभालने वाले मन्त्री का यह भी एक कर्त्तव्य है कि वह जेलों का दौरा करें ;

(ख) क्या गृह मन्त्री के दौरे के सम्मान में जेलों में अपराधियों की सजा कम कर दी जाती है ; और

(ग) उन्होंने गत तीन वर्षों में दिल्ली की तिहाड़ जेल के कितने दौरे किये और प्रत्येक बार सजा में कितनी कमी करने की मंजूरी दी गई ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) क्योंकि जेल राज्याधिकार का विषय है इसलिए राज्यों से प्राप्त हुई सूचना से ऐसा प्रतीत होता है कि जेलों के कार्यप्रभारी मन्त्री के लिए राज्यों की जेलों का दौरा करना आवश्यक नहीं है। जेलों का दौरा करना मन्त्री की स्वेच्छा पर है कि वह कब दौरा करें।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) कार्यकारी पार्षद ने जो दिल्ली प्रशासन में जेल विभाग संभाले हुए थे, गत तीन वर्षों में 10 अवसरों पर तिहाड़ सैन्ट्रल जेल का दौरा किया और किसी भी अवसर पर सजा में कोई कमी नहीं की गई।

स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष में अपराधियों की सजा में कमी

2047. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोक सभा के एक सदस्य द्वारा जुलाई, 1971 में दिये गये इस सुझाव से सहमत हो गई है कि स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के उपलक्ष में आजीवन कारावास अथवा लम्बी सजा पा रहे अपराधियों की सजा कम कर दी जाये ; और

(ख) यदि हाँ, तो संघ राज्य क्षेत्रों में अपराधियों की सजा कितनी कम किये जाने का प्रस्ताव है और उन्हें यह छूट कब से मिलेगी ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) : सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है। स्वतन्त्रता की रजत जयन्ती के सम्बन्ध में समारोहों के स्वरूप से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रश्न विचाराधीन हैं।

बहराइच में कागज और लुगदी उद्योग की स्थापना

2048. **श्री बी० आर० शुक्ल :** क्या औद्योगिक विकास मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक केन्द्रीय विशेषज्ञ-दल ने, जिसने बहराइच जिले में औद्योगिक सर्वेक्षण किया था, उक्त जिले में कागज और लुगदी उद्योग स्थापित करने की सिफारिश की है,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का बहराइच जिले मे एक परियोजना स्थापित करने का विचार है, और

(ग) यदि हाँ, तो कब ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से **(ग)** : लघु उद्योग सेवा संस्थान, कानपुर ने जनवरी, 1970 में बहराइच जिले का सर्वेक्षण किया और लघु क्षेत्र में संसाधनों पर आधारित और मांग पर आधारित उद्योगों को स्थापित करने की सिफारिश की। संस्थान ने इस जिले में कागज और लुगदी उद्योग स्थापित करने की सिफारिश नहीं की थी।

समाचार पत्रों के मूल्य में कमी

2049. **श्री बी. वी. नायक :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों की पृष्ठ संख्या पर प्रतिबन्ध लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके साथ ही समाचारपत्रों के मूल्य इसी अनुपात में कम करने के लिये कार्यवाही की थी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) अखबारी कागज सलाहकार समिति की सिफारिश पर यह निर्णय किया गया था कि जनवरी- मार्च 1972 की तिमाही के लिए अखबारी कागज का आवंटन समाचारपत्र को उसके पृष्ठों परन्तु अधिक से अधिक 10 पृष्ठों के आधार पर किया जाए। इस निर्णय के अधीन समाचारपत्रों के लिए यह जरूरी नहीं था कि वे 10 से अधिक पृष्ठ न छापें।

(ख) समाचारपत्रों की कीमत घटाने का कोई प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। सरकार को समाचारपत्रों का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार देने वाला विधेयक जो लोक सभा द्वारा पास किया गया था, राज्य सभा द्वारा भी दो औपचारिक संशोधनों के साथ पास किया गया है जिसके लिए लोकसभा की सहमति प्राप्त करनी अभी बाकी है।

नेशनल इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा स्कूटरों का निर्माण

2050. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **औद्योगिक विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इण्डस्ट्रियल डिवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, ने एक स्कूटर का नमूना (प्रोटोटाइप) बनाने का कार्य आरम्भ किया है, और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनानी पर अब तक कित धनराशि खर्च की गई है और उक्त परियोजना अब किस अवस्था में हैं ?

औद्योगिक विकास मन्त्री (श्री मोइनुल हक चौधरी) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास

निगम लि०, नई दिल्ली ने स्कूटर के लिये नये प्रकार के ब्रेक सिस्टम का विकास करने के विचार से स्कूटर का एक आद्यरूप तैयार किया है।

(ख) परियोजना पर अब तक 4,296 रु० व्यय किया गया है। आद्यरूप तैयार किया जा चुका है तथा प्रारम्भिक परीक्षण हो चुका है। डिजाइन को अन्तिम रूप देने के पहले अलग अलग पुर्जों को और उन्हें इकट्ठा करने के बाद इसका विस्तृत परीक्षण कार्यक्रम चलेगा। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने इस कार्य में सहायता देने के लिये सैन्ट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर के साथ व्यवस्था की है।

डाक-तार बोर्ड में कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

2051. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार बोर्ड में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार डाक-तार बोर्ड में डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार करेगी ?

संचार मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) —डाक-तार विभाग और वित्त मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारी डाक-तार बोर्ड के सदस्य हैं। कर्मचारियों के प्रतिनिधि को बोर्ड में सम्मिलित किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Night Post Office at Jhansi

2052. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to open 'Night Post Office' at Jhansi ; and

(b) if so, the time by which it is likely to be implemented ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna.) : (a) There is no proposal for opening of a night post office at Jhansi for the present.

(b) Does not arise.

Direct Dialling Systems at Jhansi

*2053. **Dr. Govind Das Richhariya** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the time by which direct dialling system is likely to be introduced at Jhansi ; and

(b) the action taken so far in this regard ?

The Minister of Communications (Shri H. N. Bahuguna) : (a) The existing manual exchange at Jhansi is expected to be converted into an automatic exchange by about 1977. The question of introducing subscribers trunk dialling with other stations can be considered after the exchange is automatised.

(b) Site for exchange building is available. The case for construction of building will be taken up to match with the allotment and supply of exchange equipment.

राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये कोटे का बढ़ाया जाना

2054. **श्री शंकर दयाल सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी राज्य सरकारों ने सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने के लिये सिफारिश की है; और

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

गृह मन्त्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) तीन राज्य सरकारों ने, राज्य सिविल सेवा से पदोन्नति द्वारा या किसी अन्य राज्य सेवा से प्रवरण के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों की अधिकतम संख्या में, विद्यमान पदोन्नति के कोटे में 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि करने की सिफारिश की है।

(ख) प्रशासनिक सुधार आयोग ने कार्मिक प्रशासन सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले कोटे की रिक्तियों में 40 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सकती है, जिस पर केन्द्रीय सरकार विचार कर रही है। प्रशासनिक सुधार आयोग की ऊपर उल्लिखित सिफारिश पर निर्णय लेते समय राज्य सरकारों की सिफारिशों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

Increase in Cases of Violence in States During Elections

2055. **Shri Jharkhande Rai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether Government are aware that the number of cases involving violence goes on increasing after every election held every five years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : The Government are aware that during the Fourth General Elections held in 1967 as well as during the mid-term elections to some State Legislative Assemblies held in 1968 and 1969, there were large number of violent incidents as well as instances of use of intimidatory tactics. During the 1971 elections also, the number of such incidents was large and detailed information in this regard was furnished while answering Lok Sabha Unstarred Question No. 91 on 31st March, 1971. During the recent elections, however, there has been considerable reduction in the number of such incidents and detailed statewise information in this regard has been furnished in answer to the Lok Sabha Unstarred Question No. 1433 dated 29th March.

मध्य प्रदेश के गाँवों में डाक बक्स की व्यवस्था

2056. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में लगभग 1000 लोगों की बस्ती वाले गाँवों में डाक बक्स की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले कुल 4809 गांवों में से 1412 गांवों में लेटर-बक्स नहीं हैं।

(ख) किसी गांव में लेटर बक्स की व्यवस्था आम तौर पर तभी की जाती है, जब वह डाक से प्रतिदिन औसतन दो पत्र भेजे जाते हों और जब वह सबसे नजदीक के डाकघर या लेटर-बक्स से एक मील की दूरी पर हो। मध्य प्रदेश में 1000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले शेष गांवों में लेटर-बक्सों का औचित्य सिद्ध होने पर इंतजाम कर दिया जाएगा।

मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तानी जासूस

2057. **श्री गंगा चरण दीक्षित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71 में मध्य प्रदेश में गिरफ्तार किये गये पाकिस्तानी जासूसों की संख्या क्या है और कितनों पर मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) उनसे क्या क्या वस्तुयें बरामद की गई हैं; और

(ग) इनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय और कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) से (ग) इस अवधि में पाकिस्तानी जासूस होने के सन्देह में मध्य प्रदेश में 5 व्यक्ति पकड़े गये थे। इस सम्बन्ध में कुछ अभिशसी वस्तुयें पकड़ी गई थीं। दो व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया तथा उनको क्रमश: 5 वर्ष और 6 महीने की कड़ी सजा दी गई जबकि शेष तीन व्यक्तियों को साक्ष्य के अभाव में मुक्त कर दिया गया।

राज्यपालों की नियुक्ति

2058. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों तथा संघ राज्य-क्षेत्रों में राज्यपालों की नियुक्ति के लिये कोई अर्हता निर्धारित की गई है; और

(ख) इस समय सेवा संवर्गों तथा सार्वजनिक जीवन से आये कितने-कितने राज्यपाल हैं ?

गृह मन्त्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) (क): राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति की अर्हताएं वही, हैं जो संविधान के अनुच्छेद 157 में निर्धारित हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में कोई राज्यपल नहीं है।

(ख) 17 राज्यपालों में से आठ सरकारी सेवा से सेवा-निवृत कर्मचारी हैं और नौ सार्वजनिक जीवन के व्यक्तियों में से हैं।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद

2059. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र और मैसूर की सरकारों ने अपने राज्यों के मध्य सीमा-विवाद के सम्बन्ध में अपने विचारों को प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में उप मंत्री : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) से (ग) : 18 दिसम्बर, 1970 को सदन में दिये गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है । सरकार की इच्छा थी कि इस विवाद का समाधान यदि सम्भव हो तो मित्र भाव से मुख्य मंत्रियों के विचार-विमर्श द्वारा किया जाय । किन्तु यह विचार-विमर्श नहीं हो सका क्योंकि मैसूर अभी तक राष्ट्रपति शासन के अधीन था ।

Peace talks with Naxalite leaders

2060. **Shri Jharkhande Rai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state whether the Government of India propose to hold peace talks with Naxalite leaders Sarvashri Charu Mazumdar and Satya Narain Singh with a view to putting an end to the politics of violence in the country completely ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : No, Sir.

Setting up of Pulp and Paper Mill in Gaya

2061. **Shri Sukhdeo Prasad Verma :** Will the Minister of **Industrial Development** be pleased to state :

(a) whether raw material required in the manufacture of paper is found in abundance in the forests of Gaya District ;

(b) whether Government have framed any scheme to make use of the raw material ; and

(c) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Industrial Development (Shri Siddheshwar Prasad) : (a): Some bamboo forests exist in Gaya District but the resources are not adequate to set up an economically viable paper unit.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise,

Re-naming of Andaman and Nicobar Islands

2062. **Shri Jharkhande Rai :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government propose to rename Andaman and Nicobar Islands as 'Shaheed' and 'Swarajya' Islands respectively, the names given to these islands by Netaji Subhash Chandra Bose during the last World War in 1943 ; and

(b) if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri F. H. Mohsin) : (a) No such proposal is under the consideration of Government.

(b) Does not arise.

गया जिले का विकास

2063. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार राज्य के गया जिले के विकास के लिये कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख):—गया जिले के लिए कोई औद्योगिक विकास योजना नहीं बनाई गई है। किन्तु, ग्रामीण उद्योग परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत सारे देश के 49 क्षेत्रों को चुना गया है, जिनमें से बिहार राज्य के गया जिले में नवादा एक क्षेत्र है। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य रोजगार अवसरों का विस्तार करना, ग्रामीण व्यवसाय का विविधीकरण, ग्रामीण समाज और कारीगरों की आय और जीवन स्तर को बढ़ाना, शहरों की ओर निर्गमन कम करना, और परम्परागत उद्योगों का तकनीकी सुधार करना है।

राज्य सरकारों से इन परियोजनाओं का कार्यक्षेत्र सारे जिले तक बढ़ाने के लिए मार्च-1971 में अनुरोध किया गया था।

सूरज इंडस्ट्रियल पैकिंग लिमिटेड, लखनऊ को आशय-पत्र का जारी करना

2064. **श्री कृष्णराव ठाकुर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1970 में सूरज इंडस्ट्रियल पैकिंग लिमिटेड, लखनऊ को अखबारी कागज तथा लुगदी के कारखाने के लिए एक आशय-पत्र जारी किया गया था ;

(ख) क्या इन कारखानों के लिए पूंजीगत माल के आवेदन-पत्रों को अभी तक निपटया नहीं गया है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इन आवेदन-पत्रों के कब तक निपटाये जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) :—जी, हाँ।

(ग) अग्नि तथा जल-सह बोर्ड एकक के मामले में पूंजीगत वस्तुओं की स्वीकृति रोक दी गई है क्योंकि पार्टी ने यह सूचित किया है कि विदेशी सहयोगी ने इक्विटी के हिस्से में कमी करदी है। इससे विदेशी मुद्रा के बदले वैकल्पिक साधनों का पता लगाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गयी है। इस बीच कम्पनी को अखबारी कागज/लुग्दी कागज परियोजना से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा ऋण प्राप्त करने के बारे में पत्र व्यवहार करने की अनुमति दे दी गई है।

नैनीताल में कागज के कारखाने की स्थापना हेतु आशय-पत्र का जारी किया जाना

2065. **श्री कृष्ण राव ठाकुर :** क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस पार्टी का नाम क्या है जिसे नैनीताल जिले (उत्तर प्रदेश) में कागज के कारखाने की स्थापना हेतु आशय-पत्र जारी किया गया है; और

(ख) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) उत्तर प्रदेश के नैनीताल जिले में कागज की मिल लगाने के लिये किसी भी पार्टी को आशय पत्र जारी नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल राज्य को कच्चे माल का आवंटन

2066. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या **औद्योगिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में उद्योगों के विकास में इस की भौगोलिक स्थिति के कारण बाधा पड़ रही हैं क्योंकि कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं को अधिक दूर तक वहन करने की आवश्यकता पड़ती है,

(ख) क्या विभिन्न राज्यों को कच्चे माल के आवंटन के तरीके के बारे में निर्णय कर लिया गया है,

(ग) क्या केरल को कच्चे माल के आवंटन की अधिक प्रतिशतता देने के बारे में सरकार विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) : किसी भी क्षेत्र का औद्योगिक विकास विभिन्न बातों पर निर्भर करता है बाजारों, मण्डी की निकटता और कच्चे माल के उपलब्ध स्रोत उनमें से केवल एक है।

(ख) से (घ) : आयातित कच्चा माल और दुर्लभ देशी कच्चे माल औद्योगिक उपभोक्ताओं की क्षमता/वास्तविक उपभोग के आधार पर और प्रायोजित करने वाले प्राधिकारियों जैसे तकनीकी विकास का महानिदेशालय, राज्यों के उद्योग निदेशकों, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक आदि की सिफारिशों के आधार पर औद्योगिक आवंटित किए जा रहे हैं। यह आवंटन राज्यवार नहीं दिए जाते हैं। इस प्रकार क्षमता/वास्तविक उपभोग के अनुसार आंकी गई औद्योगिक एककों की हकदारी से अधिक केरल को कच्चे माल का और अधिक आवंटन करने का प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली के नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो का प्रतिवेदन

2067. **श्री हरीसिंह** : क्या गृह मन्त्री केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड के कार्यालय पर मारे गये छापे के सम्बन्ध में 2 दिसम्बर, 1970 के अतारांकित प्रश्न

संख्या 3105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड, दिल्ली के कुछ अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का प्रतिवेदन दिल्ली प्रशासन को मिल गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

गृह मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री फखरुदीन मोहसिन) : (क) जी हाँ, श्रीमान् ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

विषैली शराब पीने के कारण दिल्ली में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु

श्री मुख्तियार सिंह मलिक (रोहतक) : श्रीमान, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

"विषैली शराब पीने के कारण दिल्ली में पुन: अनेक व्यक्तियों की मृत्यु का समाचार"

गृहमंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : 31 मार्च, 1972 को प्रात: काल मौलाना आजाद मेडिकल कालेज के निदेशक/प्रिंसिपल ने दिल्ली प्रशासन के मुख्य सचिव को सूचित किया कि नकली शराब पीने के कारण बीमार 5 व्यक्ति इरविन अस्पताल में दाखिल किए गए हैं । पुलिस तथा आबकारी विभागों को तुरन्त परिस्थितियों की जाँच करने का आदेश दिया गया । उस दिन तथा उसके बाद के दिनों में ऐसे और व्यक्तियों के विभिन्न अस्पतालों में दाखिल किये जाने तथा मरने के बारे में कुछ खबरें मिली । आज प्रातः तक दिल्ली में विभिन्न अस्पतालों में दाखिले के लिए 94 व्यक्ति आये । इसके अतिरिक्त अन्य स्थानों पर चार मृतक व्यक्ति पाये गये । उस समय तक 56 व्यक्ति मर चुके थे, चार व्यक्ति अस्पताल से भाग गए थे, और तेरह को छुट्टी दे दी गई थी । 25 रोगियों का अभी तक इलाज हो रहा है । आबकारी तथा पुलिस विभागों द्वारा मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है । अब तक सात मृतकों की अन्तड़ियों के बारे में रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हुई है । इन सभी मामलों में अन्तड़ियों में मिथिल, अलकोहल का पता लगा है । अन्य मामलों में रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट अभी आनी है । किन्तु यह सन्देह किया जाता है कि ये मौत नकली शराब पीने से हुई थीं जिसमें हानिकारक पदार्थ, जो घातक भी हो सकता है, मिला हुआ था । किन्तु रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है । एक अन्य मामले में पीड़ित व्यक्ति ने बतलाया कि उसकी शारीरिक दशा भारत निर्मित विदेशी शराब रम के पीने के पश्चात बिगड़ गई थी ।

आज प्रात: काल तक पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता तथा आबकारी अधिनियम की धारा 304 क तथा अन्य धाराओं के अन्तर्गत दिल्ली में 15 मामले और गुड़गाँव में एक मामला दर्ज किया है। अब तक 12 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। पिछले कुछ दिनों में पूछताछ के लिए लगभग 400 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और इन छापों में अवैध शराब की 2000 से अधिक बोतलें पकड़ी गई हैं। पिछली बार हुई मौतों के पश्चात अब तक 20,000 से अधिक अवैध शराब की बोतलें पकड़ी जा चुकी हैं। जांच पड़ताल की जा रही है।

99 दुकानों के मैथिल अलकोहल तथा थिन्नर के भण्डार सील कर दिए गए हैं। इनमें 25619 लीटर थिन्नर और 7571 लीटर अलकोहल की कुल मात्रा थी।

बवेजा आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात दिल्ली प्रशासन आगामी कार्यवाही निर्धारित करने के लिये सम्पूर्ण आबकारी नीति का पुनरीक्षण कर रहा है। उन सिफारिशों के बारे में जो तुरन्त लागू की जा सकती हैं, दिल्ली प्रशासन द्वारा आबकारी और पुलिस विभागों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। अब से मैथिल अलकोहल और थिन्नर के लिए लाइसेंसों की आवश्यकता होगी। लाइसेंस पूरी तरह जांच करने के पश्चात दिये जायेंगे। विकृत (डि-नेचर्ड) स्प्रिट तथा विशेष रूप से विकृत स्प्रिट के मौजूदा परमिट/लाइसेंस धारियों के मामलों पर पुनर्विचार किया जायेगा। तीन लाइसेंस स्थगित कर दिए गये हैं और पैंतीस अन्य व्यक्तियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए निवेदन किया गया है कि मद्यनिर्माणशालाओं में स्प्रिट में विकृतिकरण-पदार्थों के मिश्रण के समय उच्च स्तर की निगरानी रखी जाय। थोक-व्यापारियों से निवेदन किया गया है कि विकृत तथा विशेष रूप से विकृत स्प्रिट के प्रेषित माल उन्हें प्राप्त होने पर वे आबकारी अधिकारियों को सूचित करें और वे इस माल को तब तक न बेंचे जब तक रासायनिक परीक्षक द्वारा इनके नमूने न ले लिए जाएं और उनका विश्लेषण न कर लिया जाए। विशेष विकृत स्प्रिट परमिटधारियों को तब तक कोई माल नहीं दिया जाएगा जब तक उन्होंने स्प्रिट के प्रयोग तथा उससे बनी वस्तुओं के सन्तोषजनक निपटान के लिए पर्याप्त सबूत न दे दिए हों। बिक्री के नियमित लेखे रखने पड़ेंगे। आबकारी कर्मचारियों की फुटकर विक्रेताओं के बिक्री रजिस्टरों के इन्दराजों की नियमित रूप से जांच करनी होगी और अपनी तसल्ली करनी होगी कि खरीदी गई वस्तुएं सही हैं। 4 अप्रैल, 1972 को कार्यकारी परिषद ने विशेष विकृत स्प्रिट पर आबकारी कर की वर्तमान दर को 0·45 रु० से बढ़ा कर 1.50 रु० प्रति लिटर कर देने का निश्चय किया है। इससे अवैध शराब तैयार करने के लिए इस स्प्रिट के प्रयोग को नियंत्रित करने में सहायता मिलेगी। प्रशासन ने दिल्ली में देशी शराब की फुटकर बिक्री को अस्थायी तौर पर अपने हाथों में ले लिया है। फिलहाल फुटकर मूल्य 10 रुपये प्रति बोतल नियत किया गया है। देशी शराब के मूल्य में की गई इस कमी से सीमा पार से तस्करी को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। पुलिस तथा आबकारी विभागों के उन कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है जिन्हें कर्तव्य-अवहेलना का दोषी बताया गया है। बवेजा आयोग की रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों में से कुछ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन ने जिला आबकारी अधिकारी, तीन आबकारी निरीक्षक तथा कमला मार्किट, पहाड़गंज तथा डिफेंस कालोनी के पुलिस थानों के स्टेशन हाउस आफिसरों को मुअत्तल कर दिया है। अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाई उनके उत्तरदायित्वों को निश्चित करने के पश्चात की जायगी।

Shri Mukhtiar Singh Malik : Mr. Speaker, sir, the statement given by the hon. Minister cause great concern. A similar tragedy, under the similar circumstances, took place in Delhi during January also. After this tragedy, Baweja Commission was appointed. The report of this commission was submitted to the Government. It has been stated that uptill now 50 persons have died of this poisonous liquor but these figures are much more according to unofficial sources. It is a matter of pity that no serious effort has been made to tackle this problem. Our excise policy is quite wrong.

Mr. Speaper, sir, you will recollect that when similar tragedy took place in January, Shri Radha Raman had demanded the resignation of Chief Executive Councillor and the Executive Council. Now when he himself is the Chief Executive Councillor, I doubt if he will tender his resignation or ask for the resignation of his Executive Council. Now the position is that neither the Excise department northe police is prepared to take this responsibility. The boot-leggers are the creation of these departments. Both these departments are corrupt and it is due to their negligence that a bottle of wine which costs rupees 7 in Haryana or Uttar Pradesh is sold at rupees 12 to 14 in Delhi.

The hon. Minister has stated that the prices of the bottle has been fixed as rupees ten in Delhi. That way, they want to discourage it. But this little effort has been made after a cry inside this House and outside it. So under the present circumstances, I would like to know from the hon. Minister that how much time will be taken in re-orienting the Excise policy ? I wish that top-priority should be given to it. Secondly, what immediate steps have been taken by the Government to check the sale of poisonous liquor by boot-leggers ? Thirdly, the assurances which were given by hon. Minister in the other House will be implemented or those will remain simple assurances ? Lastly, I want to know why the report of Baweja Commission is not being implemented ?

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, sir, as regards the number of deaths, every effort has been made to give correct number. There was only one instance where a dead body was being taken for funeral. The police was informed about it. After post-mortem it came to light that it was a case of death by poisonons liquor. So, whenever police got information, it tried ao investigate the mater.

Secondly, as regards the resignation of Shri Radha Raman is concerned, that is out of question because no such precedence was set by the outgoing Chief Executive Councillor.

Thirdly, as regards the Excise Policy, the hon. Member has not made it clear whether he wants total prohibition or he wants that maximum liquor should be made available to the people.

Lastly, so far as the implementation of Baweja Commission recommendations are concerned, it is stated that all 18 recommendations have been made by the Commission. Out of them 13 or 14 have been implemented and most of them relate to Excise Department. Regarding follow up action on the report, I have briefly stated that from the date of the appointment of Commission upto 4th April about 22 thousand bottles of illicit liquor have been recovered, 682 cases have been registered and 732 persons have been arrested.

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda) : I wish to submit that it was the third incident in Delhi. The first incident took place in 1969, in which 40 persons died. Such incidents

continue to take place in other parts of the country also. It has been stated in the reports of laboratory tests that deaths can take place due to ingredients in the liquor. But may I know whether any action has been taken against those who prepare it ? Until and unless, some action is taken against them, this problem is not likely to be solved...(Interruptions) It is evident from experience that prohibition is no solution to it and I suggest its total scrapping.

Secondly, the copies of report of Baweja Commission should have been supplied to Members in advance. The Government should stop this auction system and Government should run fair price shops.

Thirdly, it has been demanded that fare price shops for wine should be opened in Delhi. Strict actions should be taken against the officers who are found guilty. The entire machinery of excise department needs to be overhauled. Similar steps should be taken in reforming police department also. All this should be done as early as possible.

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, sir, the hon. Member has not asked any precise question but he has given some more information. A police case has been registered against the concerned wine shop. Action has been initiated against the shop holder.

The summary of Baweja Commission report has been published in the press and that is no more a secret.

It has also been stated by the hon. Member that if more wine shops are opened, people who take pills and capsules will also switch over to wine. In this connection I would like to remind the hon. Member that in America wine is open and easily available but still people take drugs. So, it is just a tendency and a matter of habit.

श्री वीरेन्द्र सिंह राव (महेन्द्रगढ़) : एक ही वर्ष में सैकड़ों लोगों के मरने की यह दूसरी घटना है। मंत्री महोदय ने बताया है कि स्पिरिट की बिक्री पर नियंत्रण किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यही एक ऐसा रसायन है जिससे विषैली शराब बनाई जाती है। जब तक शुल्क की सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन नहीं किया जायेगा, तब तक ऐसी घटनायें घटती ही रहेंगी।

हमारे संविधान में भी यह लिखा हुआ है कि मद्य निषेध लागू किया जाना चाहिये। परन्तु 25 वर्षों के बाद भी अभी तक इस बारे में सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। जो लोग कैप्सयूल या गोलियाँ लेते हैं, सरकार उन्हें रोक तो नहीं सकती परन्तु सरकार अच्छी शराब तो उपलब्ध करवा सकती है।

केन्द्र सरकार की अनुमति से हरियाणा राज्य में बार खोलने के लिए सरकार ने निःशुल्क लाईसैंस देने आरम्भ कर दिये हैं। यदि कांग्रेसी सरकार के होते हुये यहाँ ऐसा हो सकता है, तो अन्य राज्यों के लिए भिन्न नीति क्यों अपनाई जाती है। मैं समझता हूं कि सरकार को शराब की खुली बार खोलनी चाहिये जहाँ कि बोतल की अपेक्षा, खुले गिलासों के भाव से शराब मिल सके और गरीब लोग उसे पी सकें। यदि ऐसा कर दिया जाता है, तो उन्हें अनधिकृत और अवैध रूप से बनाई गई सस्ती शराब नहीं पीनी पड़ेगी और इस प्रकार की घटनायें नहीं होगी। जब तक मद्य-निषेध नहीं लागू किया जाता, या मद्य-निषेध की नीति पर पूर्णतया दोबारा विचार नहीं

किया जाता, तब तक मैं समझता हूं कि सरकारी दुकानों से थोड़ी मात्रा में शराब उपलब्ध करवाने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सदस्य महोदय ने एक यह प्रश्न उठाया कि क्या केवल डी-नेचर्ड स्पिरिट ही इन मृत्युओं के लिए उत्तरदायी है, या कुछ अन्य रसायन भी प्रयोग में लाये जाते हैं। वास्तव में डी-नेचर्ड स्पिरिट को ही औद्योगिक अलकोहल कहा जाता है, जिसका थिनर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है । शराब बनाने के लिए कभी-कभी इन्हीं रसायनों का गलत प्रयोग किया जाता है । खैर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता कि इन मृत्युओं के लिए कौन सा रसायन उत्तरदायी था ।

दूसरी बात मद्य-निषेध के बारे में सरकार की नीति के बारे में कही गई है । मेरे मित्र स्वयं एक अनुभवी हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है कि सामाजिक बुराइयों पर काबू पाते समय सरकार के समक्ष कई कठिनाईयाँ आती हैं। ऐसी बुराईयों की जड़ें कहीं और होती हैं और इसीलिए केवल कानून द्वारा उन्हें समाप्त करना सरकार के लिए संभव नहीं होता । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, मद्य-निषेध की नीति तो हमारे संविधान के निदेश–पदों में भी अपनाई गई है। अतः अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि इसमें कोई परिवर्तन किया जायेगा या नहीं। यह अधिकार तो संविधान का है।

श्री के० एस० लावड़ा (पाटन) : मद्य-निषेध की नीति के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री कृष्ण चन्द पन्त : जहाँ तक शराब की दुकानें खोलने का प्रश्न है, उसके बारे में सरकार स्वयं दुविधा में है । सरकार तथा सदन दोंनों ही मद्य-निषेध की नीति को स्वीकार कर चुके हैं । अतः इस मामले में तो हमें संवैधानिक निर्णय ही लेना पड़ेगा । सरकार द्वारा जो नीति अपनाई जाती है, वह पहले सदन द्वारा स्वीकार की जाती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने यह पूछा था कि मद्य-निषेध की नीति का अनुमोदन इस सदन द्वारा किया गया है, परन्तु फिर इसका पालन हरियाणा में क्यों नहीं किया जा रहा ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो केवल राजधानी से सम्बद्ध प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं । हरियाणा से सम्बद्ध प्रश्न पूछने के लिए आपको श्री बंसीलाल के पास जाना पड़ेगा ।

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : The occurrence of such incidents is a matter of regret irrespective of the fact whether Delhi is governed by Jan Sangh or Congrers. I wish that a serious attempt should be made to go into the root cause of it. Before we come to a final conclusion, we should ascertain as to where such people live, what is their standard of living and what is their economic condition ? We should also ascertain if they were not frustrated or disappointed ? What was the class of those people ? Whether they used

to get two ends meet or not ? It is a basic question of human lives and must be considered on hunlanitarian grounds. Every effort should be made to do away with all basic causes of such incidents. Some of my friends have stated that Excise and Police departments are corrupt. But simply to say so is not going to satisfy the House. What about the people who have died ? May I know if the Government has got any authentic report about the formula of mixing thinner or spirit with other chemicals ? The Minister of Planning, Shri Subramaniam is also here. May I know if he is planning for some other national drink which should be less dangerous and the sale of this poisonons drink should be banned.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यह एक सुझाव है ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा भारतीय टेलीग्राफ (सातवां संशोधन) नियम

संचार मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड, मद्रास, के वर्ष 1970–71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ। **[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी. 1647/72]**

(2) (एक) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय टेलीग्राफ (सातवां संशोधन) नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 अक्तूबर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1471 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 1648/72]**

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन और अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं, श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से, सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) (एक) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के वर्ष 1970--71 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) उपर्युकत प्रतिवेदन में उल्लिखित कतिपय मामलों में आयोग की सलाह सरकार द्वारा न मानी जाने के कारण स्पष्ट करने वाला ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी 1649/72**]

(2) (क) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय वन सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) संशोधन विनियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 45(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 46(ङ) में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) जी० एस० आर० 47(ङ) जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी,1972 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा असम और मेघालय राज्यों के लिए भारतीय वन सेवा का एक संयुक्त संवर्ग गठित किया गया है ।

(चार) जी० एस० आर० 48(ङ), जो भारत के राजपत्र, दिनांक 20 जनवरी, 1972 में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों के लिए भारतीय वन सेवा का एक संयुक्त संवर्ग गठित किया गया है ।

(पाँच) भारतीय वन सेवा (संवर्ग) संशोधन नियम, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 18 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 315 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) उपर्युक्त मद (एक) से (चार) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [**ग्रन्थालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी 1650/72**]

पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन (अनर्हताओं का निवारण) आदेश संख्या 1 सीमा सुरक्षा बल छुट्टी नियम तथा अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पन्त) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :—

(1) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 87 की उपधारा (2) के अन्तर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन (अनर्हताओं का निवारण) आदेश संख्या 1 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 21 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 216 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 1651/72**]

(2) (एक) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल छुट्टी नियम, 1971 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 11 सितम्बर, 1971 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1313 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का एक विवरण। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 1652/72**]

(3) अन्तर्राज्यीय निगम अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) महाप्रशासक, पजाब (पुनर्गठन) आदेश, 1972, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 221 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) शासकीय न्यासी, पंजाब (पुनर्गठन) आदेश, 1972 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 22 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 222 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी 1653/72**]

केरोसीन (अधिकतम कीमत निर्धारण) संशोधन आदेश

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत केरोसीन (अधिकतम कीमत-निर्धारण) संशोधन आदेश, 1972 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 17 मार्च, 1972 में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 195 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.1654/72**]

राज्य सभा से संदेश
Messages From Rajya Sabha

सचिव :— मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा ने 3 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में, एक प्रस्ताव स्वीकार किया है कि होम्यपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक, 1971 को दोनों सभाओं की 45 सदस्यों की, एक संयुक्त समिति को जिसमें 15 सदस्य राज्य सभा से, अर्थात् :—

(1) श्री शशांक सान्याल
(2) श्री भूपेन्द्र सिंह

(3) श्री एन० जी० गोरे

(4) डा० के० नगप्पा आल्वा

(5) डा० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय

(6) श्री सीताराम केसरी

(7) श्री मानसिंह वर्मा

(8) श्री टी० के० श्रीनिवासन्

(9) श्री के० सी० पंडा

(10) श्री मनुभाई शाह

(11) श्री सुलतान सिंह

(12) श्री एन० पी० चौधरी

(13) श्री टी० जी० देशमुख

(14) श्रीमती सविता बहन

(15) श्रीमती पूर्वी मुखोपाध्याय

और 30 सदस्य लोक सभा से हों, सौंपा जाये और सिफारिश की है कि लोक सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा उक्त संयुक्त समिति के लिये लोक सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों के नाम उस सभा को भेजे।

(दो) कि राज्य सभा ने 3 अप्रैल, 1972 को अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 21 दिसम्बर, 1971 को पास किये गये समाचार पत्र (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 1971 को निम्न संशोधनों सहित पास किया है और विधेयक को इस अनुरोध के साथ लौटाया है कि लोक सभा इन संशोधनों पर अपनी सहमति राज्य सभा को भेजे :

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "बाईसवां वर्ष" के स्थान पर "तेईसवां वर्ष" रखा जाये।

खन्ड

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1971" के स्थान पर "1972" रखा जाये।

समाचार पत्र (कीमत नियंत्रण) विधेयक राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में

NEWSPAPER (PRICE CONTROL) BILL AS AMENDED BY RAJYA SABHA

सचिव : मैं समाचार पत्र (कीमत नियंत्रण) विधेयक, 1971, जो राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया है, सभा पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
Committe on Private Members Bills and Resolutions

ग्यारहवां प्रतिवेदन

श्री० जी० जी० स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबन्धी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes

अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन

श्री बूटासिंह (रोपड़) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल के फरवरी, 1972 में पटना, रांची, बोकारो, दुर्गापुर और कलकत्ता के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री कुरील, डा० के० एल० राव की ओर से एक वक्तव्य देगें ।

सिंचाई आयोग के प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON REPORT OF IRRIGATION COMMISSION

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : जैसा कि सदन को विदित है, सरकार ने 1969 में श्री अजीत प्रसाद जैन, संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था । आयोग ने सोमवार 3 अप्रैल, 1972 को रिपोर्ट का खण्ड एक और रिपोर्ट के चौथे खण्ड के रूप में भारत का एक सिंचाई एटलस प्रस्तुत कर दिया है ।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 1903 से, जिस वर्ष प्रथम सिंचाई आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, भारत में सिंचाई की प्रगति का पुनरीक्षण किया है ।

आयोग ने 1969 में राज्य सरकारों को एक सुविस्तृत प्रश्नावली भेजी थी और उनके उत्तरों को और राज्यों, परियोजना-स्थलों की अपनी यात्राओं को भी और कर्मचारियों, राज्य सरकारों और प्रगतिशील किसानों और अन्य लोगों से विचार-विमर्श को आधार मानकर परियोजना के प्रतिपादन, स्वीकृति और निष्पादन की वर्तमान प्रणाली को सरल और कारगर बनाने के लिए अनेक कार्रवाइयों की सिफारिश की है । आयोग ने जन-संसाधनों के नियोजित विकास, पालन की जाने वाली नीतियों और तथ्यों और सिंचाई कार्यों के आर्थिक पक्ष और वित्तपोषण के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं । उसने राष्ट्रीय जल ग्रिड के महत्व और उसके अन्वेषण की आवश्यकता की सिफारिश की है ।

आयोग की रिपोर्ट में, हमारी सिंचाई परियोजनाओं के कमान-क्षेत्र के त्वरित विकास के लिए आवश्यक उपायों पर जोर भी दिया गया है । सूखा ग्रस्त-क्षेत्रों में सिंचाई को विकसित करने की आवश्यकता और महत्व पर भी जोर दिया है । सूखा-प्रवण क्षेत्रों के निर्धारण के लिए और निष्पादनाधीन परियोजनाओं और इन परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने की आवश्यकता के मानदण्ड निश्चित कर दिए गए हैं ।

सिंचाई के विकास को दृष्टि में रखते हुए आयोग ने सिंचाई क्षेत्रों के कमान में जल-जमाव, जल निकासी और बाढ़ों की समस्या और इस बात से आश्वस्त होने के लिए कि परियोजनाओं के

कमान क्षेत्रों में सिंचाई शुरू करने का कोई प्रतिकूल प्रभाव न होने पाये, आवश्यक उपायों की जांच की।

आयोग ने विभिन्न राज्यों में लागू सिंचाई अधिनियमों और कोडों की जाँच की है और प्रत्येक राज्य में कोडों की एकरूपता और अधिनियमितियों में क्षेत्रीय मानक अपनाने की संभावनाओं के सम्बन्ध में भी सिफारिश की है। सिंचाई प्रशासन की वर्तमान प्रणाली में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं।

अपने जल-संसाधनों के द्रुतगति के विकास हेतु अन्तर्राज्यीय मतभेदों और विवादों को सुलझाने के महत्व पर बल दिया गया है। आयोग ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं।

जलाशयों की तलछट की समस्या और नदी घाटी परियोजनाओं के वाहक्षेत्र में प्रभावी भू-संरक्षण उपायों को हाथ में लेने के महत्व पर बल दिया गया है। आयोग ने इसके लिए एक समय-निर्धारित कार्यक्रम का सुझाव दिया है।

सिंचाई के विस्तृत विकास और उसके परिणामस्वरूप, सिंचाई इंजीनियरों और सिंचाई के विकास से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों के लिए अनुसंधान, शिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। उसने विशेषकर सिंचाई इन्जीनियरों के लिए कृषि विज्ञान में एक बुनियादी पाठ्य-क्रम अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है।

आयोग ने भूमि समुपयोजन के आंकड़ों, जिसमें सिंचाई के आँकड़े भी सम्मिलित हैं, के प्रकाशन में वर्तमान विलम्ब के बारे में चर्चा की है और निहित विलम्ब को दूर करने के लिए अनेक उपाय भी बताए हैं।

आयोग ने भूतल जल के मूल्यांकन के समस्त कार्य को समन्वित करने और एक प्रशासन के अन्तर्गत लाने हेतु एक जल-विज्ञान निदेशालय की स्थापना की सिफारिश की है। उसने भारत में सभी बृहद् नदी-प्रणालियों के लिए बेसिन योजनाएं तैयार करने के लिए नदी-बेसिन-आयोग के गठन की सिफारिश भी की है। आयोग ने संरक्षण, जल समुपयोजन और उसे एक से दूसरे बेसिन में ले जाने से सम्बन्धित नीति-निर्णय लेने के लिए; जल के उपयोग के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए और नदी बेसिन आयोगों के कार्यचालन और नदी बेसिनों की समस्याओं पर लगातार निगरानी रखने के लिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सिंचाई परियोजनाओं का प्रतिपादन उच्चतम राष्ट्रीय हित के अनुसार हो, 'राष्ट्रीय जल-संसाधन परिषद्' (नेशनल वाटर रिसोर्सेज काउंसिल) नामक एक उच्चस्तरीय प्राधिकरण गठित करने की सिफारिश की है।

खण्ड एक और एटलस की प्रतियाँ संसद् के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

आयोग इस समय विभिन्न राज्यों और बेसिनों से सम्बन्धित क्रमशः खण्ड दो और तीन पर कार्य कर रहा है। ऐसी आशा है कि ये और तीन महीनों में तैयार हो जायेंगे।

सरकार आयोग की रिपोर्ट को जाँच कर रही है और यह उसके निर्णयों सहित सदन के समक्ष यथा समय प्रस्तुत कर दी जाएगी।

———

समितियों के लिये निर्वाचन

ELECTION TO COMMITTEES

(एक) लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

श्री डी० बसुमतारी (कोकराधार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए, डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार और श्री एम० वी० भद्रम् के राज्य सभा से सेवा निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल सँक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिए, डा० (श्रीमती) मंगलादेवी तलवार और श्री एम० वी० भद्रम् के राज्य सभा से सेवा निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य के नाम इस सभा को बताये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adotped

(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

श्री बूटा सिंह (रोपड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं:—"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए, सर्वश्री ब्रह्मानन्द पंडा और सुखदेव प्रसाद के राज्य सभा से सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे और उक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के लिए, सर्वश्री ब्रह्मानन्द पंडा और सुखदेव प्रसाद के राज्य सभा से सेवा-निवृत्त हो जाने के कारण रिक्त हुए स्थानों पर, अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा राज्य सभा के दो सदस्य निर्वाचित करे और उक्त समिति में राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्यों के नाम इस सभा को बताये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राष्ट्रीय सेवा विधेयक

National [Service Bill

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत) : मैं प्रस्ताव करता हूं : "कि अर्हित

व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसे व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा किये जाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि अर्हित व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसे व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा किये जाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री० एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सेवा है । राष्ट्रीय हितों में इस विधेयक का स्वागत तो सभी करेंगे लेकिन बेरोजगार लोगों के साथ यह एक बहुत बड़ा मजाक है । यह विधेयक द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लागू किये गये एक कानून के ही अनुरूप है ।

विदेशों से परीक्षाएं पास करके आए भारतीय डाक्टरों को भारत में नौकरियां नहीं मिल रही हैं । इसी प्रकार बेरोजगार इन्जीनियरों की संख्या इस समय 58,000 से 80,000 के बीच में है । इस विधेयक के बारे में मेरा सबसे बड़ा विरोध यही है कि आज की परिस्थितियों में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है । लोग तो राष्ट्र की सेवा के लिए तड़प रहे हैं । 1962 और 1965 के दौरान हमसे देखा कि बहुत से युवकों ने राष्ट्र को अपनी सेवाएं समर्पित कीं । हाल ही में सभी अर्हता प्राप्त इन्जीनियरों ने शिक्षा मंत्री एवं प्रधान मंत्री को सूचित किया कि वे कहीं पर भी नियुक्ति के लिए तत्पर हैं । अतः आज की भुखमरी हालत में इस प्रकार का विधेयक उन लोगों के साथ एक गम्भीर मजाक है । संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्तों में से यदि कार्य के अधिकार को कार्यरूप दिया गया होता तो इस प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता ही नहीं हुई होती ।

यदि कठिनाई केवल यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए डाक्टर नहीं मिलते तो मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि अनिवार्यता की बात अवश्य होनी चाहिए अन्यथा ग्रामीण जनता नीम-हकीमों के चंगुल में ही फंसी रहेगी ।

मेरी दूसरी आपत्ति वित्तीय ज्ञापन के सम्बन्ध में हैं । इसमें बताया गया है कि आनुषंगिक व्यय सहित इस कार्य के लिए कर्मचारियों पर प्रति वर्ष लगभग 5,57,000 रुपये का खर्च होगा । इस बारे में अनुवर्ती व्यय कोई नहीं होगा । यह बहुत ही हैरानी की बात है कि आवर्त्ती व्यय तो होगा परन्तु अनावर्त्ती व्यय होगा ही नहीं । इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरी यह समझ में नहीं आता कि सरकार को किस क्षेत्र में अपेक्षित व्यक्ति प्राप्त करने में कठिनाई सामने आ रही है । एक सर्वेक्षण के अनुसार देश की दो तिहाई जनता बेरोजगार है अथवा उसके पास उचित रोजगार नहीं है । 74,000 बेरोजगार इन्जीनियर हमारे देश में हैं । इस विधेयक के पुरः स्थापित किए जाने से पूर्व मंत्री महोदय को यह सूचित करना चाहिए कि किस क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में अपेक्षित व्यक्ति प्राप्त नहीं हो रहे हैं ।

दूसरी बात वित्तीय ज्ञापन की है, इसमें नियमानुसार सभी बातें नहीं बताई गई हैं। अतः इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए और समुचित वित्तीय ज्ञापन के साथ दोबारा पुरः-स्थापित किया जाना चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्रीमन, विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में एक बहुत ही बड़ी कमी है। इसमें रजिस्ट्रेशन आदि का कार्य करने के लिए मुख्यालय के खर्च के लिए 5,57,000 रु० प्रति वर्ष के व्यय की व्यवस्था की गई है। विधेयक की धारा 15 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को, जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाया जायगा, उस स्तर का वेतन दिया जायेगा जिसका वह अधिकारी है। वित्तीय ज्ञापन में यह नहीं बतलाया गया कि इस बारे में कितने व्यय की सम्भावना है। इस बारे में कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। इस आधार पर इस विधेयक को वापस लिया जाना चाहिए और वित्तीय ज्ञापन तैयार करने के उपरान्त ही इसे सदन में पुनः पुरः स्थापित किया जाना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विधेयक का विरोध देखकर मुझे हैरानी हो रही है। वास्तव में इस प्रकार के विधेयक का सदन के सभी पक्षों को स्वागत करना चाहिए था। आज बहुत से देशों में राष्ट्रीय सेवा योजना लागू है जिसके अन्तर्गत नियमित नौकरी से पूर्व सभी को राष्ट्रीय सेवा करनी पड़ती है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कोई असामान्य अथवा नई बात नहीं है। वर्तमान योजना के अनुसार डाक्टरों और इन्जीनियरों को राष्ट्रीय सेवा के रूप में कुछ वर्ष अवश्य कार्य करना होगा।

जहाँ तक यह प्रश्न है कि किस प्रकार के व्यक्तियों के मामले में सरकार को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने स्वयं ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हस्पतालों एवं औषधालयों में डाक्टरों की कमी रहती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए डाक्टर नहीं मिलते हैं। परिवार नियोजन कार्यों के लिए डाक्टर नहीं मिलते हैं। अतः इसकी पूर्ति की जानी है।

डाक्टरों के सम्बन्ध यह नहीं कहा जा सकता कि उनमें भी बेरोजगारी है।

श्री पी० वैंकट सुब्बया (नन्दयाल) : आन्ध्र प्रदेश में 2000 से 3000 डाक्टर बेरोजगार हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इसलिए बेकार हैं क्योंकि वे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते।

श्री एस० एम० बनर्जी : क्या इस योजना के अन्तर्गत उन्हें तत्काल रोजगार मिल जावेगा ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस सम्बन्ध में अभी बताऊंगा। इन्जीनियरों में कुछ बेरोजगारी अवश्य है परन्तु यह भी सत्य है कि सेवा के लिए अपेक्षित इंजीनियर मिलने में कठिनाई है। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को इस विधेयक के द्वारा दूर करने का प्रयत्न किया गया है।

इसके अतिरिक्त यदि हम बेरोजगारी के सम्बन्ध में सोचें तो इस योजना से रोजगार के अधिक अवसर बनेंगे क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पद स्थित हैं उनको भरा जायेगा और सेना से भी लोगों को लिया जायेगा। इन पदों के लिए इन्हीं बेरोजगारों में से ही तो लोग आवेंगे, न कि चन्द्रमा पर से आवेंगे। इस योजना से अनुसार उन्हें चार वर्ष का अनुभव प्राप्त हो सकेगा और इसके अतिरिक्त उन्हें समुचित मेहनताना भी मिलेगा। अतः जहाँ एक ओर राष्ट्रीय सेवा है दूसरी ओर यह आशा भी की जाती है कि इन लोगों को काम मिल सकता है।

श्री ज्योतिमर्य बसु : मेरा विचार था कि आपकी योजना में यह व्यवस्था है कि चिकित्सा एवं इन्जीनियरिंग व्यवसाय के प्रत्येक व्यक्ति को निश्चित अवधि के लिए ग्रामीण अथवा किसी अन्य निर्धारित क्षेत्रों में कार्य करना होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि हम बिना किसी कठिनाई के विधेयक को पारित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : इन बातों पर हम विधेयक पर आम चर्चा के समय विचार करेंगे न कि पुरः स्थापना के समय (अन्तर्बाधाएं)।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : उन्होंने ठीक ही समझा है। आज बहुत से पद खाली हैं और वे भरे जायेंगे।

वित्तीय ज्ञापन पर आपत्ति उठाते हुए कहा गया कि अनावर्त्ती व्यय का उल्लेख नहीं किया गया है। मैं यह आपत्ति समझ नहीं सका। इस बारे में आनुषंगिक व्यय सहित कर्मचारियों पर 5.57 लाख रुपये प्रति वर्ष व्यय होगा। ज्ञापन में यह नहीं कहा गया है कि आवर्त्ती व्यय नहीं होगा। मेरे विचार से इस बारे में कोई गलतफहमी है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : वित्तीय ज्ञापन में यह राशि मुख्यालय पर खर्च में दिखाई गई है। राष्ट्रीय सेवा के लिए बुलाए जानेवाले डाक्टरों एवं इन्जीनियरों को वेतत, भत्ते, पेन्शन आदि पर व्यय की बात का तो इसमें उल्लेख नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : विधेयक की धारा 11 से 15 के अन्तर्गत यह सभी बातें आती हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य वेतनों आदि की बावत पूछना चाहते हैं। वे उन्हें संबन्धित विभागों से प्राप्त होंगे मंत्री महोदय से नहीं। अतः प्रश्न यह हैं कि : "अर्हित व्यक्तियों के रजिस्ट्रीकरण और ऐसे व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा किए जाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

"चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन" के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FOURTH PLAN MIDTERM APPRAISAL

योजना मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 'चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन' पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

यह वर्ष हमारी स्वाधीनता का पंचीसवां वर्ष है। यह वर्ष आयोजना की दृष्टि से भी वयस्कता प्राप्त करने का वर्ष है। पिछले 21 वर्षों में 3 पंचवर्षीय योजनाएं, तीन एक वर्षीय योजनाएं तथा चौथी पंचवर्षीय योजना की अर्द्धावधि समाप्त हुई है।

आयोजना के सम्बन्ध में बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यदि हम इस दृष्टि से सोचें कि क्या हम आयोजना की दृष्टि से बुद्धिमान हैं ? तो हमें यह सोचना होगा कि क्या हम अब तक गलत रास्ते पर थे और यदि हाँ, तो ठीक रास्ता कौन सा है। हम पांचवी पंचवर्षीय योजना तैयार करने वाले हैं। उसमें हमें भारतीय गरीबी की नई तथा पुरानी समस्याओं को किस प्रकार हल करना है ?

इस विचार से मैं चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन का स्वागत कर रहा हूँ। इस मूल्याँकन पर चर्चा के साथ ही हम 1972-75 की वार्षिक योजना पर भी चर्चा करेंगे। मूल्यांकन में योजना के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त प्रगति तथा कमियों का उल्लेख किया गया है और वार्षिक योजना में उन समस्याओं को हल करने के लिए व्यवस्था की गई है। अतः यह बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सदन को दोनों सम्बद्ध बातों पर एक साथ चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। लोकतन्त्र में यह अपेक्षित भी होता है कि आयोजना प्रक्रिया के बारे में समय-समय पर सदन को सूचित किया जाता रहे।

विशेष क्षेत्रों में आई कमियों को सुधारने की कार्यवाही के अतिरिक्त मध्यावधि मूल्यांकन में संसाधन जुटाने, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने तथा रोजगार एवं सामाजिक न्याय के लिए अधिक परिव्यय की आवश्यकता पर तुरन्त बल दिया गया है। वार्षिक आयोजना में हमने इन सभी क्षेत्रों में अपने प्रयासों को अधिक गति देने का प्रयास किया है। 1972-73 में कुल 3973 करोड़ रुपये की वार्षिक आयोजना नियत की गई है जो कि पिछले वर्ष के परिव्यय से 815 करोड़ रुपये अधिक होती है। योजना के पांच वर्षों में सरकारी क्षेत्र की आयोजना लगभग 15,900 करोड़ रुपये थी। पहले चार वर्षों का परिव्यय लगभग 12,000 करोड़ रुपये होगा। परिस्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि वित्तीय दृष्टि से चौथी योजना का परिव्यय अधिक होगा। विशेषकर इस लिए कि नवम्बर और दिसम्बर 1971 के कष्ट वाले दिनों को देखते हुए जबकि हमारे सामने शरणार्थी समस्या थी, यह बहुत ही संतोष की बात है कि हमारा कार्य सुचारु रूप से चल रहा है।

विकास व्यय में अत्यधिक वृद्धि 1971-72 और 1972-73 में अतिरिक्त संसाधन जुटा पाने के अभूतपूर्व प्रयासों के कारण ही सम्भव हो सकी है। इस अवधि में हमने 650 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये जबकि योजना के प्रथम दो वर्षों में हम केवल 270 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटा पाये थे। केन्द्र सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप संसाधन जुटाने के आयोजना के लक्ष्य प्राप्त ही नहीं किए गए वरन उनसे भी आगे बढ़ा गया और राज्यों में इस दिशा में अभी प्रगति होनी है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस वर्ष तथा अगले वर्ष इस दिशा में अत्यधिक प्रयास करने की बात स्वीकार कर ली गई है।

संसाधन जुटाने की दिशा में हमारा दृष्टिकोण केवल मात्रामूलक ही नहीं है। हम कर पद्धति में इस प्रकार के परिवर्तन करना चाहते हैं कि यह विकास, सामाजिक न्याय तथा आत्म-निर्भरता के प्रति उत्तरदायी हो। इस दृष्टि से हमने डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में कृषि पर एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। राज्य सरकारों द्वारा जमा राशि से अधिक धन न निकालने की अवस्था में केन्द्र तथा राज्यों में अधिक वित्तीय अनुशासन एवं समन्वय स्थापित होगा ऐसा मैं समझता हूं। राज्यों की आय और व्यय में विषमता की समस्या पर छठे वित्त आयोग द्वारा विचार किया जाएगा। वित्त आयोग के निर्देश पर इस प्रकार तैयार किए जाएंगे कि वित्तीय सम्बन्धों की दृष्टि से केन्द्र तथा राज्य में क्रमिक सुधार हो सके।

संसद के समक्ष अपने भाषण में राष्ट्रपति ने आर्थिक स्वराज्य की बात कही थी। वास्तव में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के उत्तर में प्रधानमन्त्री ने इस पहलू पर बल भी दिया था। हाल की घटनाओं ने पूर्ण तया स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी देश द्वारा यह सोचना कि विदेशी आर्थिक सहायता के द्वारा भारत की नीतियों को प्रभावित किया जा सकता है मूर्खता होगी। इस दृष्टि से हम आर्थिक रूप से स्वतन्त्र हैं। परन्तु आर्थिक स्वराज्य तो इससे आगे की बात है। उसके अन्तर्गत हमें कम से कम समय में भारत के भौतिक, वित्तीय तथा जन बल संसाधनों का पूर्ण विकास और वैज्ञानिक गवेषणा एवं तकनीकी प्रगति की दिशा में आज के विश्व में इसे उचित स्थान पर बिठाना है।

वार्षिक योजना का एक मुख्य उद्देश्य भी इस विचार को मूर्त रूप देने की ओर बढ़ने का एक कदम है। कई बातों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। हमने वर्ष 1971 तक खाद्यान्न का आयात पूर्णतया बन्द करने की अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी है। हां रूई, तिलहन, इस्पात उर्वरक अलौह धातुएं, कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद अभी भी काफी मात्रा में आयात होते हैं। परन्तु वार्षिक योजना में रूई और पटसन के उत्पादन कार्यक्रमों के लिए अनुसंधान आदि के लिए अधिक परि-व्यय की व्यवस्था की गई है। मूंगफली तथा सोयाबीन एवं सूरजमुखी की फसल के क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। हमने 1972-73 वर्ष के लिए रूई और पटसन, प्रत्येक के उत्पादन के लिए 10 लाख 'गांठों' के अतिरिक्त उत्पादन और तिलहनों के उत्पादन के लिए अतिरिक्त 10 लाख मीटरिक टन के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी इस्पात, उर्वरक, पेट्रोलियम, खनिज विकास तथा अलौह धातुओं आदि की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। एल्यूमिनियम और तांबा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। 1972-73 में वर्तमान स्थापित क्षमता के अधिक उपयोग द्वारा इस्पात उत्पादन को बढ़ाया जायेगा जिसमें 80 करोड़ रुपये का आयात कम होगा।

नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादन 4.5 लाख मीटरिक टन बढ़ेगा जिससे 60 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति ने भी इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ कर कर दिया है। इसने निम्न क्षेत्रों के लिए विशेष दल गठित कर दिये हैं जिससे प्रौद्योगिकी को सुधारने, उत्पादकता बढ़ाने और आयातों के प्रतिस्थापन की दिशा में समुचित अनुसन्धान और विकास कार्य हो सके।

मध्यावधि मूल्यांकन में हमने यह पाया कि योजना के पहले तीन वर्षों में किसी न किसी कारण से सामाजिक परिव्यय की पर्याप्त व्यवस्था न हो सकी है। इस विषमता को हमें सुधारना है क्योंकि विकास के मूल में आम आदमी की भलाई की भावना है। अतः हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, जल प्रदाय, आवासन और नगरीय विकास, समाज कल्याण, श्रमिक कल्याण तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए वार्षिक आयोजना में अधिक परिव्यय की व्यवस्था करने की ओर विशेष ध्यान दिया है। इन कार्यों के लिए केन्द्र तथा राज्यों में 228 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी जो 1971-72 के परिव्यय से लगभग 46 प्रतिशत अधिक है। 125 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रारम्भिक शिक्षा, रोजगार की विशेष योजनाओं, गन्दी बस्तियों के सुधार तथा ग्रामीण जल प्रदाय के लिए की गई है। इनके अतिरिक्त ग्रामीण रोजगार तथा विकास के लिए 90 करोड़ रु० तथा दोवा दार के लिए 21.5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सभी योजनाएं कमजोर वर्गों के लोगों के हित की हैं। इन योजनाओं के द्वारा हम अपने प्रशासकीय ढांचे को आगे के दो वर्षों में इतना फैलाना चाहते हैं कि अगली पंचवर्षीय योजना में हम लोगों की न्यूनतम मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकतम प्रयास कर सकें। इन आवश्यकताओं के बारे में विभिन्न राज्यों में अनेक अन्तर विद्यमान हैं। अतः हमने इन योजनाओं को केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर रखा है जिससे अधिक पिछड़े क्षेत्रों को दूसरों के साथ मिलाने के लिए अधिक प्रयास किए जा सकें।

मध्यावधि मूल्यांकन से जो अन्य विषमताएं तथा कमियां प्रकट हुई हैं, उनके लिए भी वार्षिक योजना में विशेष योजनायें सम्मिलित की जा रही हैं। 1970-71 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 1080 लाख मीट्रिक टन था जबकि 1971-72 में 1111 से 1120 लाख मीट्रिक टन उत्पादन की सम्भावना है। परन्तु अनाजों और दालों और वाणिज्यिक फसलों आदि में पर्याप्त अनुपात अभी प्राप्त करना है। यही स्थिति चावल और गेहूँ की है। आयोजना में चावल की तकनीकों के अनुसन्धान के लिए अधिक व्यवस्था की गई है। दालों के अधिक उत्पादन की केन्द्र प्रायोजित योजना को भी पहली बार वार्षिक योजना में स्थान दिया जा चुका है।

ग्रामीण विद्युतीकरण और पम्पों को बिजली देने की दिशा में भी पर्याप्त प्रगति की गई है। इन पर योजनावधि में की गई 300 करोड़ रुपयों की व्यवस्था के स्थान पर 750 करोड़ रुपये का प्रस्तावित व्यय है। तथापि प्रमुख और मध्यम दर्जे की सिंचाई योजनाओं की प्रगति धीमी है। प्रमुख योजनाओं में से अनेक योजनाएं राज्यों के मध्य नदियों के बारे में विवादों के कारण रुकी पड़ी हैं। अब इस विषय को प्राथमिकता देने का विचार है जिससे कानूनी दावे और प्रति दावे देश की दुर्लभ सिंचाई योजनाओं की प्रगति में रुकावट न बने।

बिजली के विकास की दृष्टि से हमें राष्ट्रीय ग्रिड के बारे में सोचना होगा जो कि फालतू बिजली वाले राज्यों को कम बिजली वाले राज्यों से सम्बद्ध करे जिससे समेक्षित और आर्थिक कार्यवाहियों के लिए आधार उपलब्ध हो सके। यदि हम बिजली के उत्पादन के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति अपनायें तो हम बड़ी-बड़ी अणु, तापीय और पन बिजली परियोजनाओं को हम स्थापित कर सकेंगे। आगामी कुछ ही महीनों में हम इस सम्बन्ध में नीति निर्धारित कर देंगे जिससे कि इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए देश में बिजली के भारी उपकरणों की निर्माण क्षमता का भी पूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो सके।

हमारे सामाजिक उद्देश्यों की सफलता के लिए उत्पादन साधनों का सार्वजनिक हाथों में होना और सरकारी उपक्रमों से लाभ बहुत महत्वपूर्ण है। अतः सरकारी क्षेत्र में उत्पादन तथा लाभ प्रदता का सुधार अति आवश्यक है। हमने प्रत्येक उपक्रम के लिए कार्य-दिशा सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक कार्य समिति गठित की है। इस समिति ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के कार्य कारण का अध्ययन पूरा कर लिया है और रसायन, इन्जीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स, खनिज, धातु और पेट्रो-केमिकल्स उद्योगों के कार्यकरण पर यह समिति आने वाले महीनों में विचार करेगी। इस बारे में प्रत्येक उपक्रम से भी पूछा जायेगा कि उसके कार्यकरण को सुधारने तथा क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए उसे किस कमी का सामना करना पड़ा है जिससे उस कमी को दूर किया जा सके। आशा है कि इस प्रकार के कार्य नीति के परिणाम स्वरूप औद्योगिक क्षेत्र में जो पिछले दो वर्षों से स्थिरता आ गई थी उस प्रवृत्ति को बदला जा सकेगा।

मुझे पता है कि बेरोजगारी की समस्या आज सभी सदस्यों और आम लोगों के विचारों पर छाई हुई है। वास्तव में गरीबी का कारण भी बेरोजगारी, आंशिक-रोजगारी और न्यूनतम स्वीकार्य स्तर से कम आय का होना है। हमारा पहला उद्देश्य यह होना चाहिए कि हम अपनी योजनाएं इस प्रकार बनायें और कार्यान्वित करें कि ऐसे क्षेत्रों में और ऐसे लोगों को रोजगार प्राप्त हों जहां पर बेरोजगारी, आंशिक रोजगारी और कम आय जैसे कारण स्थित हों। आज यह स्पष्ट है कि इस दिशा में अब तक जो कुछ किया गया है उससे अधिक की अपेक्षा है। इस सम्बन्ध में विशेष योजनाओं को कार्यान्वित करते समय हमें रोजगार के अवसरों को बताने वाली तथा निर्धन वर्ग की आय बढ़ाने वाली योजनाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस दृष्टि से पशु-पालन, भेड़पालन, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, भूमि संरक्षण, नये सिंचित क्षेत्रों का विकास, सड़कें तथा विशेष रूप से ग्रामीण सड़कें और आवास निर्माण आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें न केवल रोजगार के अवसर पैदा होते हैं बल्कि आय वृद्धि का भी यह साधन है। परन्तु आज इस ओर कुछ कमी है जिसकी ओर हमने राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया है।

गरीबी और बेरोजगारी हटाने का योजनाओं को कार्यान्वयन आने वाले महीनों के लिए हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। यह उद्देश्य न केवल इस वर्ष के लिए अथवा आने वाले वर्ष के लिए ही महत्वपूर्ण है अपितु इस बारे में प्राप्त अनुभव को हमने पांचवी योजना तैयार करते समय अपना आधार बनाना है। एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपने लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की व्यवस्था, रोजगार और आय बढ़ाने के अवसर पैदा करना जिससे कि प्रादेशिक

विषमताओं को कम किया जा सके, हमारी पांचवीं पंचवर्षीय योजना का केन्द्रबिन्दु होगा। अन्त में मुझे आशा है कि अगले वर्ष के मध्य तक योजना का प्रारूप चर्चा के लिए सदस्यों को उपलब्ध कराया जा सकेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि "चौथी योजना मध्यावधि मूल्यांकन" पर, जो 22 दिसम्बर, 1971 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार किया जाये।"

इसके लिए कार्य मंत्रणा समिति ने 8 घन्टे का समय निर्धारित किया है। सदस्य कल 5.30 तक समय लेंगे तत्पश्चात मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for lunch till thirty minutes past fourteen of the clock

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बज कर 30 मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha reassembled after lunch at thirty minutes past fourteen of the clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Deputy Speaker *in the cheir*

श्री पीलू मोदी (गोधरा): मैं श्री सी० सुब्रह्मण्यम के चौथी योजना के सम्बन्ध में भाषण से देश की प्रगति के सम्बन्ध में कुछ संतोष का अनुभव कर रहा था। परन्तु मेरा यह भ्रम सदन से बाहर जाते ही दूर हो गया क्योंकि देश के समक्ष अभी बड़ी-बड़ी समस्याएं विद्यमान हैं।

नियंत्रित आयोजना द्वारा सरकार उज्जवल भविष्य के मार्ग के स्वयं ही बाधाएं उत्पन्न कर रही है।

आयोजना अच्छी बात है। प्रथम योजना से अच्छा सुधार हुआ था। दूसरी योजना के प्रारूप को देखने से ऐसा लगता था कि 15-20 वर्षों में देश की दशा में प्रर्याप्त सुधार हो सकेगा। परन्तु दूसरी योजना के दौरान ही कठिनाई उत्पन्न हो गई। उसमें इस्पात संयंत्रों को तो स्थान मिला परन्तु उर्वरक कारखानों को कोई स्थान नहीं मिल सका। दूसरी योजना उलटी दिशा में चल पड़ी जिसे श्री सुब्रह्मण्यम तथा उनके साथी चाहे अनुभव न करें परन्तु मुझे वह स्पष्ट दिखाई दे रही है कि उसकी दिशा गलत थी।

योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को मैं ध्यान से पढ़ रहा था। उसके लेखों एवं भाषणों, में केवल बड़े-बड़े शब्दों की ही भरमार है, सब कुछ नहीं है।

पहली बात तो यह है इस समय देश में लाभों का आधा भाग राजनीति के खिलाड़ियों को प्राप्त होता है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के स्थान पर यह काले धन का रूप धारण कर लेता है। जब तक सरकार इस प्रकार के धन को राष्ट्र निर्माण के कार्यों के लिए नहीं उपलब्ध करा सकती हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते ऐसा मेरा विचार है।

आज हर बात के लिए समितियां नियुक्त की जाती हैं। समितियां कार्य को पीछे ही धकेलती हैं, आगे नहीं बढ़ाती हैं।

योजना से सरकार का अभिप्राय धन का व्यय करने तक ही सीमित है। सरकार उपलब्धियों के लक्ष्य कम ही रखती है। कृषि उत्पादों के बारे में तो कुछ लक्ष्य उन्होंने बताया है परन्तु औद्योगिक उत्पादों के बारे में कोई लक्ष्य नहीं बताये गए हैं। हमारे यहाँ देश में तिलहन तथा चीनी की बहुत कमी है। अमीर व्यक्तियों के उपयोग की सभी वस्तुओं का बाहुल्य है जबकि गरीब लोगों के लिए आवश्यक ज्वार बाजरे की भी कमी है। उर्वरकों और संयंत्रों की हमारे यहां बहुत ही कमी है।

पीने के लिए पानी और अल्प सिंचाई के कार्यों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण की बात तो करती है। परन्तु मेरे पास एक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि जिन गांवों के विद्युतीकरण किये जाने का सरकार दावा करती है उनमें से अनेकों में बिजली नहीं है इसलिये पम्प नहीं लग सकते हैं।

सरकार द्वारा सामाजिक न्याय का बहुत प्रचार किया जाता है। क्या मंत्री महोदय इसका विवरण देंगे।

कुछ लक्ष्यों के लिए धनों का आवंटन किया जाता है परन्तु बहुत कम भाग ही व्यय किया जाता है और वह बचा पड़ा रहता है।

बेरोजगार इंजिनीयरों को रोजगार देने का उनका कितना लक्ष्य है यह भी बताया जाना चाहिए। एक विकासशील देश में 65000 बेरोजगार इंजीनियरों की बात समझ में नहीं आती जबकि विकसित देशों में हर दस पदों के लिए एक व्यक्ति मिल पाता है।

इस मुख्य समस्या पर मैं मंत्री महोदय का उत्तर अवश्य जानना चाहूंगा।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : देश में आयोजना का आरम्भ 20 वर्ष पूर्व हुआ था जिसका उद्देश्य था आर्थिक विकास करना तथा सामाजिक न्याय देना।

परन्तु इस अवधि में हमारे ग्रामों में पर्याप्त उन्नति हुई है परन्तु व्यक्तिगत रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि हर एक की आर्थिक दशा में कोई सुधार हुआ है।

आयोजना का लाभ समाज के निम्न स्तर के व्यक्तियों को नहीं मिला। उसके फलों को केवल धनी व्यक्ति ही प्राप्त कर पाए हैं और परिणाम स्वरूप गरीब अमीर का अन्तर और भी

बढ़ता जा रहा है। 1960 में की गई जांच से ऐसी ही स्थिति सामने ग्रायी थी। महलनवीस समिति के निष्कर्षों के अनुसार राष्ट्रीय ग्राय में तो वृद्धि हुई है परन्तु प्रति व्यक्ति ग्राय में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

मुझे प्रसन्नता है कि ग्रब गाँवों को ग्रधिक महत्व दिया जाने लगा है। पिछले 20 वर्ष के विकास कार्यों से परिचित होने के कारण ग्रब जनता नई ग्राशाएं ग्रौर नई आकांक्षाएं सरकार से लगाए हुए है। वह सड़कें, अस्पताल, स्कूल, बिजली, पानी ग्रौर सिंचाई की सुविधाएं चाहती है।

देश में 5, 58,000 ग्राम हैं। ग्राम हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण ढाँचा है। परन्तु ग्रामीण विकास के लिए कितना धन निर्धारित किया गया है? परन्तु धन का आवंटन संतोषजनक नहीं है। उसे बढ़ाया जाना चाहिए।

आत्म-निर्भरता एवं ग्रात्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था के नारों के बावजूद हम ग्रपने लक्ष्यों से बहुत दूर हैं।

हरित क्रान्ति की बात की जाती है। परन्तु कितनी प्रतिशत भूमि उसके ग्रधीन की गई है। यह भी बताया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में मैंने एक नहर देखी जिसके दोनों ग्रोर की भूमि ऊंची है इसलिए उस जल से लाभ नहीं उठाया जा सकता। जब तक 25 प्रतिशत आवंटन छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए नहीं किया जायेगा आप उसे क्रियान्वित करने की स्वीकृति न दें ताकि आदिवासियों ग्रौर पहाड़ी लोगों को भी लाभ पहुंच सके। वे लोग अभी भी वर्षा पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं। 5,58,000 गांवों में से केवल कुछ हजार गांवों में ही बिजली की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : दो लाख।

श्री जगन्नाथ राव : बीस वर्ष में हम 2 लाख में बिजली लगा पाए हैं। 2 लाख ग्रौर गाँवों को बिजली देने में हमें 20 वर्ष ग्रौर लगेंगे। हमें एक वर्ष में 2 लाख गांवों को बिजली देनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि हमने प्रगति की है। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए हमें अन्य क्षेत्रों से भी निधि को इसके लिए लेना होगा।

उड़ीसा में एक ट्यूबवैल के लिए कृषकों को 4000 रु० जमा करने पड़ते हैं। यदि पानी उपलब्ध हो जाता है तो 2000 रु० उसे वापस मिल जाते हैं। 2000 रु० सरकार ले लेती है। यह ठीक नहीं है।

ग्राजकल आयोजन कार्य नई दिल्ली के योजना भवन से अथवा राज्यों की राजधानियों से होता है। इसे ब्लाक स्तर पर करना चाहिए जिससे यह मालूम हो सके कि कहाँ पेय जल की ग्रावश्यकता है ग्रौर कहां ट्यूब वैल की ग्रावश्यकता है।

'भूमिहीनों को भूमि' देने के नारे को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को तैयार होना

चाहिए। उन्हें कहा जाना चाहिए कि जबतक यह परियोजनाएं कार्यान्वित नहीं की जाती आवंटन बन्द कर दिए जायेंगे।

ग्रामीण आवास की समस्या भी महत्पूर्ण है। इस सम्बन्ध में एक योजना, केन्द्रीय सरकार ने 1956 में आरम्भ की थी। परन्तु किसी भी राज्य में उससे सन्तोषजक प्रगति नहीं हुई है। गांवों के लिए ऐसे आयोजन किये जाने चाहिए कि वहां पर बाढ़ नियंत्रण कार्य हो सके।

स्रोतों की कमी को पाटने के लिए कृषि आय पर भी कर लगाया जा सकता है।

दूसरी योजना में संसद ने समाजवादी समाज की स्थापना के बारे में प्रस्ताव पारित किया था।

राज्य तो जनता का प्रतिनिधि मात्र है। फिर सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में यह असमानता क्यों ? आप इस बारे में राष्ट्रीय क्षेत्र की बात क्यों नहीं सोचते ?

सार्वजनिक क्षेत्र के भी 15,20 प्रतिशत शेयर जनता के लिए छोड़ दिए जाने चाहिए ताकि लोग राष्ट्रीय कार्य में भाग लेने में गर्व अनुभव कर सकें। मेरे इस सुझाव पर सरकार को विचार करना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र में कुछ कारखानों ने अच्छा कार्य किया है और आशा है कि अन्य कारखाने भी भविष्य में अच्छा कार्य कर सकेंगे। एल्यूमिनियम उद्योग पूर्णतः निजी क्षेत्र में है। 40000 टन एल्यूमिनियम का उत्पादन देश में होता है। कोरबा और कोनिया की सरकारी परियोजनायें 1973-74 में कार्य आरम्भ कर सकेंगी। इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों के समन्वित विकास के प्रयत्न भी योजना में किए जाने चाहियें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमें योजना के उद्देश्यों को पुनः जनता को समझाना चाहिए। इसमें कृषि उद्योग, विकास के स्तर में विषमतायें मिटाने और क्षेत्रीय समानता को स्थान मिलना चाहिए जिन्हें 1928 की रूसी योजना का पता है वे जानते हैं कि उससे बेरोजगारी पूर्णतः समाप्त हो गई थी। उस देश पर 1929 के विश्व व्यापी आर्थिक संकट का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।

समाजवादी योजना में विभिन्न क्षेत्रों की भौतिक आवश्कताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है और समाज की असमानता से रक्षा की जाती है।

कांग्रेस पार्टी योजना का उपयोग धनी वर्ग तथा पार्टी के हितों के लिए कर रही है। वर्ष 1970 में 47 और 1971 में 159 लाइसेंस बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। बिड़ला बन्धुओं को 16 और टाटा को 15 लाइसेंस प्राप्त हुए।

चौथी योजना के पहले 3 वर्षों में वृद्धि 1 से 1½ प्रतिशत हुई जो कि बढ़ते हुए

मूल्य से व्यर्थ हो गई, हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय 72 डालर है जबकि पाकिस्तान की 120 डालर है।

योजना के पहले 3 वर्षों में लक्ष्यों का केवल 45 प्रतिशत पूरा किया जा सका। राज्यों की योजनाओं में प्रस्तावित व्यय का 50 प्रतिशत भी शामिल नहीं किया गया है।

उनकी अर्थ व्यवस्था में 90 प्रतिशत धन योजना के बाहर सरकार के हाथ में रहता है इस बात को समझना चाहिए।

अब खाद्यान्नों की उपलब्धता को ही लीजिये। हरित क्रांति के बारे में बहुत कुछ सुनने में आ रहा है परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। 1965 में प्रत्येक व्यक्ति को 414.8 ग्राम अनाज उपलब्ध होता था परन्तु अब, 7 वर्ष पश्चात 1971 में प्रत्येक व्यक्ति को 407·8 ग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति उपलब्ध हो रहा है। 1970-71 में प्रत्येक व्यक्ति को 14·6 मीटर सूती कपड़ा एक वर्ष में मिलता था जब कि अब यह कपड़ा 13·6 मीटर प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य हेतु 1971-72 के दौरान दिसम्बर 1971 के अन्त तक 23·55 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे जिनमें से केवल 9·28 करोड़ रुपये अब तक व्यय किये गये हैं। यही कुछ इन्होंने किया है।

सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी की समस्या है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि श्रम वृद्धि कार्यक्रमों के सम्बन्ध में क्या उन्होंने कदम उठाये हैं? बहुप्रयोजनीय फसलों के लिए छोटी छोटी सिचाई के साधन उपलब्ध कराने तथा ग्राम विद्युतीकरण के लिए जिनकी अब अवहेलना की जा रही थी, उनके बारे में क्या किया गया है? इसी प्रकार बुनियादी सम्पत्ति में वृद्धि करने के बारे में क्या किया गया है? योजना बनाने वाले शहरी क्षेत्रों में उद्योगों की प्रगति की बात तो करते रहते हैं परन्तु ऐसा करते समय यह नहीं सोचते कि वह ग्राम में रहने वाली जन संख्या की क्रय शक्ति को बढ़ाना भी जरूरी है। इस प्रकार यह कैसे सम्भव हो सकता है। मैं समझता हूं कि सर्व प्रथम सरकार को गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये।

सरकार द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने और गरीबी हटाने की बात जोर शोर से की जाती है परन्तु ऐसा करने के लिए सरकार के पास समुचित प्रशासनिक तन्त्र कहां है। क्या हम इन नौकरशाही संस्थाओं से रोजगार के अवसर पैदा करने की कोई आशा कर सकते हैं? वह ऐसा नहीं कर सकते।

सरकार द्वारा गरीबी हटाने की बात भी की जाती है। परन्तु मैं समझता हूं कि इससे बड़ा और धोखा क्या हो सकता है। यदि सरकार वास्तव में गरीबी हटाना चाहती है तो उसे इस कार्य के लिए कम से कम 2,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अब समय आ गया है कि यदि सरकार ने इस कार्य को करने से जी चुराया, तो भुखमरी का शिकार होने वाले लाखों बेरोजगार लोग इसके लिए सरकार को दोषी ठहरायेंगे और उसकी कटु आलोचना करेंगे।

सरकार केवल लक्ष्यों को पूरा करने में असमर्थ ही नहीं रहती, अपितु वास्तविकता का सामना करने से भी बहुत घबराती है और जैसे तैसे झूठे सच्चे आँकड़े तैयार कर हमें धोखा देने का प्रयत्न भी करती है। घाटे की अर्थ व्यवस्था तथा अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से योजना के नाम पर सरकार हमें धोखा दे रही है। तीसरी योजना में कर के अतिरिक्त लक्ष्य 1700 करोड़ रुपये थे परन्तु वास्तविक वसूली 2800 करोड़ रुपये से भी अधिक हुई। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार द्वारा कितना बड़ा धोखा जनता को दिया जाता है। इसी प्रकार चौथी योजना के लिए सरकार ने 3,198 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधन दिये थे परन्तु अब यह राशि बढ़ाकर 3,728 करोड़ रुपये कर दी गयी है।

यदि मोटे तौर पर हिसाब लगाया जाये तो यह पता लग जाता है कि कांग्रेस के 25 वर्षों के शासन में लोगों पर 13,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर लगाये गये। समाजवाद का दावा करने वाले किसी देश के राजस्व के मुख्य स्त्रोत सरकारी क्षेत्र के उद्यम ही होते हैं। परन्तु हमारे यहाँ सरकारी क्षेत्र का कार्य अत्यन्त ही निराशा जनक रहा है।

पूंजी कैसे संचित की जाती है? वर्ष 1968-69 की 11·3 प्रतिशत राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके इसे 1973-74 में 14·5 प्रतिशत करना पड़ा था। परन्तु यह आश्चर्य की बात है कि 1968-69 में यह केवल 9·5 प्रतिशत ही रही। 1970-71 में केवल 0·1 प्रतिशत वृद्धि हुई। सरकार घरेलू बचतों को जुटाने में भी असफल रही है। इसके फलस्वरूप सरकार की विदेशी निवेश पर निर्भरता में और वृद्धि हो गयी है। राज्य योजनाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति व्यय 38 रुपये तथा बिहार में 39 रुपये है। समूचे पूर्वोत्तर क्षेत्र ने अन्तर्देशीय राजस्व तथा विदेशी मुद्रा के रूप में केन्द्रीय राजकोष को प्राकृतिक संसाधनों के माध्यम से आश्चर्य जनक योगदान दिया है। परन्तु इसके बाद भी इन राज्यों को अभी तक उपेक्षित छोड़ दिया गया है।

ग्राम्य विद्युतीकरण के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। इसके साथ ही छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं और ग्राम्य निमार्ण कार्यक्रम के बारे में भी पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पश्चिम बंगाल में प्रतिव्यक्ति आय अखिल भारतीय अनुपात से भी कम है और प्रगति की दर के मामलों में भी यह राज्य काफी पिछड़ा हुआ राज्य है। 1960 वाले दशक में पश्चिम बंगाल की प्रगति दर पंजाब और हरियाणा की क्रमशः 155 प्रतिशत तथा 119 प्रतिशत की तुलना में केवल 45 प्रतिशत ही थी।

अब केन्द्रीय करों को ही लीजिए। आसाम, बिहार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पूर्वी राज्यों द्वारा केन्द्र को वर्ष 1968-69 में 637·30 करोड़ रुपया विभिन्न करों के रूप में दिया गया था। इस धनराशि में से केन्द्र द्वारा राज्यों को केवल 20 प्रतिशत धनराशि भी नहीं दी गई है। यह और भी आश्चर्य की बात है कि ज्यों ज्यों "संयुक्त पूल" की प्रतिशतता में वृद्धि होती गई, राजस्व में पश्चिम बंगाल राज्य का हिस्सा घटता चला गया। प्रमाण के रूप में आप इस संदर्भ में चालू वर्ष के "इकान्मिक सर्वे" का पृष्ठ 32 अनुच्छेद 93 देख सकते हैं। अन्त में मैं बताना चाहता हूँ कि यह सब कुछ कहने का मेरा तात्पर्य केवल यही है कि वर्तमान ढांचों के अन्तर्गत सरकार कोई भी कार्य सफलता पूर्वक नहीं किया जा सकता है।

Shri Nathu Ram Mirdha (Nagaur) : Mr. Deputy Speaker, sir, it is a matter of pleosure that an apportunty has been given to discuss mid-term appraisal of Fourth Plan. The object of the Fourth Plan was to bring a social and Economic revolution in the country, like previous plans. The objective of the planning should be to bring social revolution so that there should be equitable distribution of wealth and social justice to all. A sum of about rupees five thousand crores was spent on First Plan. On Second Plan rupees ten thousand crores were spent and on Third Plan about Rs. Seventeen thousand crores. We intend to spend about Rs. 23-24 thousand crores on Fourth Plan for development purposes.

Our one basic necessity is that of drinking water. I strangly feel that provision of drinking water should be given top-priority in this plan. There are about 90 thousand villages in India which are without drinking water. It is high time when Government should pay immidiate attention to this problem.

The food problem is another major problem of our country. The food production during the last year has been satisfactory. It is not correct to say that the production of jawar and bajara has decreased, as stated by my friend Shri Jyotirmoy Basu. But at the same time I would like to impress upon the hon. Minister to give more stress on small irrigation schemes so that better results may come out. More funds should be provided for these schemes.

During previous plans, the animal husbandry has not been given proper attention. There is vast scope for the development of animal husbandry in our country. At the same time we should explore the possibilities of cattle breeding and sheep rearing. This all will increase production of milk and wool in our area.

The agricultural production in the country has increased although there is some decrease in the production of sugarcane and pulses. The production of oilseeds and cotton is also satisfactory in the present years. But there is no guarantee for ensuring the proper prices to the farmer. I think reasonable price should be given to the producer for his produce. Adequate marketing arrangements should be made for marketing his produce. The price fixed for procuerement should be economic. The farmer should have a say in this matter. I suggest that there should be an advisory board to advise the agriculturist in regard to the sowing of the next crop so that there was no glut in the market. We should ensure that middle men are eleminated. The cost of production for various commodities should be worked out for the benifit of farmers.

Now-a-days a great hue and cry is being made that farmers are growing rich. They should be taxed upon and land ceiling should be fixed. But I am of the openion that economic holdings should be fixed only after a calculated study. Lastly I want to add that for running small farms by small farmers in a mechanised way, Government should manufacture small tractors of twenty horse power so that the farmers can increcase their production. With these words, I conclude with the hope that hon. Minister for Planning and the Government will give due attention to the suggestions made by me.

डा० रानेन सेन (बारसाट) :—इस सम्बन्ध में सब से पहला प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि योजनायें किन लोगों के लाभ के लिए बनाई जाती हैं ? क्या हमारे नियोजकों को इस बात की जानकारी है कि अब जनता देश के सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक ढांचे में तुरन्त परिवर्तन लाने की इच्छुक है ? समाजवाद की प्राप्ति हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य स्वीकार किया गया है । परन्तु

क्या यह योजना हमें इस राष्ट्रीय उद्देश्य की ओर अग्रसर करती है या उससे मीलों दूर हटा देना चाहती यही हमें समझना है ? यदि समाजवाद केवल चुनाव के दिनों में प्रयोग में लाने वाला केवल एक नारा मात्र है तो फिर मुझे इस योजना पर कोई आपत्ति नहीं है परन्तु यदि सरकार इसके बारे में वास्तविक रूप से गम्भीर है तो हमें इसे प्राप्त करने के लिए निहित स्वार्थों तथा उनके विदेशी तथा देशी व्यापार को समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। विदेशी सहायता, विदेशी पूंजी और विदेशी विशेषज्ञों को हमें अपने देश की अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना होगा।

मंत्री महोदय ने आत्मनिर्भरता की बात कही है। परन्तु हमारे देश में विदेशी सहयोग के 3500 करार हुये पड़े हैं। 1948 में यदि 25580 लाख रुपये की विदेशी गैर सरकारी पूंजी लगी हुई थी तो 1970 में यह बढ़कर 160,000 लाख से भी अधिक हो गई है। वर्ष 1970 में 200 करोड़ रुपया भारत से ही विदेशों को भेजा गया। क्या इसी को आत्मनिर्भरता कहते हैं ?

भारतीय आक्सीजन लिमिटेड ब्रिटेन की एक फर्म है। भारत में जितनी गैस का उत्पादन किया जाता है उसकी 80 प्रतिशत गैस यही कम्पनी तैयार करती है। इस कम्पनी ने अपना व्यापार लाखों रुपये से आरम्भ किया था और अब इसका व्यापार करोड़ों रुपयों का हो गया है। इसी प्रकार की अन्य कम्पनियों के रूप में कलकत्ता इलैक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन और फायरस्टोन रबर कम्पनी आफ बम्बई का नाम लिया जा सकता है। परन्तु अभी तक हमारी सरकार की बड़े व्यापारियों की सहायता करने वाली पुरानी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अभी हाल ही में 25 मार्च को भारतीय औद्योगिक और वाणिज्य मंडल की एक बैठक में बोलते हुये प्रधान मंत्री ने कहा था कि क्योंकि मंडल सरकार द्वारा अपनाई गई सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की नीति को स्वीकार करता है, इसलिए इसके साथ हमारा सहयोग सदैव बना रहेगा। परन्तु मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि बड़े व्यापारी सरकार की सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों की नीति से सहमत कब हुये हैं ? प्रधानमंत्री व्यर्थ ही में उनकी प्रशंसा किये जा रही हैं।

पहले मिश्रित अर्थ-व्यवस्था और फिर सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में पूंजी निवेश के लिए सह-अस्तित्व की बात की जाती थी। परन्तु अब अचानक प्रधानमंत्री को कैसे यह अहसास होने लगा है कि सरकारी क्षेत्र में बड़े बड़े संगठन कार्य नहीं कर सकते इसलिए अब उन्होंने "संयुक्त क्षेत्र" की बात करनी आरम्भ कर दी है। आज हमारी अर्थ-व्यवस्था बहुत नाजुक दौर में से गुजर रही है। यह बात इन तीन दस्तावेजों से भी स्पष्ट रूप से स्वीकार की जा चुकी है। अब मैं इसके विभिन्न पहलुओं पर अलग अलग प्रकाश डालना चाहूंगा।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि कृषि के क्षेत्र में हमारी कुछ उपलब्धियां हुई हैं। परन्तु इसके साथ ही प्रतिवेदन में यह बात भी कही गई है कि हमारी वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन कम है और जिस हरित क्रांति की बात की जाती है, वह भी केवल प्रकृति पर ही आधारित होती है। हमारी राष्ट्रीय आय में जो निरन्तर कमी हो रही है वह इस बात का प्रमाण है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था कितनी शिथिल हो गई है। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे नियोजक केवल यही मानते हैं कि अधिकाधिक विदेशी पूंजी भारत में लगाना और बड़े बड़े व्यापार गुटों के हितों की

सुरक्षा करना ही उनका धर्म है। अब बड़े पैमाने के उद्योगों को ही लीजिये। इस क्षेत्र में भी सरकार पूर्णतया असफल रही है क्योंकि उत्पादन दर सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से बहुत कम रही है इसी प्रकार सरकार द्वारा निर्धारित बड़े-बड़े भौतिक लक्ष्यों और संभावित उपलब्धियों का आपस में कहीं मेल नहीं खाता है। यदि लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सकते तो उन्हें निर्धारित करने की क्या आवश्यकता है ?

अब जरा संसाधनों को एकत्रित करने के प्रश्न को ही लीजिये। प्रतिवेदन में यह बात स्वीकार की गई है कि सरकारी क्षेत्र की कुल आवश्यकताओं का लगभग एक तिहाई भाग गैर-सरकारी और विदेशी बचत पर निर्भर है। यह तो हमारे सरकारी क्षेत्र की स्थिति है।

[श्री के. एन. तिवारी पीठासीन हुए]

Shri K. N. Tiwary *in the chair*

वांचू समिति ने अपने आन्तरिक प्रतिवेदन में देश में लगभग 5000 करोड़ रुपये का काला-धन होने का अनुमान लगाया है। परन्तु कुछ अन्य लोगों के अनुसार तो वर्ष 1971-72 में यह भगभग 8000 करोड़ रुपये था। जब तक आप निहित स्वार्थी और बड़े बड़े व्यापारियों को कुछ नहीं कह सकते तो फिर बार बार समाजवाद की बात ही क्यों की जाती है।

वसूली के भुगतान की स्थिति में कुछ सुधार अवश्य हुआ है। परन्तु अभी 40 प्रतिशत से अधिक वसूली पश्चिमी बजारों में बकाया है। यह ठीक है कि समाजवादी देशों तथा सोवियत संघ आदि के साथ हमारे व्यापार में वृद्धि हुई है परन्तु फिर भी कुछ लोग हमें पूंजीवादी देशों की ओर आकृष्ट कर रहे हैं। 1970 से पूंजीवादी पद्धति नष्ट होती जा रही है और समाजावदी पद्धति में प्रगति हो रही है।

औद्योगिक एककों के बंद हो जाने से हमारी अर्थ-व्यवस्था संकटग्रस्त हो गई है। पश्चिम बंगाल में लगभग 400 औद्योगिक एकक बंद हो गये हैं। हमारे नियोजक द्रुत कार्यक्रम बना रहे हैं। परन्तु उन्हें यह मालूम नहीं कि केवल धन का आँवटन करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए तो अच्छी नीति बनाने की आवश्यकता है। आज स्थिति यह कि एक ओर तो योजनाओं की संख्या में वृद्धि होती जा रही है तो दूसरी ओर बेरोजगार लोगों की संख्या में भी निरन्तर वृद्धि हो रही है। इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम समाजवाद की ओर नहीं, अपितु पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि उससे बेरोजगारी कैसे समाप्त की जावे। प्रश्न यह है कि योजना के अन्तर्गत यदि फिर वही प्रणाली पद्धति अपनाई जाती है, तो फिर योजना से रातों रात कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। यह एक अच्छी बात है कि सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो समाजवादी देशों के साथ सम्बन्ध सुदृढ़ करने के इच्छुक हैं। परन्तु यह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर करने की तुरन्त आवश्यकता है। इसके लिए केवल नौकरशाहों और विशेषज्ञों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है।

इसके बाद ऋण सेवाओं का प्रश्न आता है। गत चार वर्षों से हम इस सदन में माँग कर रहे हैं कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिये। इन ऋण सेवाओं के लिये हमें प्रतिवर्ष 500 करोड़ रुपया देना पड़ रहा है। हमें यह खर्च करने की क्या जरूरत है ?

औद्योगिक क्षेत्र के सन्दर्भ में मैं पहले ही इस बात संकेत दे चुका हूं कि पहले तो पारस्परिक सह-अस्तित्व, सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में मिश्रित अर्थ-व्यवस्था साथ साथ चलती थी। परन्तु अब प्रधानमंत्री द्वारा इस सन्दर्भ में एक नई पद्धति आरम्भ की गई है।

इतनी बड़ी जनशक्ति का उपयोग न होना बड़े ही खेद की बात है।

क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त किया जाना चाहिए। इसके कारण एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की अपेक्षा हानि में रहता है।

शिक्षा का प्रश्न भी हमारे सम्मुख है। निरक्षरता दूर करने के लिए हमारी क्या योजना है? क्या इस क्षेत्र में और लोग नहीं लगाये जा सकते? इन सब प्रश्नों का हल ढूंढा जाना चाहिए।

राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों में सुधार हुआ है, पर पर्याप्त नहीं। अभी राष्ट्रीय वित्तीय एजन्सियां, जैसे बैंक जीवन बीमा निगम और यूनिट ट्रस्ट आदि बड़े-बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को ही रुपया देते हैं। और यही लोग मूल्यवृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। तब सरकार की नीति में परिवर्तन कहाँ आया। घाटे की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक बड़ा कारण है। अतः आवश्यकता के अनुसार योजना बनाने की जरूरत है।

Shri Mulki Raj Saini (Dehradun) : For the first time Government has realised that development can only be effected through socialism. Unless and until we work in villages and give land to the landless peasants, India cannot make progress. For that, we should provide electricity to the villages on cheaper rates so that they can have better means of irrigation. The work of road construction should be taken up in a planned way. It will automatically pare the way for progress. If the same facilities are given in villages are being given in cities they are bound to progress. With these words I welcome the rural development plan.

श्री एम० मुत्तुस्वामी (तिरुचेनगोड़) : कृषि विकास और ग्राम्य विकास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मध्यावधि मूल्यांकन के अनुसार चौथी योजना के पहले दो वर्षों में कृषि विकास की दर अनुमानित 5 प्रतिशत के बजाये 5.2 प्रतिशत रही है।

चौथी योजना के दौरान ग्राम्य आवास योजना की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।

अस्पतालों में बिस्तरों की संख्याओं में 25,900 की वृद्धि कर इसे 2,84000 करने का अनुमान था पर इसमें केवल 10,500 बिस्तरों की ही वृद्धि हुई है और वह भी अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में। इस प्रकार ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं के मामले में घोर असन्तुलन है। ग्रामीण सड़कों की ओर भी पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार ने योजना में कम धन मिलने के बावजूद छोटे किसानों और कृषकों की स्थिति में पर्याप्त सुधार किया है। कृषि में जो उन्नति देश में हुई है वह तमिलनाडु जैसी सरकारों

के अनथक प्रयत्नों से ही हो सकी है और उसका श्रेय केन्द्र सरकार स्वयं लेना चाहती है। यह हमारी अर्थ-व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि केन्द्र उन सभी बातों को अपने अन्तर्गत लेता है जो उसके विषय नहीं हैं। और इस प्रकार सक्षम राज्यों में योजनाओं को क्रियान्वित करने के अधिकार से वंचित रखा जाता है।

ग्रामीण विद्युतीकरण, पीने के पानी की व्यवस्था, संचार, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए इस वर्ष के बजट में 125 करोड़ रुपये रखे गये हैं। ग्रामीण जल व्यवस्था के लिए 110 करोड़ रुपये की पंचवर्षीय योजना बनाई गई है और योजना आयोग को भेजी गई है, पर ये सब योजनाएं कब पूरी होंगी यह भगवान ही जाने।

बेरोजगारी सम्बन्धी समिति ने बताया है कि देश के 41,000 गांव स्थायी लाभ से वंचित हैं। 61.55 करोड़ रुपये से 21,000 गाँवों में पीने के पानी की व्यवस्था की जा सकती है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। क्या इतना रुपया देना केन्द्रीय सरकार की क्षमता के बाहर है ? क्या इससे रोजगार के और अवसर नहीं बनेंगे।

देश के रोजगार दफ्तरों में 44.95 लाख बेरोजगार व्यक्तियों के नाम रजिस्टर हैं। मध्यावधि मूल्यांकन में बताया गया है कि दक्षिण में रोजगार के अवसरों में दो प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि उत्तर में चार प्रतिशत की उत्तर के साथ दक्षिण की अपेक्षा उदारता पूर्ण व्यवहार किया जाता है। यह उसीका परिणाम है, ऐसा कहना क्या गलत है ?

हमारे मुख्य मन्त्री ने इस वर्ष के बजट भाषण में गंगा और कावेरी को मिलाने और नेवेली में दूसरे "मार्डन-कट" तथा सेतुसमुद्रम् योजना की आवश्यकता पर जोर दिया है। सरकार को पांचवी योजना में इन परियोजनाओं पर प्रारम्भिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। तमिलनाडु सरकार के ग्राम्य तथा औद्योगिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के भरसक प्रयत्न को देखते हुए, ऐसा करना और भी महत्वपूर्ण हो गया है।

सलेम के इस्पात कारखाने को सफल बनाने के लिए वहां परिवहन सुविधाओं का होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उसकी आवश्यकता को पूरा करये के लिए सलेम को कमिपुरम् और नमक्कल होकर निरुचिरापल्ली से मिलाया जाना चाहिए। इस योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया जाना चाहिए। इसी योजना में सलेम में एक हवाई अड्डा बनाने की योजना भी रखी जानी चाहिए।

वर्ष 1971-72 के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि संसाधन जुटाने और उपलब्ध संसाधनों के उचित उपयोग के लिए, और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य और केन्द्र में समुचित सम्बन्धों की स्थापना का बड़ा महत्व है। अत: पांचवी योजना पर विचार करने से पहले राजमन्नार समिति के प्रतिवेदन पर मिलकर विचार किया जाना चाहिए, इसमें इस सम्बन्ध में कई मूल्यवान सुझाव दिए गए हैं।

अन्त में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ग्रामीण विकास के लिए एक समेकित योजना

बनाई जानी चाहिए, इसे जिलास्तर पर लागू किया जाना चाहिए तथा राज्य सरकारों को ग्रामीण क्षेत्र और कृषि सम्बन्धी योजनाओं तथा ग्रामीण उद्योगों के सम्बन्ध में योजनाएं बनाने में पूर्ण स्वयत्तता दी जानी चाहिए । गंगा और कावेरी को मिलाने जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को पांचवीं योजना में प्रारम्भ किया जाना चाहिए ।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : इस मूल्यांकन में स्थिति का सही चित्रण किया गया है । परन्तु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि योजनाएं बनाते समय देश की 80 प्रतिशत जनता से, जो कि गाँवों में रहती है, सलाह नहीं ली जाती । उन्हें इन योजनाओं के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है । इसका मुख्य कारण यह है कि तत्सम्बन्धी अधिकतर साहित्य अंग्रेजी में छपता है । और फिर कहीं एक वर्ष बाद उसका अनुवाद हिन्दी तथा कुछ अन्य भाषाओं में छपता है । इसे केन्द्र को छाप कर ग्राम पंचायतों को सप्लाई करना चाहिए क्योंकि योजना सम्बन्धी अधिकतर साहित्य केंद्र छापता है ।

अभी-अभी विश्व पुस्तक मेला आयोजित हुआ । यह बड़ा अच्छा मेला था पर एक अभाव खटकता रहा । उसमें ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक साहित्य का अभाव था । बहुत से शिक्षित युवक कृषि कार्य करना चाहते हैं पर उन्हें उचित साहित्य नहीं मिलता । सरकार को इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि किसान अथवा उत्पादक को उसकी उपज का उचित मूल्य मिले, बिचौलियों के लाभ को समाप्त किया जाना चाहिए ।

योजना बनाते समय किसानों, छोटे व्यापारियों अथवा उत्पादकों के विचारों पर ध्यान दिया जाना चाहिए । उनके दृष्टिकोण को समझे बिना योजना भवन में बैठकर योजना बनाना लाभदायक नहीं हो सकता ।

पीने और सिंचाई के पानी की व्यवस्था करने, सड़कें बनाने तथा गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए सर्वेक्षण किया जाना चाहिए । पीने के पानी की व्यवस्था प्रत्येक गाँव में होनी चाहिए, चाहे उस पर कितना रुपया ही खर्च हो ।

विभिन्न वस्तुओं की कीमतों में हो रही वृद्धि को रोकने तथा उन्हें स्थिर करने के लिए सरकार को उपाय करने चाहिए । यदि हम अपने संसाधनों का पूरा-पूरा उपयोग करें तो हम निश्चय ही स्वावलम्बी हो जाएंगे ।

देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है । इसे बड़े-बड़े कारखाने लगा कर समाप्त नहीं किया जा सकता । इसके लिए लघु-उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना चाहिए । हर 5 से 10 लाख जनसंख्या से पीछे एक बहुउद्देश्यीय उद्योग एकक होना चाहिए जिसमें स्थानीय लोगों को कच्चे देशी माल से उत्पादन करने का प्रशिक्षण दिया जाय । इसके साथ-साथ उत्पादित माल की बिक्री का प्रबन्ध भी होना चाहिए ।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । छोटे किसानों को इनसे

ऋण दिए जाने चाहिएं । उन्हें इस बात का एक निश्चित समय का आश्वासन मिलना चाहिए कि उन्हें ऋण मिल रहा है अथवा नहीं और वह समय 3-4 महीनों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

सभापति महोदय : सदस्यों के ठोस सुझावों से सर्वव्यापी लाभ होगा । पर उन्हें एक ही बात को बार-बार न दोहरा कर ठोस और रचनात्मक सुझाव देने चाहिएं । यही मेरा सुझाव है ।

श्री वीरेन्द्र अग्रवाल (मुरादाबाद) : भारत सरीखे विकासशील देश के लिये आयोजन अनिवार्य है लेकिन खेद है कि विकास के फलस्वरूप जो उपलब्ध हुआ, उसका लाभ समाज के कमजोर वर्ग तक नहीं पहुँचा है ।

पिछले 21 वर्षों से हम आयोजन करते आ रहे हैं लेकिन इस आयोजन में भागीदार होने की भावना लोगों के अन्दर पैदा नहीं हो सकी है । लोकतांत्रिक आयोजन की यह अनिवार्य विशेषता है कि कौन सी योजना देश के लिये हितकर होगी, इसके बारे में निर्णय योजना आयोग के बजाय संसद्, को लेना चाहिये, योजना तैयार करने में उदारता बरती जानी चाहिये । योजना ऐसी न हो जो कि एक निश्चित ढांचे में जकड़ी हुई हो और जिसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने की गुंजायश न हो । योजनाएँ पिछड़े क्षेत्रों को ध्यान में रख कर ही तैयार की जानी चाहियें, न कि योजना भवन में बैठकर । यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि योजना प्रभावशाली हो तथा यह फलदायी सिद्ध हो तो फिर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उसमें जनता की आवश्यकताओं तथा मांगों को पूर्ण स्थान मिले । अनाज, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुओं की प्रति व्यक्ति खपत कम होती जा रही है । लोगों के लिये न्यूनतम खाद्य, कपड़ा तथा आवास की व्यवस्था करने हेतु समय निर्धारित किया जाना चाहिये । सरकार द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में भी स्पष्ट रूप से यह आभास मिलता है कि विभिन्न योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं । योजना मंत्री को चाहिये कि वे हमें बतायें कि चौथी योजना-अवधि के प्रथम तीन वर्षों में क्या गड़बड़ी हुई है । किसी को भी वास्तविक रूप से इस बात का निश्चय नहीं है कि क्या आयोजकों ने वास्तव में स्थिति की गम्भीरता को समझा है ।

बचत या पूंजी निवेश की दर से देश का भावी विकास निर्धारित किया जाता है । किन्तु 1973-74 में निजी बचतों की अनुमानित दर लगभग उसी स्तर पर रहेगी, जो दर चौथी योजना की अवधि के आरम्भ में रिकार्ड की गई थी । इसी प्रकार निजी बचतें उत्साहवर्धक रूप से नहीं हुई हैं । वास्तव में निजी और सरकारी बचतें दोनों मिलकर यह प्रकट करती हैं कि भविष्य में होने वाले विकास का ढांचा क्या होगा ।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के आयोजन में कृषि पर वैसा बल नहीं दिया गया है, जैसा कि इसे दिया जाना चाहिये था । चौथी योजना के आगामी दो वर्षों में, कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिये । यह भारतीय अर्थ-व्यवस्था का मूल आधार है ।

आयोजन में जन साधारण पर बहुत अधिक मूल्यों और अवास्तविक कर ढांचे के रूप में

इतना भारी बोझ डाल दिया गया है कि हमें कहना पड़ता है कि जहां उसे किसी प्रकार का भी लाभ-नहीं पहुँचा है वहां उसे प्रतिदिन योजना से कष्ट पहुँच रहा है। यह कहना अनुचित है कि योजना से कुछ उपलब्धि नहीं हुई है, किन्तु जो थोड़ी- बहुत उपलब्धि इससे हुई है, उससे निश्चय ही यह पता लगता है कि हम गलत दिशा में कार्य कर रहे हैं।

योजना आयोग को विभिन्न मंत्रालयों की आर्थिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में समन्वयकारी अभिकरण के रूप में कार्य करना चाहिये, ताकि किसी भी योजना के लक्ष्य में कोई कमी न हो।

जहाँ एक योजना की परियोजनाओं को ठीक ढ़ंग से क्रियान्वित न किये जाने का प्रश्न है, समूची प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हम ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं कि यदि हम वास्तव में कोई परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें प्रत्येक सम्बन्धित अधिकारी पर जिम्मेदारी निर्धारित करनी चाहिये। सामाजिक न्याय के मूल्य को स्थिर रखना तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना आवश्यक है। यह बात आश्चर्यजनक है कि सरकार यह समझती है कि मूल्यों की स्थिति नियंत्रण में रही है। गत वर्षों में मूल्यों में 4.9 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस समय, वस्तुतः हमारी कोई मूल्य नीति नहीं है। किसान के लिये निर्धारित वसूली मूल्य में कमी करने की बात की जा रही है, जबकि उसकी उत्पादन लागत दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यह बड़े दुख की बात है। किसान को किसी भी हालत में गतवर्ष से कम मूल्य नहीं दिया जाना चाहिये।

सब वस्तुओं की उत्पादन लागत बढ़ी है और इसीलिये उनके मूल्य भी बढ़ गये हैं। अतः सरकार को सबसे पहला काम यह करना चाहिये कि वस्तुओं के मूल्यों में और विशेषतया आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाई जाये। रोजगार के अवसरों के प्रश्न पर अनेक समितियों द्वारा विचार किया जा चुका है। इन सब समितियों ने सिफारिश की है कि योजना के आगामी दो वर्षों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जानी चाहिये यदि यह सरकार 1975-76 तक देश में सब को रोजगारी देने के लिए वचनबद्ध है, तो इस देश में विकास की दर अवश्य 15 प्रतिशत होनी चाहिये। यदि 1980 तक सभी लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करनी है तो फिर प्रगति की दर 10 प्रतिशत होनी चाहिये। यदि बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए अधिक व्यय की व्यवस्था की जाये तो फिर ऐसा कोई कारण नहीं होगा जिससे कि हम 1975-76 तक पूर्ण रोजगार की व्यवस्था कर सकें।

हमारा देश बहुत बड़ा है और हमें बड़ी-बड़ी योजनाओं की आवश्यकता है। इस बात का कोई कारण नहीं कि 1980 तक हमारा कुल उत्पादन तिगुना-चौगुना न हो जाय।

Shri Shashi Bhushan (South Delhi) : Our planning department is in very safe hands at present. The aim of planning should be to invest more and more in man so that his personality may develop. Our educational Planning has not so far been geared to that end. Socialistic education is essential in the country. It is unfortunate that the educational institutions on which we have been investing crores of rupees are becoming the

centers of communalism. Today, the exploiters are being considered superior in our country and those who work hard, those who are down-trodden are not looked up with respect and honour.

Our public sector is not a success because the worker thinks that he is not owner of that enterprise. We have not so far succeeded in our effort to associate the worker with the management. We should fix priorities for associating the worker with the management so that they could have a sense of confidence and a sense of participation. There are no housing facilities for five crores of people in the rural areas. They should be provided with housing sites. Government should take over housing sites and provide houses to the needy persons.

The joint sector venture launched by the Government is going to create many difficulties. We can hardly expect that it will succeed.

Interstate water and other disputes should be settled as early as possible. The Planning Commission should also try to generate as much energy as possible. The Planning commission should the provided with adequate staff so that it could collect any kind of data directly from the Deputy collectors.

The job of Planning is a big challenge to a Planning Minister and he has to ensure the advancement of the nation. We have to come up to the leval of other developed nations for which we will have to eliminate intalaness, exploitations; and for romoving poverty we shall have to abolish richness so to say.

श्री वाई. एस. महाजन (बुलडाना): सभा को चौथी पंचवर्षीय योजना पर विचार करने का अवसर तो नहीं मिल सका परन्तु हमें प्रसन्नता है कि हम योजना के मध्यावधि मूल्यांकन पर विचार कर रहे हैं।

हमने तेजी से आर्थिक प्रगति करने तथा समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक आयोजन प्रक्रिया को स्वीकार किया है परन्तु हमारे जैसे विशाल तथा प्रजातंत्रवादी देश में ऐसी प्रक्रिया में बड़ी बाधायें और कठिनाईयाँ आड़े आती हैं। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि हमारे संसाधन बहुत ही सीमित हैं। साथ ही अदूर्दशिता, त्रुटिपूर्ण आयोजन तथा अनुचित प्राथमिकताओं के कारण भी यह कठनाईयाँ आती हैं।

यद्यपि हमने चौथी योजना पर बड़ी आशायें केन्द्रित की हैं परन्तु गत तीन वर्षों में हमारी प्रगति बड़ी ही निराशा जनक रही है। गत तीन वर्षों के दौरान हमारी प्रतिव्यक्ति आय में केवल $1\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई है। इसका कारण स्रोतों की कमी है। यह इसी कारण हुआ है कि सरकारी क्षेत्र के उद्योग लाभ नहीं कमा कर रहे हैं। अधिकांश सरकारी उद्योगों में घाटा हो रहा है। भविष्य में हमारी यह नीति होनी चाहिए कि प्रत्येक सरकारी उद्योग कम से कम 10 से 11 प्रतिशत का लाभ कमाये तथा साथ ही प्रत्येक उद्योग में कार्य कुशलता का न्यूनतम मानदण्ड निर्धारित किया जाना चाहिए। हमारे अनेक सरकारी उद्योगों को एकाधिकार प्राप्त हैं अतः वे बड़ी सुगमता से लाभ कमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकारी उद्योगों की उत्पादन लागत भी गैर सरकारो तथा विदेशी निर्माताओं से कम ही होनी चाहिए। मुझे आशा है कि योजना मंत्री द्वारा नियुक्त की गई समिति कार्य कुशलता के लिए कोई उचित मानदण्ड निर्धारित करेगी।

चौथी योजना के आरंभ से पूर्व गठित की गई एक विशेषज्ञ समिति ने बेरोजगारों, अल्प रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या देने में अनेक तकनीकी कठिनाइयां बताकर इनकी संख्या बताना बन्द कर दिया। हमारे 20 वर्ष के आयोजन के बाद भी हमारे गाँवों में करोड़ों व्यक्ति बेरोजगार हैं। हमें एक क्रान्तिकारी आयोजना बनाकर उन्हें कार्य देना चाहिये और देश में उपलब्ध श्रम का उपयोग किया जाना चाहिये। यह बड़ी ही लज्जा की बात है कि लोग नौकरी करना चाहते हैं और हम उन्हें काम उपलब्ध नहीं करा सकते। इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार की नीतियों का अनुसरण किया जाना चाहिये जिसने गत वर्ष कार्य करने के इच्छुक हर व्यक्ति को रोजगार देने की योजना बनाई और मेरे ही जिले में 1,60,000 लोगों को रोजगार दिया।

यह लज्जा का विषय है कि हम लोकतंत्र और समाजवाद के नारे तो लगाते हैं परन्तु अपने लोगों को रोजगार नहीं दे सकते। अतः हमारे ये आदर्श और नारे झूठे हैं। योजना मंत्री को चाहिए कि कोई क्रान्तिकारी योजना बनायें। सड़क निर्माण का कार्य हाथ में लेकर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। सारे देश में नई सड़कों के निर्माण और पुरानी सड़कों की मरम्मत की आवश्यकता है। अतः यह कार्य सारे देश के स्तर पर आरम्भ किया जा सकता है। सड़क निर्माण का कार्य लघु उद्योग से छः गुणा अधिक श्रम-प्रधान है। इसलिये इसमें बेरोजगारी की समस्या काफी हद तक सरल हो सकती है।

मैं मानता हूं कि संसाधनों की कमी है, परन्तु अतिरिक्त श्रम का उपयोग करने से संसाधन भी बढ़ेंगे। परन्तु यह कार्य अदूरदर्शिता और हिम्मत की कमी के कारण नहीं हो रहा है।

दूसरी दुःख की बात यह है कि आजादी के 25 वर्ष बाद भी हम अपने लाखों बच्चों को प्राइमरी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। अमीरों के बच्चे तो अच्छे स्कूलों में भी उत्तम शिक्षा पा सकते हैं परन्तु आज करोड़ों बच्चों को तो समान्य स्तर की शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। इसके लिये हमें कोई निश्चित अवधि की योजना बनानी चाहिये। गत वर्ष नियुक्त एक समिति ने कहा था कि हम वर्ष 1984 तक 6 से 11 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को प्राईमरी शिक्षा दे सकेंगे। हमें यह कार्य ज्यादा से ज्यादा 1980 तक कर लेना चाहिये।

योजना बनाते समय वस्तुतः जिला स्तर पर लोगों से परामर्श नहीं किया जाता है। जिला स्तर पर आयोजन होना ही चाहिये और जिलों के विकास आदि की योजनायें जिला-स्तर पर ही बनाई जानी चाहियें क्योंकि वहाँ के लोगों को अपने संसाधनों का भी पता होता है। लोग योजनाओं में रुचि भी लेते हैं और उसकी क्रियान्विति में उत्साह भी दिखाते हैं क्योंकि वे इसे अपना दायित्व समझते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभा के समक्ष प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण तथा चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन भारतीय अर्थव्यवस्था और हमारे योजनाबद्ध आर्थिक विकास की असफलता का प्रतीक है। कुछ लोग योजनाबद्ध आर्थिक विकास में विश्वास नहीं रखते और इन कार्यक्रमों की असफलता की कामना करते हैं ताकि उनकी भावनाओं को सन्तोष मिले। मगर दूसरे लोग जो इस सम्बन्ध में सफलता चाहते हैं उन्हें हमेशा इसकी चिन्ता और सफलता की

कामना बनी रहती है क्योंकि इस सफलता के बिना कहीं भी राजनैतिक स्थिरता बनी नहीं रह सकती। अतः योजनाबद्ध विकास कार्यक्रमों को सफल बनाया ही जाना चाहिए।

आज हमारे आर्थिक जीवन में प्रगति की दर की पद्धति बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हमारे लिए एक समस्या बनी हुई है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में असफल होने के अलावा हमारी सबसे बड़ी असफलता राष्ट्रीय आय की प्रगति में क्षेत्रीय योगदान की वृद्धि का निर्धारित लक्ष्य के अनुसार न होना है। साथ ही यह प्रगति योजना में परिकल्पित पद्धति के अनुसार भी नहीं हो रही है।

यद्यपि खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ता जा रहा है तथापि व्यापारिक फसलों का विकास बड़ा अनियमित है। औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष 1969-70 में उत्पादन दर 6.8 प्रतिशत थी परन्तु 1970-71 में यह घट कर केवल 3.7 प्रतिशत रह गई जबकि कृषि क्षेत्र में यह दर 6.7 प्रतिशत रही। यदि हमारी अर्थव्यवस्था की प्रगति दर कम होगी तो उससे हमारे 'गरीबी हटाओ' कार्य-क्रमों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जैसा कि कुछ सांख्यिकियों ने कहा है, इससे हमारी 42 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में दबी रहेगी। अतः हमें अपनी वृद्धि-दर के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही होगा और इसके लिए तुरन्त ही कारगर उपाय करने होंगे। जब भी हम सरकारी क्षेत्र में भारी पूंजी-निवेश की बात करते हैं, हमें पता चलता है कि सरकारी क्षेत्रों को चलाने वाले सरकारी क्षेत्र के सिद्धान्त में ही विश्वास नहीं रखते और श्री शशिभूषण के अनुसार, यही इस क्षेत्र की असफलता का सबसे प्रमुख कारण है। इन क्षेत्रों के प्रबन्धक स्वयं यह विश्वास लेकर कार्य कर रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र का सिद्धान्त तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। यह भावना और भ्रम दूर किया जाना चाहिए। हमें आत्म-निर्भरता की विचारधारा पर आगे बढ़ना है। कोई बड़ी ताकत हमारी सहायता को नहीं आएगी। बड़े देश भी बड़े देशों की सहायता करना चाहते हैं, छोटे देशों की नहीं। अतः यह बहुत आवश्यक है कि हम अपने सरकारी क्षेत्र का विकास और विस्तार करें और उनके माध्यम से लाभ कमाकर अपने संसाधन बढ़ायें।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि स्फीति-हीन वित्तीय प्रणाली तथा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थापित क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग किया जाये। पूरी क्षमता का उपयोग न होने का एक कारण कच्चे माल का त्रुटिपूर्ण वितरण है। मेरा सुझाव है कि निगम को दुर्लभ कच्चे माल की वसूली करने, भण्डार करने तथा वितरण करने के व्यापक अधिकार दिए जायें ताकि बनावटी अभाव तथा बिचौलियों तथा उद्योगपतियों द्वारा खड़ी की गई कठिनाइयों को दूर किया जा सके। इससे स्थापित-क्षमता का पूरा उपयोग भी हो सकेगा।

हमें छोटे एककों वाली तथा कम लागत वाली टेक्नोलाजी को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि ग्रामीण रोजगार तथा उत्पादन में सहायक सिद्ध होगी। मैं चाहता हूँ कि आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाये और हम छोटी एकक उद्योग व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसी संबन्ध में समुचित सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। इन छोटे एककों को डीजल विद्युत आदि की यथेष्ट सुविधाएं मिलने पर ये गांवों में रोजगार के बहुत से अवसर पैदा करेंगे जिससे कि गरीबी हटाओ के कार्यक्रम को बल मिलेगा।

वित्तीय संस्थानों के लिए विस्तार विशाखन तथा पुनर्निर्माण के क्षेत्र में बहुत कुछ किया जाना शेष है ताकि एक ओर तो वे बचत और निवेश में कारगर ढंग से अपना योगदान दे सकें तथा दूसरी ओर समाज के उपेक्षित और निर्धन वर्ग की ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मैंने और मेरे दल ने 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का बार बार समर्थन किया था, परन्तु केवल यह उपाय ही काफी नहीं है। ऋण प्राप्त करने की पात्रता सम्बन्धी नियमों को बदलने की आवश्यकता है। व्यवस्था को और अधिक कार्यकुशल बनाया जाये तथा कर्मचारियों को प्रबन्ध में प्रतिनिधित्व दिया जाये। मैं यह भी बता दूं कि अब भी कोई छोटा किसान यदि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाता है तो उसे भ्रष्टाचार और रिश्वत खोरी का सामना करना पड़ता है। मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जहां कुछ किसानों को 4000 या 6000 रुपये का ऋण लेने के लिए रिश्वत के रूप में 600 से 700 रुपये देने पड़े। अतः ऐसे भ्रष्टाचारों की जांच करके तथा इन्हें रोक कर व्यवस्था को साफ सुथरा और कार्यकुशल बनाया जाना चाहिए।

स्वयं चौथी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कहा गया है कि ग्रामीण धनियों की ओर से बचतें कराने का कार्य सन्तोषजनक नहीं रहा है। अनेक मामलों के बारे में अनेक समितियां गठित कर दी जाती हैं और उनके प्रतिवेदनों को गोदामों में भर दिया जाता है। हम कुछ पूछते हैं तो कह दिया जाता है कि गोदामों में जाकर उन प्रतिवेदनों को पढ़ लो। अशोक मेहता समिति के प्रतिवेदन का यही हाल रहा और शायद यही दशा वांचू समिति क्या राज समिति के प्रतिवेदनों की भी होगी। यदि इन प्रतिवेदनों को क्रियान्वित किया जाये तो कितना अच्छा हो।

हम हड़तालों और तालाबन्दियों को समाप्त करने का नारा सुनते हैं परन्तु मूल्यों की वृद्धि पर कोई रोक नहीं है। मूल्यों को भी स्थिर किया जाना चाहिए। तब तक हम जांच तथा पुनः जांच युक्त एक समन्वित मूल्य नीति नहीं बनायेंगे, बजट में दिखाये गये 242 करोड़ रुपये के घाटे से भी समस्यायें पैदा होती जायेंगी। मुद्रा स्फीति के अवसर बढ़ेंगे और मूल्य बढ़ते जायेंगे तथा लोगों का जीवन स्तर गिरता जायेगा।

अतः मेरा सुझाव है कि थोक व्यापार का समाजीकरण किया जाये और आवश्यक पदार्थों के उत्पादन को सरकारी क्षेत्र के अधीन लाया जाये। केन्द्रीयकृत मूल्य नीति में मूल्य तथा उत्पादन लागत के बीच एक निश्चित सम्बन्ध होना चाहिए। किसी भी वस्तु का मूल्य उत्पादन लागत से $1\frac{1}{2}$ गुणा से अधिक किसी भी परिस्थिति में नहीं होना चाहिए जिसमें परिवहन खर्च भी शामिल है। कृषि तथा औद्योगिक मूल्यों में कोई समानता होनी चाहिए। ऐसी नीति के बिना घाटे की बजट व्यवस्था के लक्ष्य प्राप्त करना बड़ा ही कठिन होगा।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने प्रति व्यक्ति औसत राष्ट्रीय आय से कम आय वाले राज्यों के लिए कुल केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत निश्चित किया था परन्तु इसके परिणाम सन्तोष-जनक नहीं रहे। डा० गाडगिल ने केन्द्र की ओर से सहायता सम्बन्धों, कतिपय सिद्धान्तों, पद्धतियों तथा अनुमान का सुझाव दिया था तथा सब कुछ राज्यों की स्वेच्छा पर न छोड़कर कतिपय अनुमान बनाये रखने की बात कही थी परन्तु इन सुझावों को उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया गया। इस कारण देश में न केवल अन्तर्राज्यीय असन्तुलन है बल्कि स्वयं राज्यों के भीतर भी

असन्तुलन व्याप्त है । इस ढांचे में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है और असन्तुलन दूर करने के कार्य में गति लाने की आवश्यकता है ।

आर्थिक सर्वेक्षण तथा मध्यावधि मूल्यांकन को देखने से पता चलता है कि हमारी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था बड़ी ही बुरी दशा में है और जब तक इसमें परिवर्तन नहीं होंगे तब तक एकाधिकार-वाद की समाप्ति नहीं होगी, गरीबी हटाने का नारा एक खोखला नारा ही बनकर रह जायेगा ।

हम इस नए युग में भी पुरानी लकीरों को पीट रहे हैं । जब तक हम पुरातन को भुलाकर नये युग में सांस नहीं लेंगे हमारी अर्थ-व्यवस्था धराशायी होने से नहीं बच सकेगी ।

श्री एम. गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : चौथी पंचवर्षीय योजना या मध्यावधि मूल्यांकन एक ऐसी खुली किताब है जिसमें सरकार की सफलताओं तथा असफलताओं दोनों का ही पूर्ण ब्योरा मिलता है ।

जब योजनायें आरम्भ हुई तो हमारे पास कुल 5 करोड़ एकड़ सिंचित क्षेत्र था परन्तु अब 11 करोड़ एकड़ है और उस सयम खाद्यान्नों का उत्पादन केवल 5 करोड़ टन था जो अब बढ़कर 10 से 11 करोड़ टन हो गया है । इस क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई है । इसके अतिरिक्त हमारी अन्य सेवाओं में भी वृद्धि हुई है । आरम्भ में चीनी का उत्पादन जहां केवल 10 लाख टन था वहां 1969-70 में यह बढ़ कर 42 लाख टन हो गया । अर्थात् 400 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई ।

आज अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 347 रुपये है परन्तु तेलंगाना क्षेत्र में यह आय इससे 127 रुपये कम है । इससे सिद्ध हो जाता है कि तेलंगाना में होने वाले आन्दोलन राज-नैतिक न होकर आर्थिक थे ।

तेलंगाना आंध्रप्रदेश के तीन क्षेत्रों में से एक है और भूतपूर्व हैदराबाद रियासत का एक भाग है और सदा ही अविकसित रहा है । मंत्री महोदय इसके पिछड़े पन को दूर करने के लिये क्या योजना बना रहे हैं । इस क्षेत्र में पानी के बड़े स्रोत हैं । पोचमपद परियोजना का लक्ष्य पहले 20 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई रखा गया था परन्तु दुर्भाग्य से अब उसे घटाकर केवल 5 लाख एकड़ कर दिया गया है । हमारा केवल 10 प्रतिशत जल ही उपयोग में आता है, शेष बेकार बह जाता है । मेरी माँग है कि तेलंगाना क्षेत्र के आर्थिक दर्जे में सुधार लाया जाये तथा गोदावरी के जल का यथासंभव अधिकाधिक उपयोग हो ताकि कम से कम 21 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सके । गोदावरी नदी से 6 जिलों की सिंचाई हो सकती है ।

अगला प्रश्न कृषि पर आधारित उद्योगों की स्थापना का है अन्यथा लोगों में असन्तोष व्याप्त रहेगा । जब तेलंगाना के लोग शेष आन्ध्रप्रदेश के लोगों से अपनी तुलना करते हैं तो स्वयं को उपेक्षित पाते हैं । सरकार इस संदर्भ में समुचित सुधार करे । केन्द्र सरकार तथा स्वयं प्रधान मन्त्री ने अनेक बार कहा है कि तेलंगाना की समस्याओं को हल किया जायेगा । मेरी मांग

है कि इस क्षेत्र को न केवल आन्ध्रप्रदेश के समान बाल्कि देश के अन्यों के समान लाने के लिये तुरन्त कदम उठाये जाने चाहियें।

आज सबसे बड़ी समस्या आबादी में अत्यधिक वृद्धि है। गत 20 वर्षों में हमारे कृषि उत्पादन में 100 प्रतिशत तथा औद्योगिक उत्पादन में 250 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, फिर भी देश में गरीबी है। इसका एक मात्र कारण जन सख्या में निरन्तर भारी वृद्धि होना है। गत 20 वर्षों में हमारी जनसंख्या में 70 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमें जनसंख्या की स्थिरता और कम से कम अगले वर्षों तक उत्पत्ति-दर तथा मृत्यु-दर को समान बनाने के लिये हर संभव प्रयास करना चाहिये। ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आर्थिक विकास योजनायें निरर्थक सिद्ध होंगी। अतः मंत्रालय परिवार नियोजन के लिये और अधिक धनराशि निर्धारित करे और इसके कार्यक्रमों को पूरे जोर शोर से चलाये।

योजना भवन के अधिकारियों की यहां आलोचना की जाती है। परन्तु मेरा दावा है कि वे कुशलतम अधिकारी हैं। मैं उनमें से कई को जानता हूं। यदि यही लोग अच्छा आयोजन नहीं कर सकेंगे तो फिर कौन करेगा। हमें संसद में अपने अधिकारियों की इस प्रकार निन्दा नहीं करनी चाहिये इससे विदेशों में भी हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है और साथ ही हमारे अधिकारी-गण का भी उत्साह कम होता है।

इन शब्दों के साथ ही मैं इन दोनों मंत्रियों तथा योजना आयोग के अधिकारियों को अच्छे कार्य के लिए बधाई देता हूं।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मैं योजना मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने वर्ष 1972-73 की पुनरीक्षण योजना को सभा पटल पर सामान्य समय से पहले ही रख दिया। मुझे आशा है कि इसकी क्रियान्विति में भी वह समय का पालन करेंगे।

पहली तथा दूसरी योजनायें तो सफल रहीं थी परन्तु तीसरी योजना को हम असफल कह सकते हैं। चौथी योजना चल रही है और हम इसको सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरी योजना की असफलता के लिये योजना मंत्री यह बहाना बना सकते हैं कि उस समय केन्द्र इतना सशक्त नहीं था परन्तु अब तो केन्द्र तथा राज्य सरकारों के स्वामित्व को देखते हुए योजना मंत्री जनता को दिये गये वायदों को पूरा करा सकते हैं।

"गरीबी हटाओ" से पूर्व हमारा लक्ष्य "बेरोजगारी हटाओ" होना चाहिये। अब की बार इस सभा में बहुत से सदस्य नये हैं और हमने जनता को गरीबी से मुक्ति दिलाने का वचन दिया है। हम आप सभी सदस्य युवक और परिश्रमी हैं और योजना की क्रियान्विति में मंत्री महोदय का पूरा पूरा साथ देंगे। परन्तु यह बिलकुल स्पष्ट है कि बेरोजगारी दूर किये बिना गरीबी नहीं हटाई जा सकती। हमें इस कार्य में जुट जाना है और तब तक चैन की साँस नहीं लेनी है जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते।

मैं मंत्री महोदय को यह भी याद दिला दूं कि हमें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है क्योंकि वित्त मंत्री ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में कहा था कि धन की कोई कमी नहीं, अलबत्ता पैसे को केवल उन्हीं योजनाओं में लगाया जायेगा जो देश की आय बढ़ाती हों। वस्तुतः तो वित्त मन्त्री की ओर से आपको यह एक चुनौती है।

सभापति महोदय—कृपया अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार 6 अप्रैल, 1972, 17 चैत्र 1894 (शक) के ग्यारह बजे के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, April 6, 1972/Chaitra 16 1894 (Saka)